भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2026

दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) (संशोधन) विनियम, 2026

(2026 का 12)

सं. आरजी-1/(3)/2026-एनएसएल-I -----भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii), (iii) और (iv) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) विनियम, 2002 (2002 का 2) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जाएगा।
(2) ये विनियम 1 जनवरी, 2027 से प्रवृत्त होंगे।

2. दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) विनियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 1 में,—
(क) खंड (i) में, ", (विनियम)" कोष्ठकों और शब्दों को हटा दिया जाएगा;
(ख) खंड (ii) में, "अनुलग्नक 'B'" शब्द के स्थान पर "अनुलग्नक-I" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. मूल विनियमों के विनियम 2 में,--
(क) खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"(i) "एक्सेस सेवा" से किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा उपयोक्ताओं को वायरलाइन या वायरलेस दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से ध्वनि या गैर-ध्वनि संदेशों के संप्रेषण के लिए प्रदान की जाने वाली दूरसंचार सेवाएँ अभिप्रेत है, और "वायरलाइन एक्सेस सेवा" तथा "वायरलेस एक्सेस सेवा" शब्दों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;"
(ख) यथा प्रतिस्थापित खंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"(i क) "अधिनियम" से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) अभिप्रेत है;";
(ग) खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

27/11/2026
सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

"(ii) "क्रियाकलाप" से निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक अभिप्रेत हैं और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:—

(क) समायोजित सकल राजस्व

(ख) उपभोक्ता आधार

(ग) नेटवर्क की ध्वनि कॉल प्रबंधन क्षमता

(घ) ट्रैफिक का परिमाण

स्पष्टीकरण:— इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए,—

(क) समायोजित सकल राजस्व वही होगा, जो लागू लाइसेंस या प्राधिकार के अधीन उपबंधित है;

(ख) उपभोक्ता आधार से, यथास्थिति, पीएसटीएन या पीएलएमएन में ध्वनि उपभोक्ताओं की संख्या अभिप्रेत है;

(ग) नेटवर्क की ध्वनि कॉल प्रबंधन क्षमता से सामान्य प्रचालन परिस्थितियों में, लागू सेवा गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हुए, किसी लाइसेंस प्राप्त या प्राधिकृत दूरसंचार सेवा क्षेत्र में किसी सेवा प्रदाता के दूरसंचार नेटवर्क द्वारा स्थापित और बनाए रखने के लिए अभिकल्पित एक साथ चलने वाले ध्वनि कॉल सत्रों की अधिकतम संख्या अभिप्रेत है, जिसमें साझा या अतिव्यापी नेटवर्क संसाधनों की क्षमता की दोहरी गणना नहीं की जाएगी; और

(घ) ट्रैफिक के परिमाण से ध्वनि कॉलों के उपयोग के कुल मिनट (एमओयू) अभिप्रेत हैं, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:—

(i) एक्सेस सेवाओं के लिए, ऑन-नेट उद्गमित, ऑन-नेट समापित, ऑफ-नेट उद्गमित और ऑफ-नेट समापित ध्वनि कॉलें; और

(ii) राष्ट्रीय लंबी दूरी और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवाओं के लिए, वहन के लिए प्राप्त और हस्तांतरित ध्वनि कॉलें।

(घ) खंड (vii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(viiक) "अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) नेटवर्क" से ऐसा दूरसंचार नेटवर्क अभिप्रेत है, जो किसी विदेशी वाहक के दूरसंचार नेटवर्क के साथ अंतःसंयोजित होता है;

(viiख) "अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) सेवा" से आईएलडी नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली एक प्रकार की दूरसंचार सेवा अभिप्रेत है;

(viiग) "राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) नेटवर्क" से ऐसा दूरसंचार नेटवर्क अभिप्रेत है, जो राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र की सीमाओं के भीतर बेयरर दूरसंचार ट्रैफिक का वहन करता है;

(viiघ) "राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) सेवा" से एनएलडी नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली एक प्रकार की दूरसंचार सेवा अभिप्रेत है;";

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

(ङ) खंड (viii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(viiiक) "पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क (पीएलएमएन)" से ऐसा स्थलीय सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्क अभिप्रेत है, जिसे किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा उपयोगकर्ताओं को वायरलेस एक्सेस सेवाएँ प्रदान करने के लिए स्थापित, प्रचालित, अनुरक्षित या विस्तारित किया गया हो;

(viiiख) "पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन)" से ऐसा स्विच्ड सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्क अभिप्रेत है, जिसे किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा उपयोगकर्ताओं को वायरलाइन एक्सेस सेवाएँ प्रदान करने के लिए स्थापित, प्रचालित, अनुरक्षित या विस्तारित किया गया हो;"

4. मूल विनियमों के विनियम 3 में,—

(क) उप-विनियम 3.1 के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम **प्रतिस्थापित किया जाएगा**, अर्थात्:—

"3.1 बाजार में पर्याप्त शक्ति वाला सेवा प्रदाता, प्राधिकरण द्वारा बाजार में पर्याप्त शक्ति के निर्धारण की तारीख से तीस दिन के भीतर, अपना संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा, जब तक कि इस उप-विनियम के अधीन उसके द्वारा प्रकाशित कोई संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव पहले से प्रवृत्त न हो, और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर, ऐसे संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, समय-समय पर यथा संशोधित अनुलग्नक-I में विनिर्दिष्ट आदर्श संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव और अनुलग्नक-II में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के आधार पर अंतःसंयोजन की तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तों का वर्णन होगा; और सेवा प्रदाता द्वारा इस प्रकार प्रकाशित संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव, तत्पश्चात् निष्पादित किए जाने वाले सभी अंतःसंयोजन करारों का आधार होगा।";

(ख) उप-विनियम 3.2 के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"3.2 प्रकाशित संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में परिवर्तन केवल प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से ही किया जा सकेगा:

परंतु यह कि यदि प्राधिकरण का यह विचार है कि किसी प्रकाशित संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में संशोधन अपेक्षित है, तो वह किसी सेवा प्रदाता को अपने संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में संशोधन करने और ऐसे निदेश की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर, ऐसे संशोधित संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा:

परंतु यह और कि किसी संशोधित संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव को प्राधिकरण द्वारा उसके अनुमोदन के पश्चात् ऐसे अनुमोदन की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर प्रकाशित किया जाएगा।";

(ग) उप-विनियम 3.2 के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"3.2क सभी अंतःसंयोजन करार सेवा प्रदाताओं के बीच प्रकाशित संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव के अनुसार किए जाएंगे:

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

परंतु यह कि सेवा प्रदाता, आपसी सहमति से, प्रकाशित संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव के निबंधनों और शर्तों में संशोधन कर सकेंगे और ऐसे संशोधित निबंधनों और शर्तों पर अंतःसंयोजन करार कर सकेंगे।";

(घ) उप-विनियम 3.3 के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"3.3 किसी सेवा प्रदाता को बाजार में पर्याप्त शक्ति (एसएमपी) वाला माना जाएगा, यदि किसी लाइसेंस प्राप्त या प्राधिकृत दूरसंचार सेवा क्षेत्र में क्रियाकलाप के अधीन विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक मापदंडों में उसकी हिस्सेदारी तीस प्रतिशत या उससे अधिक है:

परंतु यह कि क्रियाकलाप के अधीन लागू किसी एक या अधिक मापदंडों में तीस प्रतिशत या उससे अधिक की हिस्सेदारी का निर्धारण, किसी लाइसेंस प्राप्त या प्राधिकृत दूरसंचार सेवा क्षेत्र में सेवा प्रदाता द्वारा, जैसा लागू हो, प्रदान की जा रही वायरलाइन एक्सेस सेवा, वायरलेस एक्सेस सेवा, राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा के संदर्भ में किया जाएगा।";

(ङ) उप-विनियम 3.3 के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"3.3क (क) प्रत्येक सेवा प्रदाता, प्रत्येक लाइसेंस प्राप्त या प्राधिकृत दूरसंचार सेवा क्षेत्र में प्रत्येक सेवा के संबंध में, जैसा लागू हो, अपने उपभोक्ता आधार, नेटवर्क की ध्वनि कॉल प्रबंधन क्षमता और ट्रैफिक के परिमाण से संबंधित आंकड़े प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के अंत तक प्रस्तुत करेगा।

(ख) समायोजित सकल राजस्व समय-समय पर यथा संशोधित लेखा पृथक्करण विनियम, 2016 की रिपोर्टिंग प्रणाली के अधीन प्रस्तुत वित्तीय रिपोर्टों से प्राप्त किया जाएगा और ऐसा सेवा प्रदाता, जिसे ऐसी वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के अंत तक अपना विधिवत लेखापरीक्षित समायोजित सकल राजस्व प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

(ग) प्राधिकरण किसी सेवा प्रदाता से, विशेष रूप से नेटवर्क की ध्वनि कॉल प्रबंधन क्षमता के संबंध में, अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण मांग सकेगा और ऐसा सेवा प्रदाता प्राधिकरण से ऐसी संसूचना की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर उक्त सूचना या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा।

(घ) प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही की समाप्ति के पश्चात्, खंड (क) के अधीन प्रस्तुत आंकड़ों और खंड (ग) के अधीन प्राप्त सूचना या स्पष्टीकरण के आधार पर बाजार में पर्याप्त शक्ति का निर्धारण करेगा।

(ङ) प्राधिकरण, खंड (ख) के अधीन प्राप्त या प्रस्तुत समायोजित सकल राजस्व को ध्यान में रखते हुए, बाजार में पर्याप्त शक्ति का पश्चात्वर्ती निर्धारण कर सकेगा और ऐसा निर्धारण उस वित्तीय वर्ष के लिए खंड (घ) के अधीन निर्धारित सेवा प्रदाताओं की बाजार में पर्याप्त शक्ति की स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा।

(च) प्रत्येक निर्धारण, प्रत्येक लाइसेंस प्राप्त या प्राधिकृत दूरसंचार सेवा क्षेत्र में प्रत्येक सेवा के संबंध में किया जाएगा:

परंतु यह कि उप-विनियम 3.3 और उप-विनियम 3.3क के प्रयोजनों के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का समायोजित सकल राजस्व, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

उपभोक्ता आधार, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के मार्च महीने के दौरान नेटवर्क की अधिकतम ध्वनि कॉल प्रबंधन क्षमता और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के मार्च महीने के लिए ट्रैफिक के परिमाण को विचार में लिया जाएगा:

परंतु यह और कि बाजार में पर्याप्त शक्ति वाला निर्धारित किया गया सेवा प्रदाता तब तक ऐसा ही माना जाता रहेगा, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा उसकी बाजार में पर्याप्त शक्ति की स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाता।";

(च) उप-विनियम 3.4 को हटा दिया जाएगा।

5. मूल विनियमों के विनियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"**3क. इन विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के परिणाम** —(1) यदि कोई सेवा प्रदाता विनियम 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह, उसके लाइसेंस या प्राधिकार के निबंधनों और शर्तों के अधीन अधिरोपित की जा सकने वाली किसी शास्ति या किसी अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या आदेशों अथवा जारी किए गए निदेशों के अधीन की जा सकने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन विनियमों की अनुसूची-I में यथा उपबंधित वित्तीय निरुत्साहन के रूप में राशि का भुगतान करने का दायी होगा।

(2) प्राधिकरण द्वारा सेवा प्रदाता को प्राधिकरण द्वारा पाए गए उल्लंघन के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना वित्तीय निरुत्साहन के भुगतान का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(3) प्राधिकरण कारणों को लेखबद्ध कर कोई वित्तीय निरुत्साहन अधिरोपित न करने या वित्तीय निरुत्साहन की कम राशि अधिरोपित करने का विनिश्चय कर सकेगा।

3ख. वित्तीय निरुत्साहनों का भुगतान— (1) इन विनियमों के अधीन वित्तीय निरुत्साहन के रूप में भुगतान योग्य राशि ऐसे लेखा शीर्ष में जमा की जाएगी, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) यदि सेवा प्रदाता विनियम 3क के अधीन वित्तीय निरुत्साहन के भुगतान के आदेश के जारी किए जाने की तारीख से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर या वित्तीय निरुत्साहन के भुगतान के आदेश में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वित्तीय निरुत्साहन का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह उस वित्तीय वर्ष, जिसमें उक्त विनिर्दिष्ट अवधि का अंतिम दिन पड़ता है, के आरंभ में प्रचलित भारतीय स्टेट बैंक की एक-वर्षीय निधियों की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) से दो प्रतिशत अधिक की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा।

स्पष्टीकरण:— इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, ब्याज की गणना हेतु महीने के किसी भाग को पूरा महीना माना जाएगा और महीने से अंग्रेजी कैलेंडर महीना अभिप्रेत होगा।"

6. मूल विनियमों के विनियम 4 में, "सार्वजनिक नेटवर्क प्रचालक" शब्द के स्थान पर "सेवा प्रदाता" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

7. मूल विनियमों के विनियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"**5. पुनर्विलोकन**— प्राधिकरण द्वारा इन विनियमों के उपबंधों का, जब कभी अपेक्षित हो, पुनर्विलोकन किया जा सकेगा।"

8. यथा प्रतिस्थापित विनियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"**5क. कठिनाइयों का निराकरण**— इन विनियमों के उपबंधों के निर्वचन या अनुप्रयोग में किसी कठिनाई का निराकरण करने के लिए, प्राधिकरण आवश्यक स्पष्टीकरण या दिशानिर्देश जारी कर सकेगा, जो अंतिम और आबद्धकर होंगे।"

9. मूल विनियमों के विनियम 6 में, "अनुलग्नक 'क' में" शब्द को हटा दिया जाएगा।

10. मूल विनियमों के विनियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"**अनुसूची-I**

(विनियम 3क देखें)

क्रम सं.	**विनियम के अधीन उल्लंघन**	**उल्लंघन के प्रत्येक मामले के लिए वित्तीय निरुत्साहन की राशि**
1.	विनियम 3 के उप-विनियम 3.1 या उप-विनियम 3.2 का उल्लंघन	(क) पंद्रह दिन तक के विलंब के लिए उल्लंघन के प्रत्येक मामले में प्रति दिन पचास हजार रुपये तक; और (ख) पंद्रह दिन से अधिक विलंब के प्रत्येक दिन के लिए उल्लंघन के प्रत्येक मामले में एक लाख रुपये तक: परंतु यह कि उपर्युक्त मद (क) और मद (ख) के अधीन वित्तीय निरुत्साहन की कुल राशि, उल्लंघन के प्रत्येक मामले के लिए प्रति सेवा क्षेत्र पच्चीस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।
2.	विनियम 3 के उप-विनियम 3.3क का उल्लंघन	(क) पंद्रह दिन तक के विलंब के लिए उल्लंघन के प्रत्येक मामले में प्रति दिन पच्चीस हजार रुपये तक; और (ख) पंद्रह दिन से अधिक विलंब के प्रत्येक दिन के लिए उल्लंघन के प्रत्येक मामले में पचास हजार रुपये तक: परंतु यह कि उपर्युक्त मद (क) और मद (ख) के अधीन वित्तीय निरुत्साहन की कुल राशि, उल्लंघन के प्रत्येक मामले के लिए प्रति सेवा क्षेत्र पंद्रह लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

11. यथा अंतःस्थापित अनुसूची-I के पश्चात् निम्नलिखित अनुलग्नक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"अनुलग्नक-I

आदर्श संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव

प्रस्तावना

यह करार _____, 20 के दिन _____, जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ में है, जिसे इसमें इसके पश्चात् पक्ष <क क क क> कहा गया है, जिसके अंतर्गत, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसके कारोबार के उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि और/या समनुदेशिती भी सम्मिलित होंगे, एक पक्षकार के रूप में और _____, जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ में है, जिसे इसमें इसके पश्चात् पक्ष <ख ख ख ख> कहा गया है, जिसके अंतर्गत, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसके कारोबार के उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि और/या समनुदेशिती भी सम्मिलित होंगे, दूसरे पक्षकार के रूप में, किया गया है; इन दोनों को सामूहिक रूप से "पक्षकार" कहा गया है।

चूँकि, पक्ष <क क क क> भारत में _____ सेवा क्षेत्र में _____ सेवाएँ प्रदान करने के लिए दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अधीन प्राधिकृत है; या पक्ष <क क क क> भारत में _____ सेवा क्षेत्र में _____ सेवाएँ प्रदान करने के प्राधिकार सहित भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अधीन लाइसेंस प्राप्त है (जो लागू न हो उसे काट दें); और

चूँकि, पक्ष <ख ख ख ख> भारत में _____ सेवा क्षेत्र में _____ सेवाएँ प्रदान करने के लिए दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अधीन प्राधिकृत है; या पक्ष <ख ख ख ख> भारत में _____ सेवा क्षेत्र में _____ सेवाएँ प्रदान करने के प्राधिकार सहित भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अधीन लाइसेंस प्राप्त है (जो लागू न हो उसे काट दें); और

चूँकि, अपने-अपने सेवा क्षेत्रों में अपने उपभोक्ताओं को विनिर्दिष्ट सेवाएँ प्रदान करने के लिए, इस करार के पक्षकारों को अपने नेटवर्कों का अंतःसंयोजन करना अपेक्षित है;

अतः अब, यह करार निम्नलिखित का साक्ष्य है:—

1 अनुच्छेद 1 – सेवाओं की व्याप्ति और परिभाषा

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

1.1. व्याप्ति

इस करार की व्याप्ति में पक्ष <क क क क> के नेटवर्क और पक्ष <ख ख ख ख> के नेटवर्क के बीच अंतःसंयोजन से संबंधित तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवस्थाएँ सम्मिलित हैं तथा इसमें उन शर्तों का उल्लेख है जिनके अधीन पक्षकारों के संबंधित नेटवर्कों को निर्बाध दूरसंचार ट्रैफिक के आदान-प्रदान के लिए अंतःसंयोजित किया जाएगा और उस रीति का भी उल्लेख है जिसके अनुसार अंतःसंयोजन तथा पारस्परिक रूप से सहमत अन्य सेवाएँ एक-दूसरे को प्रदान की जाएँगी और उनका बिल तैयार किया जाएगा। यह सब दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3 के अधीन भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए प्राधिकार या भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 के अधीन भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए लाइसेंस (जो लागू न हो उसे काट दें) के निबंधनों और शर्तों तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अधीन भादूविप्रा द्वारा जारी विनियमों, आदेशों और निदेशों के अध्यधीन होगा।

इस करार की व्याप्ति में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:—

(क) अंतःसंयोजन बिंदु (अनुसूची 1)

(ख) सेवाओं के लिए प्रभार (अनुसूची 2)

(ग) अवसंरचना तत्वों की साझेदारी के लिए प्रभार (अनुसूची 3)

(घ) ब्याज दरें (अनुसूची 4)

सभी संलग्न अनुसूचियाँ इस करार का अभिन्न अंग होंगी। किसी विरोध या भिन्नता की स्थिति में, करार के मुख्य भाग में निर्धारित निबंधन अभिभावी होंगे।

1.2. प्रारंभ

1.2.1. यह करार _____ से प्रवृत्त होगा और समापन से संबंधित प्रासंगिक खंडों के अध्यधीन, [____ वर्ष की अवधि तक या _____ तक] प्रवृत्त रहेगा।

टिप्पणी: पक्षकार उन निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट कर सकते हैं, जिन्हें इस करार के प्रभावी होने से पूर्व पूरा किया जाना अपेक्षित होगा।

1.3. संशोधन

1.3.1. इस करार या इसकी अनुसूचियों में कोई भी परिवर्तन, दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित और प्राधिकरण के पास पंजीकृत पारस्परिक रूप से सहमत संशोधनों पर आधारित होगा। विनियमों, निदेशों, आदेशों, लाइसेंस या प्राधिकार की शर्तों में संशोधन के कारण अपेक्षित परिवर्तन तत्काल प्रभावी माने जाएंगे और यथाशीघ्र संशोधनों के रूप में इस करार में समाविष्ट किए जाएंगे। उपर्युक्त लिखतों को उसी क्रम में अधिमानता प्राप्त होगी, जिस क्रम में उनका उल्लेख किया गया है। ऐसे सभी संशोधन प्राधिकरण के पास पंजीकृत किए जाएंगे।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

1.4. परिभाषाएँ

1.4.1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (समय-समय पर यथा संशोधित) तथा उक्त अधिनियम के अधीन प्रकाशित विनियमों, निदेशों और आदेशों, यथा लागू, दूरसंचार अधिनियम, 2023 या भारतीय तार अधिनियम, 1885 तथा लाइसेंस करारों या प्राधिकार में सम्मिलित परिभाषाएँ, जहाँ कहीं विनिर्दिष्ट हों, लागू होंगी और उन्हें अधिमानता प्राप्त होगी।

1.4.2. इसके अतिरिक्त, इस करार में प्रयुक्त निम्नलिखित पदों के वही अर्थ होंगे जो नीचे उनके लिए विनिर्दिष्ट हैं:—

1.4.2.1 "एक्सेस सेवा" से किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा उपयोगकर्ताओं को वायरलाइन या वायरलेस दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से ध्वनि या गैर-ध्वनि संदेशों के संप्रेषण के लिए प्रदान की जाने वाली दूरसंचार सेवा अभिप्रेत है और "वायरलाइन एक्सेस सेवा" तथा "वायरलेस एक्सेस सेवा" पदों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

1.4.2.2 "अधिनियम" से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (समय-समय पर यथा संशोधित) अभिप्रेत है।

1.4.2.3 "उपकरण" से दूरसंचार उपकरण अभिप्रेत है।

1.4.2.4 "प्राधिकार" से दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अधीन किसी भी नाम से ज्ञात ऐसी अनुमति अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित के लिए प्रदान की गई हो:—

1. दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए;
2. दूरसंचार नेटवर्क स्थापित, प्रचालित, अनुरक्षित या विस्तारित करने के लिए; या
3. रेडियो उपकरण रखने के लिए।

1.4.2.5 "प्राधिकरण" से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) अभिप्रेत है।

1.4.2.6 "सीसीएस" से कॉमन चैनल सिग्नलिंग अभिप्रेत है।

1.4.2.7 "सीडीआर" से कॉल डेटा रिकॉर्ड अभिप्रेत है।

1.4.2.8 "निदेश" से अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (4) या धारा 13 के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निदेश अभिप्रेत हैं।

1.4.2.9 "ई1 स्तर" से 2.048 एमबी/सेकंड की प्राथमिक पल्स कोड मॉड्यूलेशन (पीसीएम) बैंडविड्थ अभिप्रेत है।

1.4.2.10 "प्रभावी तारीख" से इस करार के प्रारंभ की तारीख अभिप्रेत है।

1.4.2.11 "जीओएस" से सेवा की श्रेणी अभिप्रेत है।

1.4.2.12 "अंतःसंयोजन" से ऐसे वाणिज्यिक और तकनीकी प्रबंध अभिप्रेत हैं, जिनके अधीन प्राधिकृत इकाइयाँ या लाइसेंसधारी, यथास्थिति, अपने दूरसंचार उपकरणों, दूरसंचार नेटवर्कों और दूरसंचार सेवाओं को इस प्रकार जोड़ते हैं कि उनके उपयोगकर्ताओं को अन्य प्राधिकृत इकाइयों या लाइसेंसधारियों के उपयोगकर्ताओं, दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्कों तक एक्सेस प्राप्त हो सके।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

1.4.2.13 "अंतःसंयोजन प्रभार" से किसी सेवा प्रदाता द्वारा किसी अन्य सेवा प्रदाता को, ऐसे अन्य सेवा प्रदाता द्वारा अंतःसंयोजन के लिए उपलब्ध कराई गई अंतःसंयोजन सुविधाओं और संसाधनों के प्रावधान, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए भुगतान योग्य प्रभार अभिप्रेत हैं।

1.4.2.14 "अंतःसंयोजन प्रदाता" से ऐसा सेवा प्रदाता अभिप्रेत है, जिसके नेटवर्क के साथ दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए अंतःसंयोजन स्थापित करने की मांग की जाती है।

1.4.2.15 "अंतःसंयोजन चाहने वाला" से ऐसा सेवा प्रदाता अभिप्रेत है, जो अंतःसंयोजन प्रदाता के नेटवर्क के साथ अंतःसंयोजन स्थापित करने की मांग करता है।

1.4.2.16 "अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार" या "आईयूसी" से कॉलों और लघु संदेश सेवा के उद्गम, ट्रांजिट या समापन के लिए नेटवर्क तत्वों के उपयोग हेतु किसी एक सेवा प्रदाता द्वारा एक या अधिक सेवा प्रदाताओं को भुगतान योग्य प्रभार अभिप्रेत है।

1.4.2.17 "अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी नेटवर्क" से ऐसा दूरसंचार नेटवर्क अभिप्रेत है, जो विदेशी वाहकों के दूरसंचार नेटवर्कों के साथ अंतःसंयोजन के लिए होता है।

1.4.2.18 "अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा" से अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली दूरसंचार सेवा का एक प्रकार अभिप्रेत है।

1.4.2.19 "आईपी" से इंटरनेट प्रोटोकॉल अभिप्रेत है।

1.4.2.20 "आईपी अंतःसंयोजन" से इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करके किया गया अंतःसंयोजन अभिप्रेत है।

1.4.2.21 "लाइसेंस" से भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अधीन दूरसंचार सेवाएँ या दूरसंचार नेटवर्क प्रदान करने के लिए, किसी भी नाम से ज्ञात, प्रदान किया गया कोई लाइसेंस, पंजीकरण या अनुमति अभिप्रेत है और"लाइसेंसधारी" पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

1.4.2.22 "लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र" या "एलएसए" से किसी दूरसंचार सर्किल या मेट्रो सेवा क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र अभिप्रेत है।

1.4.2.23 "राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) नेटवर्क" से ऐसा दूरसंचार नेटवर्क अभिप्रेत है, जो राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र की सीमाओं के भीतर बेयरर दूरसंचार ट्रैफिक का वहन करता है।

1.4.2.24 "राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) सेवा" से एनएलडी नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली दूरसंचार सेवा का एक प्रकार अभिप्रेत है।

1.4.2.25 "राष्ट्रीय मानक" से दूरसंचार विभाग[दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र (टीईसी)] द्वारा निर्धारित मानक अभिप्रेत हैं।

1.4.2.26 "उद्गम नेटवर्क" से वह नेटवर्क अभिप्रेत है, जिससे दूरसंचार संदेश का उद्गमकर्ता निकटतम रूप से जुड़ा होता है।

1.4.2.27 "उद्गम/ट्रांजिट/वहन/समापन सेवा प्रदाता" से क्रमशः ऐसा सेवा प्रदाता अभिप्रेत है, जिसके नेटवर्क का उपयोग किसी दूरसंचार संदेश के उद्गम/ट्रांजिट/वहन/समापन के लिए किया जाता है।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

1.4.2.28 "अंतःसंयोजन बिंदु" या "पीओआई" से पारस्परिक रूप से सहमत ऐसा सीमांकन बिंदु अभिप्रेत है, जहाँ दोनों पक्षकारों के बीच ट्रैफिक का आदान-प्रदान होता है और जिसे भादूविप्रा के निर्धारण/विनियमों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

1.4.2.29 "उपस्थिति बिंदु" या "पीओपी" से उपयुक्त क्षमता वाले दूरसंचार नेटवर्कों की ऐसी प्रणाली अभिप्रेत है, जिसे किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा प्राधिकृत दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया हो।

1.4.2.30 "पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क" या "पीएलएमएन" से ऐसा स्थलीय सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्क अभिप्रेत है, जिसे किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा उपयोगकर्ताओं को वायरलेस एक्सेस सेवाएँ प्रदान करने के लिए स्थापित, प्रचालित, अनुरक्षित या विस्तारित किया गया हो।

1.4.2.31 "पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क" या "पीएसटीएन" से ऐसा स्विच्ड सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्क अभिप्रेत है, जिसे किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा उपयोगकर्ताओं को वायरलाइन एक्सेस सेवाएँ प्रदान करने के लिए स्थापित, प्रचालित, अनुरक्षित या विस्तारित किया गया हो।

1.4.2.32 "क्यूओएस" से सेवा की गुणवत्ता अभिप्रेत है।

1.4.2.33 "विनियम" से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 36 द्वारा प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विनियम अभिप्रेत हैं।

1.4.2.34 "सेवा क्षेत्र" से वह भौगोलिक क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसके संबंध में दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्राधिकार प्रदान किया गया है, जो राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र, दूरसंचार सर्किल या मेट्रो हो सकता है।

1.4.2.35 "समापन नेटवर्क" से वह नेटवर्क अभिप्रेत है, जिससे किसी दूरसंचार संदेश का प्राप्तकर्ता निकटतम रूप से जुड़ा होता है।

1.4.2.36 "ट्रांजिट नेटवर्क" से ऐसा मध्यवर्ती नेटवर्क अभिप्रेत है, जिसके माध्यम से उद्गम नेटवर्कों या अन्य ट्रांजिट नेटवर्कों से दूरसंचार संदेशों का संप्रेषण किया जाता है और उन्हें समापन नेटवर्कों तक पहुँचाया जाता है।

1.4.2.37 "उपयोगकर्ता" से दूरसंचार सेवा का उपयोग करने वाला या ऐसी सेवा का अनुरोध करने वाला कोई प्राकृतिक या विधिक व्यक्ति अभिप्रेत है, किंतु इसमें ऐसी दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क प्रदान करने वाला व्यक्ति सम्मिलित नहीं है।

2 अनुच्छेद 2 – अंतःसंयोजन बिंदु और अंतःसंयोजन सिद्धांत

2.1. पक्षकार निम्नलिखित पर सहमत हैं:—

2.1.1. अपने-अपने तंत्रों को प्राधिकरण के निर्धारण/विनियमों के अनुसार स्थापित, पारस्परिक रूप से सहमत और व्यवहार्य अंतःसंयोजन बिंदुओं पर जोड़ने और निरंतर जोड़े रखने के लिए। ऐसा अंतःसंयोजन

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुच्छेद 3 में दिए गए विवरण के अनुसार प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी की सेवा के लिए सहमत अंतःसंयोजन बिंदु इस करार की अनुसूची 1 में दिए गए हैं। इनमें समय-समय पर पारस्परिक सहमति से संशोधन किया जा सकेगा।

2.1.2. इस करार में यथा उपबंधित या अन्यथा पारस्परिक रूप से सहमत, अंतःसंयोजन से संबंधित अनुरोधित दूरसंचार सेवाएँ, सुविधाएँ और सूचना दूसरे पक्षकार को उपलब्ध कराने के लिए। ऐसी सुविधाओं का उपयोग केवल सहमत प्रयोजन के लिए किया जाएगा और उन्हें अन्य पक्षकारों को पुनः विक्रय नहीं किया जाएगा। ये सेवाएँ और सुविधाएँ अनुसूची 2 और अनुसूची 3 में दी गई हैं।

2.2. ट्रैफिक रूटिंग सिद्धांत

2.2.1. प्रत्येक पक्षकार, दूसरे पक्षकार द्वारा प्रस्तुत ट्रैफिक का अपने नेटवर्क के माध्यम से नामित बिंदु तक वहन करेगा। यदि अस्थायी नेटवर्क परिस्थितियों के कारण ट्रैफिक का इस प्रकार वहन नहीं किया जा सकता है, तो दोनों पक्षकारों के बीच यथा सहमत उपयुक्त टोन या घोषणाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी।

2.2.2. ट्रैफिक की विभिन्न श्रेणियों के लिए जिन स्तरों और बिंदुओं पर अंतःसंयोजन प्रदान किया जा सकता है, वे प्राधिकरण के विनियमों/निर्धारणों/निदेशों/आदेशों के अनुसार होंगे।

2.2.3. संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव दिशानिर्देश और उनमें दी गई अंतःसंयोजन तालिकाएँ, जैसा लागू हो, विभिन्न प्रकार के अंतःसंयोजन तथा अंतर-प्रचालक ट्रैफिक/सेवाओं के सुपुर्द किए जाने से संबंधित विवरण प्रदान करेंगी।

2.3. पीओआई पर व्यवस्थाएँ

2.3.1. पीओआई के माध्यम से वहन किए जाने वाले ट्रैफिक के प्रकार अनुसूची 1 में दिए गए हैं। अंतःसंयोजन आईपी आधारित होगा। दोनों पक्षकारों के नेटवर्कों के बीच अंतःसंयोजन दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र (टीईसी) द्वारा प्रकाशित मानकों के अनुरूप होगा और ऐसे मानकों के अभाव में, संबंधित आईटीयू संस्तुतियों का अनुपालन किया जाएगा।

2.4. उपकरण और संयंत्र का सह-स्थापन

2.4.1. जहाँ कहीं व्यवहार्य हो, किसी एक पक्षकार के स्वामित्वाधीन या पट्टे पर लिए गए और अंतःसंयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण और संयंत्र का भौतिक सह-स्थापन दूसरे पक्षकार के परिसर में किया जाएगा।

2.4.2. जहाँ ऐसा सह-स्थापन पारस्परिक रूप से सहमत हो, वहाँ इस प्रयोजन के लिए आवश्यक स्थान और सहायक अवसंरचना, अंतःसंयोजन के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। जब कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार के परिसर और/या उसकी सुविधाओं, जैसे अवसंरचना, उपकरण, डक्ट, लीज्ड लाइन, विद्युत आदि का उपयोग करता है, तो वह उसके लिए दूसरे पक्षकार को लागू प्रभारों का भुगतान करेगा। ऐसे किरायों का विवरण अनुसूची 3 में दिया गया है।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

3 अनुच्छेद 3 – अंतःसंयोजन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया

3.1. दोनों पक्षकार, समय-समय पर यथा संशोधित दूरसंचार अंतःसंयोजन विनियम, 2018 के अनुसार अंतःसंयोजन करेंगे। अंतःसंयोजन के लिए समय-सीमा, अंतःसंयोजन करार करने की प्रक्रिया, पीओआई पर पोर्ट उपलब्ध कराने और उनकी क्षमता में वृद्धि करने की प्रक्रिया आदि, समय-समय पर यथा संशोधित दूरसंचार अंतःसंयोजन विनियम, 2018 के अनुसार होगी।

4 अनुच्छेद 4 – नेटवर्क और पारेषण अपेक्षाएँ

4.1. दोनों पक्षकार ट्रैफिक के पूर्वानुमान, उपयोग क्षमता के प्रक्षेपण, सेवा की गुणवत्ता आदि के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित दूरसंचार अंतःसंयोजन विनियम, 2018 का अनुपालन करेंगे।

4.2. नेटवर्क में परिवर्तन

4.2.1. पक्षकार, जहाँ कहीं आवश्यक हो, नेटवर्क विन्यास या सुविधाओं में किसी ऐसे परिवर्तन, जिसका दूसरे पक्षकार के नेटवर्क की अभियांत्रिकी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, के संबंध में एक-दूसरे को अग्रिम रूप से सूचित करेंगे।

5 अनुच्छेद 5 – तकनीकी सेवा प्रतिबद्धताएँ और खराबियों की मरम्मत

5.1. सामान्य प्रतिबद्धताएँ

5.1.1. प्रत्येक पक्षकार:—

5.1.1.1. अपने तंत्र के प्रचालन तथा उसकी संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा;

5.1.1.2. यह सुनिश्चित करेगा कि दूसरे पक्षकार को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता, स्वयं को और अपने संबद्धों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के तुलनीय हो;

5.1.1.3. अंतःसंयोजन लिंकों का अनुरक्षण और उनमें उत्पन्न खराबियों की मरम्मत उसी रीति से करेगा, जिस रीति से वह अपने नेटवर्क के भीतर अपने संयंत्र का अनुरक्षण और खराबियों की मरम्मत करता है;

5.1.1.4. दो नेटवर्कों के बीच विभिन्न प्रकार के अंतःसंयोजन लिंकों पर लागू होने वाले सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) मानक अनुसूची 1 में दिए गए हैं।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

5.2. सेवा की गुणवत्ता

5.2.1. पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक अंतःसंयोजन बिंदु (पीओआई) पर उपलब्ध कराई गई संबंधित अंतःसंयोजन सुविधाएँ प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लागू सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) मानकों और संबंधित एजेंसी [दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र (टीईसी)] द्वारा निर्धारित तकनीकी विनिर्देशों के अनुरूप हों। सेवा की सहमत गुणवत्ता, जिसमें सेवा की श्रेणी (जीओएस) भी सम्मिलित है, अनुसूची 1 में दी गई है।

5.3. दोष की सूचना

5.3.1. अंतःसंयोजन संबंधी प्रचालन समस्याओं के लिए दोष सूचना प्रणाली दोनों पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित की जाएगी और समय-समय पर अद्यतन की जाएगी।

5.3.2. प्रत्येक पक्षकार अपने उपभोक्ताओं को सभी दोषों की सूचना अपने दोष सूचना केंद्र को देने की सलाह देगा। यदि किसी गलत केंद्र पर दोष की सूचना प्राप्त होती है, तो शिकायतकर्ता को सही केंद्र के लिए निर्देशित किया जाएगा।

5.3.3. जिस पक्षकार को दोष की सबसे पहले जानकारी होती है, वह दूसरे पक्षकार को उस दोष की तत्काल सूचना देगा।

5.3.4. यदि कोई पक्षकार अपने तंत्र में किसी दोष की पहचान करता है या कोई ऐसा गंभीर दोष उत्पन्न होता है जिसका दूसरे पक्षकार के तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो वह दोष के निवारण के लिए की जा रही कार्रवाई के संबंध में दूसरे पक्षकार को तत्काल सूचित करेगा।

5.4. नेटवर्क की पुनर्बहाली

5.4.1. पक्षकार अपने नेटवर्कों का प्रबंधन इस प्रकार करेंगे कि सेवाओं में व्यवधान न्यूनतम हो और किसी सेवा में व्यवधान या विफलता की स्थिति में, दोनों पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित समय-सारणी के अनुसार, युक्तियुक्त रूप से यथाशीघ्र ऐसी सेवाओं को पुनर्बहाल करेंगे। प्रत्येक पक्षकार अपने नेटवर्क में उत्पन्न ऐसे दोषों, जिनसे दूसरे पक्षकार द्वारा किसी सेवा के प्रदान किए जाने पर प्रभाव पड़ सकता है, का उसी प्रकार प्रबंधन करेगा, उनकी सूचना देगा और उनका निवारण करेगा, जिस प्रकार वह सामान्यतः अपने द्वारा सेवाएँ प्रदान किए जाने को प्रभावित करने वाले समान दोषों के संबंध में करता है।

5.5. प्रचालन अनुदेश

5.5.1. पक्षकार निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर नेटवर्क में विभिन्न प्रकार के दोषों के लिए पारस्परिक रूप से सहमत प्रतिक्रिया समयों की एक श्रृंखला निर्धारित करेंगे और उसे प्रचालन अनुदेशों के रूप में अभिलिखित करेंगे:—

5.5.1.1. नेटवर्क को प्रभावित करने वाले दोषों के निवारण को व्यक्तिगत दोषों के निवारण पर प्राथमिकता दी जाएगी।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

5.5.1.2. प्रत्येक पक्षकार सेवाओं की पुनर्बहाली के लिए उपलब्ध किसी भी स्टैंडबाई क्षमता को स्वतः उपयोग में लाएगा और/या आवश्यक नेटवर्क प्रबंधन कार्रवाई करेगा।

5.5.1.3. प्रत्येक पक्षकार उपकरण संबंधी अलार्मों की निगरानी करेगा और दोष की प्रकृति तथा उसके स्थान की पहचान करने के लिए परीक्षण करेगा तथा जहाँ आवश्यक हो, इस संबंध में दूसरे पक्षकार के साथ सहयोग करेगा।

5.5.1.4. किसी भी नेटवर्क विफलता के दौरान प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार को दोष के निवारण और पुनर्बहाली की प्रगति से निरंतर अवगत कराता रहेगा।

5.5.1.5. यदि किसी पक्षकार द्वारा अस्थायी मरम्मत की जाती है, तो दूसरे पक्षकार को ऐसी मरम्मत की सूचना दी जाएगी। दूसरे पक्षकार को ऐसी अस्थायी मरम्मत के सेवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव और पूर्ण पुनर्बहाली में लगने वाले अनुमानित समय की भी सूचना दी जाएगी।

5.6. नियोजित अनुरक्षण कार्य

5.6.1. प्रत्येक पक्षकार ऐसे किसी नियोजित अनुरक्षण कार्य, जिसका दूसरे पक्षकार के तंत्र पर प्रभाव पड़ सकता है, की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व देगा।

5.6.2. प्रत्येक पक्षकार व्यवधान को न्यूनतम करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा और जहाँ संभव हो, वैकल्पिक रूटिंग उपलब्ध कराई जाएगी। नेटवर्क अभिकल्पना और लिंक अभियांत्रिकी में ऐसी अतिरिक्त क्षमता (रिडंडेंसी) होगी कि किसी भी नियोजित कार्य के दौरान निर्धारित सेवा की गुणवत्ता बनाए रखी जा सके।

6 अनुच्छेद 6 – तकनीकी विनिर्देश और मानक

6.1. राष्ट्रीय मानक

6.1.1. सेवा प्रदाताओं के नेटवर्कों और तंत्रों के बीच अंतःसंयोजन, दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय मानकों तथा भारत में दूरसंचार सेवाओं पर लागू नियमों और विनियमों के अनुरूप होगा। दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय मानकों, नियमों और विनियमों के अभाव में, वे संबंधित आईटीयू संस्तुतियों के अनुरूप होंगे।

6.2. सिग्नलिंग और सिंक्रोनाइजेशन

6.2.1. अंतर-नेटवर्क सिग्नलिंग, आईपी आधारित अंतःसंयोजन के लिए दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र द्वारा जारी तकनीकी मानकों पर आधारित होगी। दोनों पक्षकार इन मानकों का अनुपालन करेंगे। तंत्रों को राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए अपेक्षित रीति से सिंक्रोनाइज किया जाएगा।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

6.3. इंटरफेस का अनुमोदन

6.3.1. कोई भी पक्षकार ऐसे किसी उपकरण को अपने तंत्र से नहीं जोड़ेगा या जानबूझकर जोड़ने की अनुमति नहीं देगा, जिसे ऐसे पक्षकार के तंत्र से जोड़ने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो। दोनों पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि पीओआई पर उपकरण राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हों।

6.4. पारेषण मानक

6.4.1. नेटवर्क अंतःसंयोजन के लिए सामान्य इंटरफेस आईपी आधारित होगा। पक्षकार सर्किट-स्विच्ड ट्रैफिक को दूसरे पक्षकार के दूरसंचार नेटवर्कों पर भेजने से पूर्व उसे आईपी आधारित ट्रैफिक में परिवर्तित करेंगे। पक्षकार ई1/टीडीएम आधारित अंतःसंयोजन से आईपी आधारित अंतःसंयोजन में माइग्रेशन, दूरसंचार अंतःसंयोजन (तृतीय संशोधन) विनियम, 2026 में विनिर्दिष्ट समय-सीमा से अनधिक विलंब के बिना पूरा करेंगे।

6.5. ध्वनि निष्पादन

6.5.1. दूरसंचार नेटवर्क पर ध्वनि, दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र द्वारा जारी मानकों के अनुरूप होगी। ऐसे मानकों के अभाव में, दोनों पक्षकार संबंधित अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) की संस्तुतियों का अनुपालन करेंगे।

6.6. पीएसटीएन/पीएलएमएन/वीओआईपी अंतरप्रचालनीयता मानक

6.6.1. सर्किट-स्विच्ड नेटवर्कों और आईपी आधारित नेटवर्कों के बीच अंतरप्रचालनीयता के लिए, इंटरफेस केंद्र सरकार/प्राधिकरण द्वारा जारी संबंधित राष्ट्रीय मानकों या दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा। मीडिया गेटवे, सिग्नलिंग गेटवे और गेटकीपर दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र द्वारा जारी मानकों के अनुरूप होंगे। ऐसे मानकों के अभाव में, संबंधित अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की संस्तुतियाँ लागू होंगी।

7 अनुच्छेद 7 – नेटवर्क प्रबंधन, अनुरक्षण और मापन

7.1. दोनों पक्षकार, जब तक कि पारस्परिक रूप से अन्यथा सहमति न हो, प्रयुक्त प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिए बिना, अंतःसंयोजन बिंदु के अपने-अपने पक्ष में सभी अंतःसंयोजन सुविधाएँ उपलब्ध कराएँगे, स्थापित करेंगे, उनका परीक्षण करेंगे, उन्हें प्रचालन में लाएँगे और उनका अनुरक्षण करेंगे। पक्षकार अंतःसंयोजन के प्रयोजन के लिए अपने परिसर में स्थापित दूसरे पक्षकार के उपकरण को प्रचालन में बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक सावधानियाँ बरतेंगे और ऐसे उपकरण को उपलब्ध कराने, उसका अनुरक्षण करने या उसकी निगरानी करने के प्रयोजनों के लिए दूसरे पक्षकार के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि को ऐसे उपकरण तक एक्सेस की अनुमति भी देंगे।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

7.2. प्रत्येक पक्षकार अपने नेटवर्क के ट्रैफिक प्रबंधन और सुविधा प्रबंधन को दक्षतापूर्वक सुनिश्चित करने के लिए अपने नेटवर्क के लिए विनिर्दिष्ट नेटवर्क प्रबंधन तंत्र का उपयोग करेगा। विशेष रूप से, वह अन्य अंतःसंयोजित तंत्रों पर अतिभार को रोकने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ करेगा।

7.3. नियोजित नेटवर्क प्रबंधन तंत्र गैर-अंतर्वेधी होगा।

7.4. प्रत्येक पक्षकार, नेटवर्क की अखंडता बनाए रखने के लिए, अपने नेटवर्क या नेटवर्क प्रबंधन तंत्र से उत्पन्न किसी भी सिग्नल को दूसरे पक्षकार के नेटवर्क में व्यतिकरण करने से रोकेगा।

7.5. प्रत्येक पक्षकार ट्रैफिक और लिंक का मापन करेगा तथा ट्रैफिक निष्पादन में किसी पूर्वानुमानित गिरावट के संबंध में, सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) में गिरावट के रूप में उसके प्रकट होने से पूर्व, दूसरे पक्षकार को सूचित करेगा, ताकि दूसरा पक्षकार किसी तीसरे प्रचालक के नेटवर्क के माध्यम से ट्रैफिक के विपथन या पुनः रूटिंग के लिए कोई व्यवहार्य कार्रवाई प्रारंभ कर सके।

8 अनुच्छेद 8 – नेटवर्क अखंडता, सुरक्षा, संरक्षा और संरक्षण

8.1. सामान्य सिद्धांत

8.1.1. दोनों पक्षकार पर्याप्त संरक्षण और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने पर सहमत हैं।

8.2. नेटवर्क अखंडता का अनुरक्षण

8.2.1. किसी नेटवर्क की अखंडता से उसके तंत्रों की अपनी मूल प्रचालन अवस्थाओं को बनाए रखने और संरक्षित रखने तथा अन्य नेटवर्कों के साथ अंतःसंयोजन से अप्रभावित रहने की क्षमता अभिप्रेत है। दोनों पक्षकार नेटवर्क की अखंडता बनाए रखने पर सहमत हैं। प्रत्येक पक्षकार यह सुनिश्चित करेगा कि:—

8.2.1.1. संयोजक नेटवर्क के माध्यम से ऐसे किसी सिग्नलिंग संदेश के संप्रेषण को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएँ, जो राष्ट्रीय विनिर्देशों के अनुरूप न हो;

8.2.1.2. राष्ट्रीय विनिर्देशों के अनुरूप न होने वाले सिग्नलों का पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग कार्यों और गैर-अनुपालक संदेशों को अस्वीकार करने की प्रभावी व्यवस्था स्थापित की जाए।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

8.3. सुरक्षा

8.3.1. प्रत्येक पक्षकार अपने नेटवर्क की सुरक्षा के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय लागू करेगा कि अंतःसंयोजन के माध्यम से कोई संवेदनशीलता, खतरा या सुरक्षा जोखिम दूसरे पक्षकार के नेटवर्क में प्रसारित या अंतरित न हो।

8.4. संरक्षा और संरक्षण

8.4.1. दोनों पक्षकार पर्याप्त संरक्षण और संरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने पर सहमत हैं। प्रत्येक पक्षकार नेटवर्क के अपने पक्ष के सुरक्षित प्रचालन के लिए उत्तरदायी होगा और, जहाँ तक युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा कि नेटवर्क का उसका पक्ष और उसके नेटवर्क प्रचालन:—

8.4.1.1. दूसरे पक्षकार के कर्मचारियों और ठेकेदारों सहित किसी भी व्यक्ति की संरक्षा या स्वास्थ्य को खतरे में न डालें; और

8.4.1.2. दूसरे पक्षकार के नेटवर्क को कोई भौतिक या तकनीकी क्षति न पहुँचाएँ, जिसमें प्रचालनों को क्षति पहुँचाना, उनमें व्यतिकरण करना या उनमें गिरावट उत्पन्न करना सम्मिलित है, किंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

8.4.2. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि किसी पक्षकार के नेटवर्क में ट्रैफिक के पारेषण के लिए विद्युत आपूर्ति (पावर फीडिंग) अपेक्षित हो, तो न केवल उपकरण की संरक्षा बल्कि उसका अनुरक्षण करने वाले कार्मिकों की संरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में, फीडिंग वोल्टेज के आकस्मिक मानवीय स्पर्श से संबंधित संरक्षा अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के संबंधित दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का संदर्भ लिया जाएगा।

9 अनुच्छेद 9 – अन्य सुविधाएँ और उपभोक्ता सेवाएँ

9.1. अन्य सुविधाएँ

9.1.1. प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार और उसके उपभोक्ताओं को अपनी सेवाओं/सुविधाओं तक एक्सेस प्रदान करने पर सहमत है, जिसके लिए ऐसी सेवा के संबंध में प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट शुल्क या प्रभार अथवा अन्यथा पारस्परिक रूप से तय किए गए शुल्क या प्रभार लागू होंगे। ऐसी सेवाओं और सुविधाओं के लिए सभी शुल्क या प्रभार अनुसूची 2 में सूचीबद्ध किए जाएंगे, जिसमें समय-समय पर संशोधन किया जा सकेगा।

9.2. उपभोक्ता सेवाएँ

9.2.1. प्रत्येक पक्षकार अपने उपभोक्ताओं को विनिर्दिष्ट उपभोक्ता सेवाएँ प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ करने का उत्तरदायी होगा।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

10 अनुच्छेद 10 – अंतःसंयोजन बिलिंग, भुगतान और बैंक गारंटी

10.1. अंतःसंयोजन बिलिंग

10.1.1. प्रत्येक पक्षकार, अंतःसंयोजन प्रभार निर्धारण, बिलिंग और निपटान को आसान बनाने के लिए अपने संबंधित नेटवर्क से गुजरने वाले ट्रैफिक से संबंधित डेटा के संग्रहण, भंडारण और अंतरण की व्यवस्था करेगा। बिलिंग प्रणाली ध्वनि कॉलों और एसएमएस (लघु संदेश सेवा) के लिए कॉल विवरण रिकॉर्ड (सीडीआर) पर आधारित हो सकेगी। उद्गम, समापन, वहन और ट्रांजिट ट्रैफिक के लिए, जैसा लागू हो, एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को भुगतान योग्य अंतःसंयोजन प्रभार और अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संबंधित विनियमों के अनुरूप होंगे।

10.1.2. प्रत्येक पक्षकार पिछले महीने के संबंध में दूसरे पक्षकार को, दूसरे पक्षकार को भेजे गए या उससे प्राप्त सभी प्रभावी ट्रैफिक के लिए देय राशि का बिल/बीजक भेजेगा। इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "प्रभावी ट्रैफिक" से उत्तरित कॉलें और सुपुर्द किए गए एसएमएस अभिप्रेत हैं। ऐसा बिल/बीजक उस महीने, जिसके लिए बिल/बीजक तैयार किया गया है, की समाप्ति के पश्चात् सात कैलेंडर दिनों के भीतर या ऐसी अन्य अवधि के भीतर, जिस पर पारस्परिक रूप से सहमति हो, जारी किया जाएगा। देय राशि के निर्धारण में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—

10.1.2.1. महीने के दौरान प्रबंधित, प्रत्येक अंतःसंयोजन बिंदु के अनुसार ट्रैफिक का मिनटों या उपयोग के मिनटों (एमओयू) में परिमाण और, जैसा लागू हो, एसएमएस की संख्या, जिसे ट्रैफिक के प्रकार, जैसे स्थानीय, लंबी दूरी, अंतरराष्ट्रीय आदि, के अनुसार पृथक-पृथक दर्शाया जाएगा; और

10.1.2.2. ऐसे ट्रैफिक के लिए भुगतान योग्य राशि की गणना भादूविप्रा के संबंधित विनियमों में दी गई दरों पर की जाएगी।

10.1.2.3. इसके अतिरिक्त, जहाँ लागू हो, अन्य सेवाओं और नेटवर्क तत्वों के लिए देय राशियाँ (अनुसूची 2 और अनुसूची 3 देखें) भी दर्शाई जाएँगी।

10.1.2.4. प्रत्येक पक्षकार इस संबंध में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित सभी लागू करों, यदि कोई हों, के भुगतान के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

10.2. भुगतान

10.2.1. प्रत्येक बिलिंग अवधि के लिए निवल राशि का भुगतान संबंधित पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, भुगतान करने वाले पक्षकार द्वारा लागू बिल/बीजक प्राप्त किए जाने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर या पारस्परिक रूप से यथा सहमत अवधि के भीतर किया जाएगा (जिसे "देय तारीख" कहा जाएगा)।

10.2.2. देय तारीख तक भुगतान न की गई किसी राशि पर दंडात्मक ब्याज देय होगा, जो समय-समय पर यथा संशोधित दूरसंचार अंतःसंयोजन विनियम, 2018 के अनुसार होगा और अनुसूची 4 में दर्शाया

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

जाएगा। देय तारीख से भुगतान की तारीख तक परिकलित ऐसा ब्याज संबंधित पक्षकार को भुगतान योग्य होगा। ब्याज की दर पारस्परिक रूप से निर्धारित की जाएगी और वह भारतीय स्टेट बैंक की एक-वर्षीय निधियों की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) से दो प्रतिशत (2%) प्रतिवर्ष अधिक से अधिक नहीं होगी।

10.2.3. यदि बिल जारी करने वाला कोई पक्षकार बाद में यह पाता है कि जारी किए गए बिलों में कुछ प्रभार छूट गए हैं, तो वह ऐसे छूटे हुए प्रभारों को किसी भी बाद के बिल में सम्मिलित कर सकेगा, किंतु संबंधित बिल जारी किए जाने की तारीख से छह महीने के पश्चात् नहीं; उन मामलों को छोड़कर जहाँ समुचित प्राधिकारी द्वारा बाद में अधिसूचित टैरिफ/दरों में परिवर्तन के कारण अतिरिक्त बिलिंग आवश्यक हो जाती है।

10.3. त्रुटियाँ और मिलान

10.3.1. यदि किसी पक्षकार को बिल/बीजक में कोई त्रुटि मिलती है, तो वह दूसरे पक्षकार को उसकी सूचना तत्काल देगा, किंतु ऐसी सूचना बिल जारी किए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर दी जाएगी, और पक्षकार उक्त त्रुटि को सुधारने के लिए लेखाओं में ऐसे आवश्यक समायोजन करेंगे।

10.3.2. ट्रैफिक संबंधी सूचना की शुद्धता या उससे संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में किसी भी असहमति का समाधान दोनों पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से किया जाएगा या असहमत राशि के 50 प्रतिशत का भुगतान करने के पश्चात्, लेखाओं के मिलान और निपटान के लिए मामले को अनुच्छेद 15 में यथा उपबंधित समन्वय समिति को भेजा जाएगा। यदि मिलान नहीं हो पाता है, तो पक्षकार असहमति के समाधान में सहायता के लिए संयुक्त रूप से किसी लेखापरीक्षक का चयन कर सकते हैं। यदि पक्षकार किसी लेखापरीक्षक की नियुक्ति करने में असमर्थ रहते हैं, तो किसी भी पक्षकार द्वारा मामला प्राधिकरण को भेजे जाने पर, प्राधिकरण किसी लेखापरीक्षक की नियुक्ति करेगा या लेखाओं के निपटान के लिए वैकल्पिक उपाय विनिर्दिष्ट करेगा। लेखापरीक्षक की लागत दोनों पक्षकारों द्वारा समान रूप से वहन की जाएगी। मिलान के पश्चात् भुगतान योग्य राशि पर देय तारीख से अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट ब्याज दर पर ब्याज देय होगा।

10.3.3. किसी भी पक्षकार को इस अनुच्छेद के अनुसरण में दूसरे पक्षकार को रिपोर्ट की गई या भुगतान की गई किसी राशि को, पक्षकारों के बीच किसी अन्य दायित्व के अधीन देय राशि के संबंध में मुजरा या प्रतिकर के रूप में समायोजित करके घटाने की अनुमति नहीं होगी।

10.4. बैंक गारंटी

10.4.1. पक्षकार बैंक गारंटी की मांग करने के हकदार होंगे और ऐसी बैंक गारंटी समय-समय पर यथा संशोधित दूरसंचार अंतःसंयोजन विनियम, 2018 के अनुसार होगी।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

10.5. कपट और व्यतिक्रम

10.5.1. पक्षकार कपट के मामलों की जाँच करने, उन्हें न्यूनतम करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। लागू विधियों के अध्यधीन, व्यतिक्रम करने वाले उपभोक्ताओं से संबंधित सूचना दूसरे पक्षकार को उपलब्ध कराई जा सकेगी।

11 अनुच्छेद 11 – वाणिज्यिक निबंधन और शर्तें

11.1. सेवाओं की आपूर्ति

11.1.1. पक्षकार अनुसूची 2 और अनुसूची 3 में सूचीबद्ध कीमतों पर सेवाएँ और सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर सहमत हैं। जहाँ कहीं लागू हो, ऐसी सूचियाँ प्राधिकरण के आदेशों, निदेशों और विनियमों के अनुसार तैयार की जाएँगी। यदि कोई सेवा या सुविधा इस प्रकार सूचीबद्ध नहीं है, तो उसके प्रभार का निर्धारण भादूविप्रा के संबंधित विनियमों में विनिर्दिष्ट लागत-निर्धारण सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा। ऐसी सेवाओं/सुविधाओं की आपूर्ति जिन निबंधनों और शर्तों के अधीन की जानी है, उन्हें भी संबंधित अनुसूची में सम्मिलित किया जाएगा। ऐसी सुविधाओं का उपयोग केवल सहमत प्रयोजन के लिए किया जाएगा और जब तक कि पारस्परिक रूप से अन्यथा सहमति न हो, उन्हें अन्य पक्षकारों को पुनः विक्रय नहीं किया जाएगा। इन सुविधाओं का उपयोग ट्रैफिक के बाईपास के लिए नहीं किया जाएगा।

11.2. तृतीय पक्ष के अधिकार

11.2.1. यह करार एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को सुविधाएँ और सेवाएँ प्रदान किए जाने के संबंध में लागू होने के लिए आशयित है और इसका निर्वचन किसी तृतीय पक्ष को किसी भी प्रकार का अधिकार प्रदान करने वाला नहीं किया जाएगा।

11.3. अंतःसंयोजन प्रभार

11.3.1. अवसंरचना संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अंतःसंयोजन प्रभार और अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार, समय-समय पर जारी किए गए भादूविप्रा के विनियमों के अनुसार होंगे। दोनों पक्षकार, पक्षकारों के बीच साझेदारी की व्यवस्थाओं और अंतःसंयोजन की लागत के संबंध में पारस्परिक रूप से बातचीत कर सहमति बना सकेंगे।

11.4. उन्नयन

11.4.1. राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए अपेक्षित दूरसंचार उपकरणों का कोई भी उन्नयन प्रत्येक पक्षकार द्वारा अपने स्वयं के खर्च पर किया जाएगा।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

11.5. अनन्यता

11.5.1. पक्षकार अपने-अपने लाइसेंस या प्राधिकार में निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार भारत में किसी अन्य लाइसेंस प्राप्त या प्राधिकृत पक्षकार के साथ अंतःसंयोजन कर सकेंगे। कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार से उसकी सुविधाओं के साथ अनन्य आधार पर अंतःसंयोजन करने की अपेक्षा नहीं करेगा।

11.6. आपातकालीन सेवाएँ

11.6.1. अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट प्रत्येक पक्षकार की आपातकालीन सेवाओं तक एक्सेस, भादूविप्रा के संबंधित विनियमों और उनमें निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

11.7. लागू विधि

11.7.1. यह करार भारत गणराज्य की विधियों द्वारा शासित होगा और इसका निर्वचन उन्हीं विधियों के अनुसार किया जाएगा।

11.8. समनुदेशन

11.8.1. इस करार या इसके अधीन किसी अधिकार, हित या दायित्व का समनुदेशन किसी पक्षकार द्वारा इस करार के दूसरे पक्षकार की पूर्व लिखित सहमति के बिना नहीं किया जाएगा।

परंतु यह कि, किसी पक्षकार के विलय, अधिग्रहण, समामेलन, पुनर्गठन या पुनर्संरचना की स्थिति में, यह करार पूर्ण रूप से प्रवृत्त और प्रभावी बना रहेगा तथा, यथास्थिति, उत्तरजीवी, उत्तराधिकारी या परिणामी इकाई पर आबद्धकर और उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा, और ऐसी इकाई इस करार के अधीन संबंधित पक्षकार के सभी अधिकारों, दायित्वों और देयताओं को ग्रहण करेगी तथा उनका निर्वहन करेगी।

11.9. भाषा

11.9.1. यह करार अंग्रेजी भाषा में निष्पादित किया गया है, जो इस करार के अर्थ या निर्वचन से संबंधित सभी विषयों के लिए आबद्धकर और नियंत्रक भाषा होगी।

11.10. अधिकारों का अधित्यजन

11.10.1. इस करार से व्युत्पन्न अधिकारों का कोई अधित्यजन तभी प्रभावी होगा, जब वह लिखित रूप में किया गया हो और विधिवत दूसरे पक्षकार को भेजा गया हो। इस करार के अधीन किसी अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार का प्रयोग करने में किसी पक्षकार की विफलता को ऐसे अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार का अधित्यजन नहीं माना जाएगा।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

11.11. आंशिक अवैधता

11.11.1. यदि सक्षम अधिकारिता वाला कोई न्यायालय इस करार के किसी उपबंध या इसके अधीन किसी दायित्व को अवैध, विधिविरुद्ध या अप्रवर्तनीय मानता है, तो ऐसी अवैधता के संबंध में उस न्यायिक विनिश्चय का कड़ाई से निर्वचन किया जाएगा और उससे इस करार के किसी अन्य उपबंध या इसके अधीन किसी अन्य दायित्व की वैधता, विधिसम्मतता या प्रवर्तनीयता प्रभावित या क्षीण नहीं होगी।

11.12. गैर-भेदभाव

11.12.1. सेवा प्रदाता अंतःसंयोजन प्रभारों के मामले में सेवा प्रदाताओं के बीच कोई भेदभाव नहीं करेंगे।

12 अनुच्छेद 12 – अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार

12.1. उपयोग प्रभार

12.1.1. दोनों पक्षकार एक-दूसरे के ट्रैफिक के उद्गम, समापन, वहन और ट्रांजिट, जैसा लागू हो, के लिए उपयोग प्रभारों का निर्धारण करने हेतु समय-समय पर जारी किए गए भादूविप्रा के संबंधित विनियमों का संदर्भ लेंगे और उनका अनुपालन करेंगे।

13 अनुच्छेद 13 – मूलभूत तकनीकी योजनाएँ

13.1. सामान्य

13.1.1. पक्षकार, यथा लागू, लाइसेंस करारों और प्राधिकारों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, अपने नेटवर्कों पर लागू सीमा तक, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित दूरसंचार संबंधी किसी भी योजना का अनुपालन करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय नंबरिंग योजना और राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना सम्मिलित हैं।

14 अनुच्छेद 14 – गोपनीयता, दायित्व और क्षतिपूर्ति

14.1. प्रत्येक पक्षकार, केवल इस करार के प्रयोजनों के लिए, जैसा कि सहमति हो, लिखित, मौखिक, ग्राफिक या किसी अन्य रूप में ऐसी स्वामित्वाधीन और गोपनीय (तकनीकी या व्यावसायिक) सूचना दूसरे पक्षकार को प्रकट कर सकेगा।

14.2. प्रत्येक पक्षकार यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार के निबंधनों के अनुसार अंतःसंयोजन या दूसरे पक्षकार द्वारा उपयोग के प्रयोजन से उसके द्वारा चालू किए गए/उपलब्ध कराए गए उपकरण, तंत्र और सेवा से संबंधित अन्य वस्तुएँ, किसी तृतीय पक्ष के प्रतिलिप्यधिकार, व्यापार चिह्न या बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन न करें।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

14.3. कोई भी पक्षकार, दूसरे पक्षकार की पूर्व लिखित सहमति के बिना, दूसरे पक्षकार के किसी व्यापार चिह्न, सेवा चिह्न या व्यापार नाम का व्यापार चिह्न, सेवा चिह्न या व्यापार नाम के रूप में उपयोग नहीं करेगा।

14.4. इस करार के अधीन दोनों पक्षकारों के बीच होने वाला सूचना का संप्रेषण, संप्रेषण के समय या तत्पश्चात्, किसी प्रतिलिप्यधिकार, पेटेंट, व्यापार चिह्न या किसी अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार के अधीन किसी अधिकार का प्रदान किया जाना न तो माना जाएगा और न ही इससे ऐसा कोई अधिकार प्रदान किया जाना निहित होगा।

14.5. इस करार में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई भी पक्षकार निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर किसी गोपनीय सूचना को किसी तृतीय पक्ष को प्रकट नहीं करेगा:—

14.5.1. प्रकटीकरण करने वाले पक्षकार द्वारा प्रकटीकरण को लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया हो, उस सीमा तक जिस सीमा तक ऐसा प्राधिकार दिया गया हो; या

14.5.2. प्रकटीकरण इस करार के अधीन असहमतियों के समाधान के लिए नियुक्त किसी लेखापरीक्षक या विशेषज्ञ को किया गया हो; या

14.5.3. प्रकटीकरण किसी लागू विधि, नियम, विनियम या किसी कानूनी या विनियामक प्राधिकरण के निदेश अथवा सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किया गया हो।

14.6. इस करार का प्रत्येक पक्षकार, इस करार के अधीन अंतःसंयोजन से संबंधित किसी सूचना को किसी तृतीय पक्ष को प्रकट करने से पूर्व, दूसरे पक्षकार को सूचित करेगा।

14.7. इस करार का प्रत्येक पक्षकार यह सुनिश्चित करेगा कि एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को उपलब्ध कराई गई सूचना का उपयोग केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाए, जिनके लिए वह प्रकट की गई है।

14.8. ऐसी गोपनीय सूचना को अनुचित प्रकटीकरण से संरक्षित करने के लिए, दोनों पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि ऐसी गोपनीय सूचना तक एक्सेस केवल उन प्राधिकृत कर्मचारियों/अभिकर्ताओं तक सीमित रखा जाएगा, जिन्हें इस करार के निष्पादन के लिए ऐसी गोपनीय सूचना की जानकारी होना आवश्यक हो, और ऐसी गोपनीय सूचना का उपयोग केवल इस करार से संबंधित कार्य या सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

14.9. जिन प्राधिकृत कर्मचारियों/अभिकर्ताओं को संपूर्ण या कोई गोपनीय सूचना प्रकट की जाती है, वे ऐसी सूचना को पूर्णतः गोपनीय रखेंगे और उसे किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं करेंगे। प्रत्येक पक्षकार अपने प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा गोपनीय सूचना के किसी अप्राधिकृत प्रकटीकरण के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसे प्रकटीकरण के संबंध में उसका दायित्व इस करार द्वारा शासित होगा।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

14.10. कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार को किसी तृतीय पक्ष द्वारा किए गए ऐसे दावे, मांग या कार्यवाही के संबंध में क्षतिपूर्ति करने का दायी नहीं होगा, जिसमें यह अभिकथन किया गया हो कि इस करार के अधीन किसी पक्षकार द्वारा किसी सर्किट, उपकरण, तंत्र या सॉफ्टवेयर का उपयोग अथवा किसी सेवा का निष्पादन, उस तृतीय पक्ष के किसी पेटेंट, प्रतिलिप्यधिकार या अन्य स्वामित्वाधीन या बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन या दुरुपयोग है।

14.11. समस्त लिखित गोपनीय सूचना या उसका कोई भाग, जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में समाविष्ट या इलेक्ट्रॉनिक भंडारण माध्यम में धारित लिखित सूचना भी सम्मिलित है, तथा प्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से तैयार किए गए ऐसे विश्लेषण, संकलन, अध्ययन, रिपोर्ट, अन्य दस्तावेज या सामग्री, जो प्रकटीकरण करने वाले पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी गोपनीय सूचना को प्रतिबिंबित करते हों या ऐसी गोपनीय सूचना के आधार पर तैयार किए गए हों, प्रकटीकरण करने वाले पक्षकार द्वारा किसी भी समय ऐसा अनुरोध किए जाने पर या इस करार की अवधि समाप्त होने या इसे समाप्त किए जाने पर, इनमें से जो भी पहले हो, प्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा प्रकटीकरण करने वाले पक्षकार को वापस कर दिए जाएँगे या नष्ट कर दिए जाएँगे। नष्ट किए जाने की स्थिति में, प्राप्तकर्ता पक्षकार, तीस कैलेंडर दिनों के भीतर या पक्षकारों के बीच पारस्परिक रूप से यथा सहमत अवधि के भीतर, प्रकटीकरण करने वाले पक्षकार को लिखित रूप में प्रमाणित करेगा कि ऐसा नष्ट किया जाना पूरा कर लिया गया है। प्राप्तकर्ता पक्षकार ऐसी गोपनीय सूचना का इसके पश्चात् कोई उपयोग नहीं करेगा और न ही ऐसी गोपनीय सूचना को किसी भी रूप में अपने पास रखेगा।

14.12. पक्षकार यह स्वीकार करते हैं कि इस अनुच्छेद के उपबंध, इस करार के अन्य उपबंधों में किसी परिवर्तन, समनुदेशन या समाप्ति के बावजूद, पूर्ण रूप से प्रवृत्त और प्रभावी बने रहेंगे। इस करार के अधीन उपलब्ध कराई गई गोपनीय सूचना की गोपनीयता बनाए रखने का दायित्व तथा इस अनुच्छेद में निहित वचनबंध और दायित्व, इस करार की अवधि समाप्त होने या इसे समाप्त किए जाने की तारीख से दो वर्ष तक प्रभावी बने रहेंगे।

14.13. इस करार के किसी भी प्रावधान के बावजूद और जब तक कि अन्यथा प्रदान न किया हो, पक्षकार इस करार के उन पहलुओं की अंतर्वस्तु, जिनके प्रकाशन को प्राधिकरण ने रोक रखा है, पूर्णतः या अंशतः, किसी भी रीति से किसी तृतीय पक्ष को प्रकट, ज्ञात या उद्घाटित नहीं करेंगे।

14.14. इस करार में यथा उपबंधित के सिवाय, इस करार या इसके निबंधनों से संबंधित कोई समाचार विज्ञप्ति, सार्वजनिक घोषणा या किसी अन्य प्रकार का प्रचार, दूसरे पक्षकार की पूर्व लिखित सहमति के बिना, किसी भी पक्षकार द्वारा नहीं किया या जारी किया जाएगा।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

14.15. प्रत्येक पक्षकार यह अभिस्वीकार करता है कि इस अनुच्छेद के किसी उपबंध का उल्लंघन दूसरे पक्षकार को हानि पहुँचा सकता है।

14.16. इस करार में गोपनीय सूचना की संरक्षा के संबंध में पक्षकारों के बीच संपूर्ण सहमति अंतर्विष्ट है और इस संबंध में पक्षकारों के बीच किए गए सभी पूर्व संसूचनाओं और सहमतियों का यह करार अधिक्रमण करेगा।

14.17. अप्रत्याशित घटना

14.17.1. कोई भी पक्षकार दैवी कृत्य, विद्रोह या नागरिक अव्यवस्था, युद्ध या सैन्य कार्रवाई, राष्ट्रीय आपातकाल, अग्नि, बाढ़, आकाशीय बिजली, विस्फोट, भू-धँसाव या किसी भी प्रकार के औद्योगिक विवाद के कारण हुए इस करार के किसी उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा, भुगतान न करने से संबंधित उल्लंघन को छोड़कर। ऐसी अप्रत्याशित घटना से प्रभावित पक्षकार ऐसी परिस्थितियों और उनके विवरण की सूचना दूसरे पक्षकार को तत्काल देगा। यदि अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप इस करार के अधीन किसी पक्षकार के दायित्व का निष्पादन केवल आंशिक रूप से प्रभावित होता है, तो ऐसा पक्षकार उन दायित्वों के निष्पादन के लिए दायी बना रहेगा, जो ऐसी अप्रत्याशित घटना से प्रभावित नहीं हुए हैं। यदि अप्रत्याशित घटना, सूचना की तारीख से लगातार 90 कैलेंडर दिनों से अधिक की अवधि तक बनी रहती है और प्रभावित पक्षकार को उसके दायित्वों का पूर्णतः या सारवान भाग में निष्पादन करने से निरंतर रोकती है, तो प्रभावित पक्षकार दूसरे पक्षकार को कम से कम 30 कैलेंडर दिनों की लिखित सूचना देकर इस करार को समाप्त करने का हकदार होगा, किंतु वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं होगा। ऐसी समाप्ति समाप्ति से संबंधित अनुच्छेदों के अध्यधीन होगी।

15 अनुच्छेद 15 – संपर्क और समन्वय

15.1. समन्वय समिति

15.1.1. दोनों पक्षकारों के प्रतिनिधियों से मिलकर गठित एक समन्वय समिति, अंतःसंयोजन के कार्यान्वयन, अनुसूचियों में संशोधन, लेखाओं के मिलान आदि से संबंधित सभी पारस्परिक क्रियाकलापों का समन्वय करेगी और करारों के सुचारु कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित विस्तृत प्रक्रियाएँ निर्धारित करेगी। आवश्यकता के अनुसार, समन्वय समिति द्वारा उप-समितियाँ गठित की जा सकेंगी।

16 अनुच्छेद 16 – समाप्ति और पुनर्विलोकन

16.1. समाप्ति

16.1.1. यह करार खंड 1.2.1 में दर्शाई गई अवधि तक प्रवृत्त रहेगा, जब तक कि:—

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

16.1.1.1. कोई पक्षकार, यथास्थिति, भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अधीन लाइसेंस या दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अधीन प्राधिकार धारण करना बंद नहीं कर देता है; या

16.1.1.2. सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा किसी पक्षकार के परिसमापन या विघटन का आदेश पारित नहीं किया जाता है, या ऐसे पक्षकार के लिए किसी रिसीवर या परिसमापक की नियुक्ति नहीं की जाती है, या ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है जिसका तुलनीय प्रभाव हो।

उपर्युक्त किसी भी स्थिति में, यह करार तत्काल समाप्त हो जाएगा।

16.1.2. यह करार किसी भी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को 35 दिनों की सूचना देकर उस स्थिति में भी समाप्त किया जा सकेगा, यदि कोई पक्षकार:—

16.1.2.1. इस करार के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है:परंतु यह कि उल्लंघन करने वाले पक्षकार को उल्लंघन न करने वाले पक्षकार द्वारा उसकी विफलता के संबंध में लिखित रूप में सूचित किया गया हो और उल्लंघन करने वाले पक्षकार ने ऐसी विफलता का बीस (20) कार्य दिवसों के भीतर निवारण नहीं किया हो तथा ऐसी समाप्ति के लिए प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो। यदि उपभोक्ताओं के सामान्य हित को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन किन्हीं शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है, तो अंतःसंयोजन व्यवस्थाओं के विच्छेदन की अंतिम कार्रवाई प्रभावी होने से पूर्व ऐसी शर्तों का पूर्णतः अनुपालन किया जाएगा।

16.1.2.2. अपना कारोबार करना बंद कर देता है।

16.1.3. प्रत्येक पक्षकार, दूसरे पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी उपकरण की पुनर्प्राप्ति के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

16.1.4. इस करार की समाप्ति, ऐसी समाप्ति से पूर्व किसी पक्षकार के अर्जित अधिकारों, देयताओं या दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

16.2. अंतःसंयोजन बिंदु/अंतःसंयोजन का विच्छेदन या अभ्यर्पण

16.2.1. अंतःसंयोजन बिंदु या अंतःसंयोजन का विच्छेदन या अभ्यर्पण, समय-समय पर यथा संशोधित दूरसंचार अंतःसंयोजन विनियम, 2018 द्वारा शासित होगा।

16.3. पुनर्विलोकन

16.3.1. अनुसूचियों और अनुलग्नकों में पारस्परिक सहमति से किसी भी समय किए जा सकने वाले परिवर्तनों के अतिरिक्त, जब कभी लाइसेंस/प्राधिकार की शर्तों या विनियमों में कोई सारवान परिवर्तन होता है, तब इस करार का पारस्परिक सहमति से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा। ऐसे पुनर्विलोकन के परिणामस्वरूप पक्षकार पारस्परिक सहमति से कोई अनुपूरक करने या न करने का विनिश्चय कर सकेंगे।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

17 अनुच्छेद 17 – विवाद

17.1. विवादों का निपटारा

17.1.1. यह समझा और सहमत हुआ है कि पक्षकार इस करार का निष्पादन पारस्परिक सहयोग और सद्भावना की भावना से करेंगे तथा उनके बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान करने का प्रयास करेंगे।

17.1.2. यह वांछनीय है कि किसी विषय को औपचारिक रूप से असहमति के रूप में स्थापित किए जाने से पूर्व, अनुच्छेद 15.1 में निर्दिष्ट समन्वय समिति में उसका समाधान करने का प्रयास किया जाए। समिति ऐसे विषय का 30 दिनों के भीतर समाधान करेगी। असहमति का निपटारा समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 तथा भादूविप्रा के विनियमों/निदेशों/आदेशों के अनुसार किया जाएगा। किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर प्राधिकरण हस्तक्षेप कर सकेगा।

17.1.3. किसी असहमति/विवाद की अवधि के दौरान और उसके समाधान के लंबित रहने तक, कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार को प्रदान की जा रही सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा और न ही ऐसी कोई कार्रवाई करेगा जिससे दूसरे पक्षकार की सेवाओं पर सारवान और प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो।

18 अनुच्छेद 18 – सूचनाएँ

18.1. इस करार में अन्यथा उपबंधित किए जाने के सिवाय, इस करार के अनुसरण में अपेक्षित या अनुमत कोई सूचना, विधिक प्रक्रिया की तामील, याचिका, दावा तथा अन्य पत्राचार लिखित रूप में किया जाएगा और उसे विधिवत किया गया माना जाएगा, यदि वह हाथों-हाथ अथवा डाक, कूरियर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नीचे दिए गए पतों पर पहुँचाया गया हो और उसकी प्राप्ति सत्यापित हो गई हो।

यदि पक्षकार को:

पता: _____

ई-मेल आईडी: _____

ध्यानार्थ:

प्रतिलिपि प्रेषित की जाए:

यदि पक्षकार को:

पता: _____

ई-मेल आईडी: _____

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

ध्यानार्थ:

प्रतिलिपि प्रेषित की जाए:

अथवा ऐसे किसी अन्य पते या व्यक्ति को, जिसे पक्षकारों द्वारा लिखित रूप में इस प्रयोजन के लिए नामित किया गया हो।

इसके साक्ष्यस्वरूप, इस करार के पक्षकारों ने इस करार के प्रारंभ में उल्लिखित दिन और वर्ष को इस करार का निष्पादन किया है।

द्वारा: पक्षकार <कककक>	द्वारा: पक्षकार <खखखख>
नाम:	नाम:
पदनाम:	पदनाम:
दिनांक _____, 202__	

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुसूची 1

अंतःसंयोजन बिंदु

अंतःसंयोजन बिंदुओं की सूची

पीओआई का स्थान	ट्रैफिक का प्रकार	क्यूओएस मानक	टिप्पणियाँ

प्रत्येक पीओआई का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में दिया जाएगा:—

मद	विवरण	टिप्पणियाँ
पीओआई का स्थान	पता	
पीओआई की स्थापना और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी पक्षकार	पक्षकार का नाम और पता	
पीओआई का भौतिक विवरण	उदाहरणार्थ, ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रकार और इंटरफेस विनिर्देश	

टिप्पणी: जब कभी किसी सूचना संबंधी प्रविष्टि में परिवर्तन होता है, दोनों पक्षकार अनुसूची 1 को अद्यतन करेंगे।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुसूची 2

सेवाओं के लिए प्रभार

मद	प्रभार	विवरण/टिप्पणियाँ

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुसूची 3

अवसंरचना तत्वों की साझेदारी के लिए प्रभार और किराया

सुविधा का प्रकार	प्रभार/किराया	विवरण/टिप्पणियाँ

टिप्पणी: सुविधाओं के प्रकारों में भवनों में उपकरण और संयंत्र स्थापित करने के लिए स्थान, टावरों की साझेदारी, लीज्ड लाइन आदि सम्मिलित हो सकते हैं।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुसूची 4

ब्याज दर

देय तारीख तक भुगतान न की गई किसी राशि पर दंडात्मक ब्याज देय होगा, जो दूरसंचार अंतःसंयोजन विनियम, 2018 के अनुसार होगा।

टिप्पणी: ब्याज की दर पारस्परिक रूप से निर्धारित की जाएगी और वह उस वित्तीय वर्ष, जिसमें विनिर्दिष्ट अवधि का अंतिम दिन पड़ता है, के आरंभ में प्रचलित भारतीय स्टेट बैंक की एक-वर्षीय निधियों की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) से दो प्रतिशत (2%) प्रतिवर्ष अधिक से अधिक नहीं होगी।"

12. यथा अंतःस्थापित अनुलग्नक-I के पश्चात् निम्नलिखित अनुलग्नक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"अनुलग्नक-II

संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव दिशानिर्देश

1. परिचय

सेवा प्रदाताओं के नेटवर्कों के अंतःसंयोजन के लिए उनके बीच अंतःसंयोजन करार किया जाना अपेक्षित है। ऐसे करार भारत में दूरसंचार सेवाओं के सुचारु प्रचालन को सुकर बनाएँगे। ऐसे करार वायरलाइन एक्सेस सेवा, वायरलेस एक्सेस सेवा, राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा और/या अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा प्रदान करने वाले सेवा प्रदाताओं के बीच किए जाने अपेक्षित हैं।

सेवा प्रदाताओं को न्यायसंगत करार करने में सहायता प्रदान करने के लिए, बाजार में पर्याप्त शक्ति वाले सेवा प्रदाताओं के लिए अपनी वेबसाइट पर संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव प्रकाशित करना अनिवार्य है। अंतःसंयोजन चाहने वाले द्वारा संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के पश्चात्, अंतःसंयोजन विनियामकीय ढाँचे के अंतर्गत, पारस्परिक रूप से सहमत निबंधनों और शर्तों के आधार पर एक करार किया जाएगा।

सेवा प्रदाताओं को अंतःसंयोजन करार करने के लिए प्राधिकरण की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है। तथापि, एक बार करार किए जाने के पश्चात्, उसे प्रचलित भादूविप्रा विनियमों के अनुसार प्राधिकरण के पास पंजीकृत कराया जाएगा। तथापि, संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव को प्रकाशित किए जाने से पूर्व प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा। जिन सेवा प्रदाताओं का कोई प्रकाशित संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव नहीं है, वे समुचित विधिक और वाणिज्यिक संवीक्षा करने के पश्चात् अपने अंतःसंयोजन करारों का प्रारूप तैयार करने के लिए आदर्श संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव का उपयोग कर सकते हैं।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

इन दिशानिर्देशों के साथ संलग्न आदर्श संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव एक आदर्श करार है, जो किन्हीं दो सेवा प्रदाताओं के नेटवर्कों के अंतःसंयोजन के लिए उनके बीच किए जाने वाले अंतःसंयोजन करार का आधार बनेगा। नेटवर्कों के प्रकार अंतःसंयोजन करार में परिभाषित किए जाएँगे। करार को नेटवर्क के विशिष्ट प्रकार और दोनों सेवा प्रदाताओं की विशेष अपेक्षाओं के अनुरूप संशोधन किया जा सकेगा।

संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव को दो भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात्: (i) मुख्य खंड; और (ii) अनुसूचियाँ और अनुलग्नक। समय के साथ या नेटवर्क के प्रकार के अनुसार परिवर्तित हो सकने वाले मापदंडों को अनुसूचियों और अनुलग्नकों में रखा गया है। इसका आशय यह है कि किसी परिवर्तनशील मापदंड में प्रत्येक परिवर्तन के लिए मुख्य करार में संशोधन करना आवश्यक नहीं होगा। अपेक्षानुसार संबंधित अनुसूची या अनुलग्नक में संशोधन किया जा सकेगा।

2. अनुच्छेद 1

2.1. संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव की स्वीकृति

2.1.1. अंतःसंयोजन चाहने वाला, सेवा प्रदाता को संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव की अपनी स्वीकृति की सूचना देगा। प्रस्ताव की बिना शर्त स्वीकृति के परिणामस्वरूप संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में अंतर्विष्ट निबंधनों और शर्तों के ठीक अनुरूप विधिवत हस्ताक्षरित करार किया जाएगा। संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव की स्वीकृति का पत्र अनुलग्नक-क में दिए गए प्ररूप के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

2.1.2. अंतःसंयोजन चाहने वाला सेवा प्रदाता को यह सूचना भी दे सकेगा कि वह व्यक्तिगत रूप से तैयार किए गए करार के लिए बातचीत करना चाहता है। ऐसी स्थिति में, आगे की बातचीत और सहमति के पश्चात् व्यक्तिगत रूप से तैयार किए गए करार को अपनाए जाने तक, अंतःसंयोजन चाहने वाला अंतरिम आधार पर संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट कीमतों, निबंधनों और शर्तों पर सेवाएँ प्राप्त कर सकेगा। संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव की स्वीकृति का पत्र अनुलग्नक-क में दिए गए प्ररूप के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

2.1.3. समय-समय पर यथा संशोधित अंतःसंयोजन करारों का रजिस्टर विनियम, 1999 के अनुसरण में, पक्षकार इस करार के निष्पादन या इसमें किसी संशोधन की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर, इस करार सहित इसकी अनुसूचियों या अनुलग्नकों तथा इनमें किए गए किसी भी संशोधन को प्राधिकरण के पास दाखिल करेंगे।

2.2. व्याप्ति

अंतःसंयोजन स्थापित हो जाने के पश्चात्, उपभोक्ताओं के हित में यह अपेक्षित है कि सेवाओं को किसी एक पक्षकार द्वारा एकतरफा रूप से बंद न किया जाए। "निर्बाध" पद का प्रयोग इसी संदर्भ में किया गया है और इसका विस्तृत उपबंध समाप्ति से संबंधित खंडों में किया गया है।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

2.3. सेवा(ओं) की परिभाषा

इस करार के प्रयोजनों के लिए, "सेवा(एँ)" पद से केंद्रीय सरकार द्वारा जारी संबंधित लाइसेंस या प्राधिकार के अधीन प्रत्येक सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली दूरसंचार सेवा(एँ) अभिप्रेत हैं। ये निम्नलिखित हैं:—

1. वायरलाइन एक्सेस सेवा
2. वायरलेस एक्सेस सेवा
3. राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा (एनएलडी)
4. अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा (आईएलडी)

2.4. पंजीकरण और प्रारंभ

2.4.1. अंतःसंयोजन करारों को भादूविप्रा के प्रवृत्त विनियमों के अनुसार पंजीकृत किया जाएगा। करार के संबंधित खंड(खंडों) में प्रारंभ की तारीख (प्रभावी तारीख) और करार की अवधि विनिर्दिष्ट की जाएगी।

2.5. पदों की परिभाषा

2.5.1. समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997, भादूविप्रा के विनियमों/निदेशों/आदेशों, यथा लागू दूरसंचार अधिनियम, 2023 या भारतीय तार अधिनियम, 1885, दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों तथा लाइसेंस/प्राधिकार में दी गई परिभाषाओं को आदर्श संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में पुनरुत्पादित किया गया है। संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव से विशेष रूप से संबंधित कुछ परिभाषाएँ भी इसमें सम्मिलित की गई हैं। यदि उपर्युक्त सूचीबद्ध स्रोतों में दी गई परिभाषाओं में कोई भिन्नता हो, तो सूची में पहले आने वाले स्रोत में दी गई परिभाषा अभिभावी होगी।

3. अंतःसंयोजन सिद्धांत

3.1. अंतःसंयोजन के स्तर और समय-सीमाएँ

3.1.1. भादूविप्रा के विनियमों में विनिर्दिष्ट अंतःसंयोजन बिंदु पैरा 3.2.5 की तालिका 1.1, तालिका 1.2 और तालिका 1.3 में दिए गए हैं। अंतःसंयोजन की प्रक्रिया, समय-समय पर यथा संशोधित दूरसंचार अंतःसंयोजन विनियम, 2018 में उपबंधित विभिन्न समय-सीमाओं के अनुसार पूरी की जाएगी।

3.1.2. अंतःसंयोजन से संबंधित वास्तविक विवरण, संबंधित सेवा प्रदाताओं द्वारा गठित समन्वय समिति में निर्धारित किए जाने चाहिए।

3.2. वायरलाइन एक्सेस सेवा और वायरलेस एक्सेस सेवा के इंट्रा-एलएसए दूरसंचार ट्रैफिक तथा लंबी दूरी के दूरसंचार ट्रैफिक के वहन के लिए अंतःसंयोजन, अर्थात् इंट्रा-एलएसए, इंटर-एलएसए और अंतरराष्ट्रीय कॉलों के लिए

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

पीएसटीएन-पीएसटीएन, पीएसटीएन-पीएलएमएन तथा पीएलएमएन-पीएलएमएन ट्रैफिक का अंतःसंयोजन, निम्नानुसार होगा:

3.2.1. वायरलाइन एक्सेस सेवा और वायरलेस एक्सेस सेवा की अंतः-एलएसए कॉलों के दूरसंचार ट्रैफिक को एलएसए स्तर के अंतःसंयोजन बिंदु के माध्यम से रूट किया जाएगा।

3.2.2. एक एलएसए से दूसरे एलएसए तक अंतर-एलएसए ट्रैफिक को सभी गंतव्यों तक कॉलों का पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त या प्राधिकृत सेवा प्रदाता के दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से रूट किया जाएगा।

3.2.3. अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के ट्रैफिक को अंतरराष्ट्रीय नेटवर्कों को आगे पारेषण के लिए अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी गेटवे तक, राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त या प्राधिकृत सेवा प्रदाता के दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से रूट किया जाएगा।

3.2.4. उपर्युक्त पैरा में अंतर्विष्ट उपबंध के होते हुए भी, वायरलाइन एक्सेस सेवा या वायरलेस एक्सेस सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त या प्राधिकृत सेवा प्रदाता और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त या प्राधिकृत सेवा प्रदाता, जहाँ ऐसे दोनों सेवा प्रदाताओं के उपस्थिति बिंदु (पीओपी) एक ही स्टेशन पर स्थित हों, अपने दूरसंचार नेटवर्कों को सीधे अंतःसंयोजित करने से इनकार नहीं करेंगे।

3.2.5. पूर्ववर्ती पैरा में विनिर्दिष्ट अंतःसंयोजन परिदृश्यों के आधार पर, अंतःसंयोजन के संभावित प्रकार निम्नलिखित तालिकाओं, अर्थात् तालिका 1.1, 1.2 और 1.3 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.1 – पीएसटीएन से पीएसटीएन (आने वाले और जाने वाले ट्रैफिक के लिए)

कॉल का प्रकार	अंतःसंयोजन का प्रकार	पीओआई का स्थान
अंतः-एलएसए	एएस-एएस अंतःसंयोजन	एलएसए स्तर पर
अंतर-एलएसए	एएस-एनएलडी अंतःसंयोजन	

तालिका 1.2 – पीएलएमएन से पीएसटीएन, पीएसटीएन से पीएलएमएन और पीएलएमएन से पीएलएमएन (आने वाले और जाने वाले ट्रैफिक के लिए)

कॉल का प्रकार	अंतःसंयोजन का प्रकार	पीओआई का स्थान
अंतः-एलएसए	एएस-एएस अंतःसंयोजन	एलएसए स्तर पर
अंतर-एलएसए	एएस-एनएलडी अंतःसंयोजन	

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

तालिका 1.3 – अंतरराष्ट्रीय कॉलें

(आने वाले और जाने वाले ट्रैफिक के लिए)

कॉल का प्रकार	अंतःसंयोजन का प्रकार	पीओआई का स्थान	टिप्पणियाँ
अंतरराष्ट्रीय जावक कॉलें	एएस-एनएलडी अंतःसंयोजन	एलएसए स्तर पर	एएस और आईएलडी के पीओपी एक ही स्टेशन पर स्थित नहीं हैं।
	एनएलडी-आईएलडी अंतःसंयोजन	अंतरराष्ट्रीय कॉलों को आईएलडी गेटवे को हस्तांतरित करने के लिए एनएलडी	
	एएस-आईएलडी अंतःसंयोजन	एएस और आईएलडी के पीओपी	जहाँ एएस का पीओपी और आईएलडी का पीओपी एक ही स्टेशन पर स्थित हों, वहाँ न तो एएस और न ही आईएलडी अपने नेटवर्कों को सीधे अंतःसंयोजित करने से इनकार करेगा।
अंतरराष्ट्रीय आवक कॉलें	आईएलडी-एनएलडी अंतःसंयोजन	अंतरराष्ट्रीय कॉलों को एनएलडी को हस्तांतरित करने के लिए आईएलडी गेटवे	एएस और आईएलडी के पीओपी एक ही स्टेशन पर स्थित नहीं हैं।
	एनएलडी-एएस अंतःसंयोजन	एलएसए स्तर पर	
	आईएलडी-एएस अंतःसंयोजन	एएस और आईएलडी के पीओपी	जहाँ एएस का पीओपी और आईएलडी का पीओपी एक ही स्टेशन पर स्थित हों, वहाँ न तो एएस और न ही आईएलडी अपने नेटवर्कों को सीधे अंतःसंयोजित करने से इनकार करेगा।

3.3. अंतःसंयोजन सुविधाओं की साझेदारी

3.3.1. सेवा प्रदाता, करार के निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन, अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ पारेषण लिंक स्थापित करने आदि के लिए, अंतःसंयोजन अवसंरचना, जैसे भवन में उपलब्ध स्थान, विद्युत आपूर्ति, डक्ट, ओएफसी जैसे पारेषण माध्यम, उपकरण आदि, की साझेदारी कर सकेंगे।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

4. अंतःसंयोजन बिंदु का विवरण

4.1. अंतःसंयोजन बिंदु का संपूर्ण विवरण 'आदर्श संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव' में दी गई अनुसूची 1 में दर्ज किया जाएगा। इसमें पीओआई का स्थान, भौतिक विवरण, तकनीकी विवरण, सेवा की गुणवत्ता और अन्य मापदंड सम्मिलित होंगे।

5. नेटवर्क तत्व और अवसंरचना

5.1. कोई सेवा प्रदाता भवनों और टावरों में स्थान, विद्युत आपूर्ति, लीज्ड सर्किट, लीज्ड स्विच क्षमता आदि जैसे नेटवर्क तत्व उपलब्ध करा सकेगा। इन तत्वों के लिए पारस्परिक रूप से सहमत सभी किराया प्रभारों को अनुसूची 3 में सम्मिलित किया जाएगा।

6. अंतःसंयोजन का कार्यान्वयन

6.1. समय-समय पर यथा संशोधित दूरसंचार अंतःसंयोजन विनियम, 2018 में प्रारंभिक अंतःसंयोजन तथा बाद में अंतःसंयोजन क्षमता में वृद्धि, दोनों के लिए क्षमता की मांग करने की स्पष्ट प्रक्रियाएँ निर्धारित की गई हैं। अंतःसंयोजन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए विशिष्ट समय-सीमाएँ विनिर्दिष्ट की गई हैं।

6.2. उपर्युक्त विनियमों में अधिकतम समय-सीमाएँ निर्धारित की गई हैं; तथापि, मार्गदर्शक सिद्धांत यह है कि जहाँ क्षमता उपलब्ध हो, वहाँ युक्तियुक्त अनुरोधों को अनुरोधित समय-सारणी के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए। इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विषय का सौहार्दपूर्ण समाधान, करार के अधीन गठित दोनों सेवा प्रदाताओं की समन्वय समिति द्वारा किए जाने की अपेक्षा है।

6.3. यद्यपि अंतःसंयोजन के लिए भुगतान करने की अपेक्षा अंतःसंयोजन चाहने वाले से की गई है, तथापि, अंतःसंयोजन स्थापित हो जाने के पश्चात् प्रत्येक सेवा प्रदाता अपने जावक ट्रैफिक के लिए सेवा की गुणवत्ता बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा। अतः वह अपने जावक ट्रैफिक के लिए अपेक्षित अतिरिक्त क्षमता के लिए भुगतान करेगा। तथापि, सेवा प्रदाता दोनों दिशाओं के ट्रैफिक के लिए लीज्ड लाइन जैसे साझा घटकों की लागत को समान रूप से साझा करने के लिए पारस्परिक रूप से बातचीत कर सहमति बना सकेंगे।

6.4. अंतःसंयोजन क्षमता का उपयोग और उसकी क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता का निर्धारण उपर्युक्त विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

7. नेटवर्क अभियांत्रिकी

7.1. आदर्श संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में 'नेटवर्क और पारेषण अपेक्षाएँ' शीर्षक वाले अनुच्छेद में ट्रैफिक और नेटवर्क अभियांत्रिकी के लिए ढांचा निर्धारित किया गया है। चूँकि अंतःसंयोजन दो नेटवर्कों के बीच कनेक्टिविटी स्थापित करता है, इसलिए अंतःसंयोजन बिंदु पर अधिकतम ट्रैफिक का उपयोग क्षमता निर्धारण और नेटवर्क अभियांत्रिकी के लिए किया जाना चाहिए।

7.2. सेवा प्रदाताओं को नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने और नेटवर्क की प्रत्यास्थता को सुदृढ़ करने के लिए वैकल्पिक रूटिंग व्यवस्थाएँ अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। संकुलन या लिंक विफलता की अवधि के दौरान बैकबोन लिंकों पर अतिभार को रोकने के लिए बैकबोन रूटों की अभिकल्पना में पर्याप्त सुरक्षा मार्जिन बनाए रखा जाएगा।

8. तकनीकी विनिर्देश और मानक

8.1. दूरसंचार विभाग के दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र (टीईसी) द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन किया जाएगा। अंतःसंयोजन करार में सभी लागू मानकों की सूची सम्मिलित की जानी चाहिए।

8.2. राष्ट्रीय मानकों के अभाव में, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जाना चाहिए। यदि अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के मानक भी उपलब्ध न हों, तो संबंधित अंतरराष्ट्रीय उद्योग मानकों को लागू किया जा सकेगा।

9. नेटवर्क अखंडता

9.1. नेटवर्क अखंडता से किसी दूरसंचार नेटवर्क की आशयित रूप से कार्य करने तथा अन्य नेटवर्कों के साथ अंतःसंयोजित होने पर विश्वसनीय प्रचालन बनाए रखने की क्षमता अभिप्रेत है। सेवा प्रदाताओं के बीच अंतःसंयोजन के लिए नेटवर्क अखंडता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अलग-अलग नेटवर्कों और तंत्रों का समुचित कार्यकरण सुनिश्चित होता है। सुरक्षित और विश्वसनीय अंतःसंयोजन के लिए नेटवर्क अखंडता एक मूलभूत सिद्धांत है।

10. अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार

10.1. उद्गम प्रभार, समापन प्रभार, ट्रांजिट प्रभार और वहन प्रभार जैसे सभी प्रकार के अंतःसंयोजन उपयोग प्रभार, जैसा लागू हो, समय-समय पर यथा संशोधित भादूविप्रा के संबंधित विनियमों के अनुसार होंगे।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

11. बिलिंग और अंतर-वाहक प्रभार निर्धारण

11.1. प्रत्येक सेवा प्रदाता सामान्यतः अपने उपभोक्ताओं की बिलिंग के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा; तथापि, लंबी दूरी सेवा प्रदाताओं को अपनी सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं की बिलिंग की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। वे या तो सीधे बिल जारी कर सकते हैं या अपनी ओर से बिल जारी करने और राजस्व एकत्र करने के लिए एक्सेस सेवा प्रदाताओं के साथ पारस्परिक रूप से व्यवस्था कर सकते हैं।

जहाँ कहीं कॉलों के वहन में दो या अधिक सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क शामिल होते हैं, वहाँ उपभोक्ता से एकत्र की गई राशि को सहमत आधार पर वितरित किया जाएगा। सहमत व्यवस्थाओं का वर्णन करार में किया जाएगा और सहमत प्रक्रियाओं को करार के उपयुक्त अनुलग्नक में रखा जाएगा।

12. वाणिज्यिक निबंधन और शर्तें

12.1. आदर्श संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में 'वाणिज्यिक निबंधन और शर्तें' शीर्षक वाला अनुच्छेद वाणिज्यिक निबंधनों और शर्तों को निर्धारित करता है और, जैसा लागू हो, भादूविप्रा के संबंधित विनियमों पर आधारित होगा। दोनों सेवा प्रदाता अपने अंतःसंयोजन करार में पारस्परिक रूप से सहमत वाणिज्यिक निबंधनों और शर्तों को सम्मिलित करेंगे।

सेवा की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अंतःसंयोजित नेटवर्कों के उन्नयन और/या संशोधन की लागत अंतःसंयोजन चाहने वाले सेवा प्रदाता द्वारा वहन की जाएगी। तथापि, सेवा प्रदाताओं के बीच अंतःसंयोजित नेटवर्कों के उन्नयन और/या संशोधन की लागत की साझेदारी के लिए पारस्परिक रूप से तय की गई व्यवस्थाओं की अनुमति होगी।

13. समन्वय और असहमति का समाधान

13.1. अंतःसंयोजित नेटवर्कों के बीच तकनीकी या वित्तीय प्रकृति के प्रचालन संबंधी मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे मुद्दों को विवाद का रूप लेने से रोकने के लिए, उनका समाधान सर्वप्रथम सेवा प्रदाताओं के बीच समन्वय समिति की बैठकों में औपचारिक विचार-विमर्श के माध्यम से किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

दोनों सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों से मिलकर गठित एक औपचारिक समन्वय समिति करार के अधीन स्थापित की जानी चाहिए, जो अनुभव के आधार पर विस्तृत प्रक्रियाएँ तैयार करे, मतभेदों का समाधान करे और, जहाँ आवश्यक हो, विनियमों के निर्वचन के संबंध में भादूविप्रा का मार्गदर्शन प्राप्त करे।

यदि समिति किसी समाधान पर पहुँचने में असमर्थ रहती है, तो सेवा प्रदाता समाधान के लिए उपलब्ध अन्य उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

14. समाप्ति और पुनर्विलोकन

14.1. अंतःसंयोजन करार के करार में उल्लिखित अवधि तक प्रवृत्त रहने की अपेक्षा है। कुछ परिस्थितियों में अंतःसंयोजन करार को निलंबित या समाप्त करना आवश्यक हो सकता है। करार के संबंधित पैरा में इन मामलों से संबंधित शर्तें निर्धारित की जाएँगी। तथापि, उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही सेवाओं को बंद करने के लिए प्राधिकरण की अनुमति अपेक्षित होगी।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुलग्नक-क

संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव की स्वीकृति का पत्र

सं. _____ दिनांक: _____

सेवा में,

विषय: संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव की स्वीकृति

महोदय,

1. हमें निम्नलिखित दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए लाइसेंस/प्राधिकार प्राप्त है:—

2. (i) हम भादूविप्रा के संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव दिशानिर्देश (अनुलग्नक-II) के खंड 2.1.1 के अनुसार आपके प्रकाशित संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना देते हैं।

या

(ii) हम भादूविप्रा के संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव दिशानिर्देश (अनुलग्नक-II) के खंड 2.1.2 के अनुसार व्यक्तिगत रूप से तैयार किए गए करार के निष्पादन तक, आपके प्रकाशित संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना देते हैं।

(जो विकल्प लागू न हो, उसे काट दें)

2. हम आपसे निम्नलिखित अंतःसंयोजन और/या सेवाएँ प्रदान करने का अनुरोध करते हैं:

3. हमारी ओर से नामित संपर्क व्यक्ति है:

भवदीय,

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम और हस्ताक्षर _____

कंपनी का नाम _____

लाइसेंस/प्राधिकार का सेवा क्षेत्र _____"

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India

13. मूल विनियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में "अनुलग्नक-क" शीर्षक को हटा दिया जाएगा।

14. मूल विनियमों के अनुलग्नक-ख और अनुलग्नक-ग को हटा दिया जाएगा।

27/11/2026

(हरिन्द्र कुमार)

सचिव

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

टिप्पणी 1. मूल विनियम फा. सं. 409-10/2002-टी आर ए आई (एफ एन), दिनांक 12.07.2002 (2002 का 2) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

टिप्पणी 2. व्याख्यात्मक ज्ञापन 'दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) (संशोधन) विनियम, 2026' (2026 का 12) के लिए परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों के विश्लेषण को स्पष्ट करता है।

अस्वीकरण: यह दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) (संशोधन) विनियम, 2026 मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) (संशोधन) विनियम, 2026 का हिन्दी अनुवाद है। किसी भी विसंगति के मामले में अंग्रेजी में लिखा गया दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) (संशोधन) विनियम, 2026 मान्य होगा।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) (संशोधन) विनियम, 2026

का

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. परिचय

1.1. दूरसंचार में अंतःसंयोजन से ऐसे वाणिज्यिक और तकनीकी प्रबंध अभिप्रेत हैं, जिनके अधीन प्राधिकृत इकाइयाँ या लाइसेंसधारी अपने दूरसंचार उपकरणों, नेटवर्कों और सेवाओं को जोड़ते हैं, जिससे उनके उपयोगकर्ताओं को अन्य प्राधिकृत इकाइयों या लाइसेंसधारियों के उपयोगकर्ताओं, सेवाओं और नेटवर्कों तक एक्सेस प्राप्त हो सके।

1.2. प्राधिकरण ने दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) विनियम, 2002 (2002 का 2), जिसे 12 जुलाई, 2002 को अधिसूचित किया गया था और जो उसी तारीख को प्रवृत्त हुआ था, का पुनर्विलोकन किया है।

1.3. दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) विनियम, 2002 ने यह सुनिश्चित किया कि सभी लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को बाजार में पर्याप्त शक्ति (एसएमपी) रखने वाले सेवा प्रदाता के साथ अंतःसंयोजन के लिए पारदर्शी, गैर-भेदभावपूर्ण और मानकीकृत निबंधनों तक एक्सेस प्राप्त हो। इस विनियम का उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना था, ताकि प्रमुख प्रचालक अपनी बाजार स्थिति का लाभ उठाकर छोटे या नए प्रवेशकर्ताओं को प्रतिकूल स्थिति में न डाल सकें। बाजार में पर्याप्त शक्ति रखने वाले प्रचालकों के लिए प्रत्येक सेवा और लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र के संबंध में संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव प्रकाशित करना अपेक्षित करके, इस विनियम ने तकनीकी, प्रचालन संबंधी और वाणिज्यिक निबंधनों सहित अंतःसंयोजन करारों के लिए एक ढाँचा प्रदान किया। यह ढाँचा यह सुनिश्चित करके उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा करता है कि दूरसंचार ट्रैफिक को विभिन्न नेटवर्कों के माध्यम से निर्बाध रूप से रूट किया जा सके और इस प्रकार नए प्रचालकों के प्रवेश और विकास को सुकर बनाया जा सके।

1.4. यह व्याख्यात्मक ज्ञापन इन संशोधनों की पृष्ठभूमि, औचित्य और इनके आधारभूत विचारों को स्पष्ट करता है, जिससे हितधारक संबोधित किए गए मुद्दों तथा इन विनियमों को तैयार करने में प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को समझ सकें।

2. भारत में अंतःसंयोजन के विनियामकीय ढाँचे के पुनर्विलोकन की वर्तमान प्रक्रिया

2.1. प्राधिकरण ने दिनांक 3 अप्रैल, 2025 को एक पूर्व-परामर्श पत्र जारी किया और तत्पश्चात् इन विनियमों के विभिन्न पहलुओं पर हितधारकों के विचार प्राप्त करने के लिए दिनांक 10 नवंबर, 2025 को 'अंतःसंयोजन मामलों पर विद्यमान भादूविप्रा विनियमों का पुनर्विलोकन' विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया। हितधारकों से क्रमशः 15

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

दिसंबर, 2025 और 29 दिसंबर, 2025 की विस्तारित अंतिम तारीख तक अपनी लिखित टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। हितधारकों के साथ दिनांक 28 जनवरी, 2026 को एक खुली परिचर्चा आयोजित की गई। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों, हितधारकों द्वारा टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों के माध्यम से प्रस्तुत अभिमतों तथा खुली परिचर्चा के दौरान प्रस्तुत अभिमतों का परीक्षण आगामी पैरा में किया गया है।

3. दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) विनियम, 2002 से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण

3.1. दिनांक 10 नवंबर, 2025 के परामर्श पत्र में, प्राधिकरण ने दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) विनियम, 2002 से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर हितधारकों के विचार मांगे थे। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन में चर्चा किए गए प्रासंगिक मुद्दे निम्नलिखित हैं:—

(क) बाजार में पर्याप्त शक्ति (एसएमपी) का निर्धारण तथा दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) विनियम, 2002 में, यदि कोई हो, संशोधन। बाजार में पर्याप्त शक्ति के निर्धारण के लिए 'सेवाओं' और 'क्रियाकलापों' की विद्यमान श्रेणियों में संशोधन की आवश्यकता।

(ख) बाजार में पर्याप्त शक्ति वाले सेवा प्रदाता द्वारा संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव का प्रकाशन।

(ग) आवश्यक वित्तीय निरुत्साहन ढाँचा।

हितधारकों से प्राप्त प्रस्तुतियों को आगामी खंडों में संक्षेपित किया गया है, जिसके पश्चात् इन मुद्दों पर प्राधिकरण का विश्लेषण और अभिमत दिए गए हैं।

3.2. बाजार में पर्याप्त शक्ति (एसएमपी) के निर्धारण, दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) विनियम, 2002 में संशोधन की आवश्यकता, यदि कोई हो, सेवा प्रदाता द्वारा अपनी वेबसाइट पर संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव के प्रकाशन तथा आवश्यक वित्तीय निरुत्साहन ढाँचे का परीक्षण

3.2.1. इन मुद्दों के संबंध में विद्यमान लाइसेंसिंग ढाँचे, विनियामकीय ढाँचे और दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अधीन दूरसंचार (प्रधान दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकार) नियम, 2026 की, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित पैरा में चर्चा की गई है।

3.2.2. दूरसंचार विभाग द्वारा जारी एकीकृत लाइसेंस के अध्याय IV में, अन्य बातों के साथ-साथ, नेटवर्क अंतःसंयोजन से संबंधित निम्नलिखित उपबंध हैं:—

"27.3 सर्किट स्विच्ड ट्रैफिक के वहन के लिए विभिन्न लाइसेंसधारियों के नेटवर्कों के बीच अंतःसंयोजन सीसीएस सं. 7 (CCS No.7) के राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होगा और आईपी (IP)

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

आधारित ट्रैफिक के वहन के लिए दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र (TEC) द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र (TEC) मानकों के अनुसार तथा नेटवर्कों की तकनीकी व्यवहार्यता और तकनीकी अखंडता के भी अध्यधीन होगा और समय-समय पर ट्राई (TRAI)/लाइसेंसदाता द्वारा जारी अंतःसंयोजन विनियमों/निदेशों/आदेशों के समग्र ढांचे के भीतर होगा। सर्किट स्विच्ड और आईपी (IP) आधारित नेटवर्क के बीच इंटर-नेटवर्किंग के लिए, लाइसेंसधारी मीडिया गेटवे स्विच स्थापित करेगा। इसके अतिरिक्त, लाइसेंसदाता लाइसेंसधारी को अंतःसंयोजन संबंधी मुद्दों पर टीईसी (TEC) द्वारा जारी किसी अन्य तकनीकी मानक को अपनाने का निदेश दे सकेगा।"

3.2.3. दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) विनियम, 2002 में निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं:—

"3.1 बाजार में पर्याप्त हिस्सा या शक्ति वाला सेवा प्रदाता, इस विनियम के जारी होने के 90 दिन के भीतर, और "ट्राई (TRAI)" की पूर्वानुमति सहित, एक संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव (आरआईओ/RIO) प्रकाशित करेगा जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ इस विनियम के अनुलग्नक "B" पर दिए गए प्रतिरूपी या मॉडल RIO पर, एवं अनुलग्नक "C" पर दिए गए मार्गनिर्देशों के आधार पर, समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार, अंतःसंयोजन याने इण्टरकनेक्शन के निमित्त, तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तों का विवरण होगा। सेवा प्रदाता द्वारा इस प्रकार प्रकाशित RIO, के आधार पर ही सारे भावी इण्टरकनेक्शन करार निष्पादित किए जाएंगे।"

तथा

"3.3 किसी सेवा प्रदाता के पास, बाजार में पर्याप्त हिस्सा या शक्ति मानी जाएगी यदि उनका किसी लाइसेंसशुदा दूरसंचार सेवा क्षेत्र में कुल कार्यकलाप का 30% हिस्सा हो। इन सेवाओं को इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया गया है - बुनियादी सेवा, सेलूलर मोबाइल सेवा, राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा, और अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा।"

और "क्रियाकलाप" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:—

"...2(ii) "कार्यकलाप" से, निम्नलिखित में से कोई एक या अनेक शामिल, व अभिप्रेत हैं:

(क) उपभोक्ता आधार

(ख) व्यापारावर्त (टर्न ओवर)

(ग) स्विचिंग क्षमता (कैपेसिटी)

(घ) ट्रैफिक का परिमाण"

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

3.2.4. इसके अतिरिक्त, दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) विनियम, 2002 में 'संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव दिशानिर्देश' शीर्षक वाले अनुलग्नक-ग के पैरा 4.4 और 4.5 में विभिन्न नेटवर्कों के बीच अंतःसंयोजन के स्तरों के संबंध में भी निम्नलिखित उपबंध हैं:—

"PSTN - अंतःसंयोजन (इण्टरकनेक्शन)

सारणी 1.1 - PSTN से PSTN को (बहिर्गामी ट्रैफिक/Outgoing Traffic)

कॉल का प्रकार Type of Call	*अंतःसंयोजन बिन्दु (POI) (Point of Interconnection)*	*टिप्पणी (Remarks)*
स्थानीय (Local)	*उसी SDCA में स्थित, SDCC टैंडम या लोकल एक्सचेंज स्तर पर - परस्पर सहमति के अनुसार*	*BSO – BSO*
इंट्रा-सर्किल लम्बी दूरी (Intra-Circle Long Distance)(नोट 2)	*(i) टर्मिनेटिंग SDCC/ LDCC* *(ii) प्रारंभिक या ओरिजिनेटिंग SDCC/ LDCC यदि BSO के टर्मिनेटिंग एण्ड (या अन्त) पर कोई POI नहीं है।*	*BSO – BSO (दूरांत/Far-end)* *BSO – BSO (उपांत/Near-end)*
इण्टर-सर्किल (Inter-Circle)	*BSO, ओरिजिनेटिंग ट्रैफिक को उसी SDCA में, जिसमें वह ओरिजिनेट हुआ है, SDCC पर हैंडओवर करेगा या, लाइसेंस की शर्तों के अनुसार एवं परस्पर सहमति से, ओरिजिनेटिंग LDCA के LDCC पर हैंडओवर करेगा।*	*BSO से NLDO को (उपांत/Near-end)*
अन्तर्राष्ट्रीय (International)	*BSO, ओरिजिनेटिंग ट्रैफिक को उसी SDCA में, जिसमें वह ओरिजिनेट हुआ है, SDCC पर हैंडओवर करेगा या, लाइसेंस की शर्तों के अनुसार एवं परस्पर सहमति से, ओरिजिनेटिंग LDCA के LDCC पर हैंडओवर करेगा।* *NLDO, अन्तर्राष्ट्रीय ट्रैफिक को ILDO के गेटवे स्विच पर हैंडओवर करेगा* *ILDO के गेटवे स्विच को, यदि ILD गेटवे स्विच*	*BSO से NLDO को (उपांत/Near-end)* *NLDO से ILDO को* *BSO से NLDO को (उपांत/Near-end) - उसी SDCA के ट्रैफिक हेतु*

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

	और BSO के टैंडम/ट्रांजिट स्विच लेवल 1 TAX के उसी केन्द्र (याने स्टेशन) में स्थित हों	

सारणी 1.2 - PSTN से PSTN को (अन्तर्गामी ट्रैफिक/Incoming Traffic)

कॉल का प्रकार (Type of Call)	अंतःसंयोजन बिन्दु (POI) (Point of Interconnection)	टिप्पणी (Remarks)
लोकल या स्थानीय	उसी SDCA में स्थित, SDCC टैंडम या लोकल एक्सचेंज स्तर पर - परस्पर सहमति के अनुसार	BSO – BSO
इंट्रा-सर्किल लम्बी दूरी	(i) टर्मिनेटिंग SDCC/ LDCC (ii) प्रारंभिक या ओरिजिनेटिंग SDCC/ LDCC यदि BSO के टर्मिनेटिंग एण्ड (या अन्त) पर कोई POI नहीं है।	BSO – BSO (दूरांत/Far-end) BSO – BSO (उपांत/Near-end)
इण्टर-सर्किल (Inter-Circle)	NLDO, लाइसेंस की शर्तों के अनुसार एवं परस्पर सहमति से टर्मिनेटिंग ट्रैफिक को लक्ष्य LDCA में SDCC पर या LDCC POI पर हैंडओवर करेगा।	NLDO से BSO को
अन्तर्राष्ट्रीय (International)	लेवल 1 TAX, जहां ILDO गेटवे स्विच स्थित है। NLDO, अन्तर्राष्ट्रीय ट्रैफिक को BSO को या तो टर्मिनेटिंग SDCC पर, यां लाइसेंस की शर्तों के अनुसार एवं परस्पर सहमति से टर्मिनेटिंग LDCC पर हैंडओवर करेगा। टैंडम/ट्रांजिट पर टर्मिनेटिंग लोकल नेटवर्क यदि ILD गेटवे स्विच और एक्सेस प्रदाता के टैंडम/ट्रांजिट स्विच लेवल 1 TAX के उसी स्टेशन पर स्थित हों।	ILDO से NLDO को NLDO से BSO को ILDO से BSO को उसी SDCA में टर्मिनेटिंग ट्रैफिक हेतु

नोट: 1. नए राष्ट्रीय लम्बी दूरी के प्रचालक (NLDO), अपने-अपने नेटवर्क रोल आउट के दायित्वों के अनुसार, जहां भी POP स्थापित नहीं हुआ है वहां कॉल के वितरण या सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए, अन्य NLDO के साथ आवश्यक इण्टरकनेक्शन प्रबंध कर सकते हैं।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

नोट: 2. परस्पर सहमति से, NLDO को इंट्रा-सर्किल ट्रैफिक भी हैंडओवर किया जा सकता है।

पीएलएमएन (मोबाइल) और पीएसटीएन के बीच अंतःसंयोजन

सारणी 2.1 PLMN से PSTN को ट्रैफिक

लाइसेंसशुदा क्षेत्र (Licence Area)	अंतःसंयोजन बिन्दु (POI) (Point of Interconnection)	टिप्पणी (Remarks)
क. मेट्रो (महानगर)		
1. लोकल कॉल	ट्रांजिट एक्सचेंज (टैंडम) लोकल एक्सचेंज परस्पर सहमति से	BSO को
2. इण्टर-सर्किल कॉल	मेट्रो में स्थित निर्दिष्ट लेवल 1 TAX	
3. अंतर्राष्ट्रीय कॉल	NLDO को नामांकित या निर्दिष्ट लेवल 1 TAX अथवा ILDO का गेटवे स्विच यदि ILDO गेटवे स्विच तथा GMSC, लेवल 1 TAX (मेट्रो) के उसी स्टेशन या केन्द्र पर स्थित हों	NLDO/ ILDO द्वारा नामांकित या निर्दिष्ट
ख. सर्किल (Circle)		
1. इंट्रा-सर्किल कॉल	लेवल 1 TAX, LDCA में अन्य LDCA/टर्मिनेशन को दोनों ट्रांजिट हेतु, जहां वह स्थित हो इण्टरकनेक्शन आकांक्षी (चाहने वाले) के अनुरोध पर, लक्ष्य LDCA में टर्मिनेटिंग ट्रैफिक हेतु, लेवल II TAX परस्पर सहमति से, टर्मिनेटिंग ट्रैफिक के लिए, POI को TAX लेवल से नीचे भी दिया जा सकता है	BSO को
2. इण्टर-सर्किल कॉल	ट्रैफिक को, NLDO के निर्दिष्ट गेटवे लेवल I TAX पर, उसके किसी भी गेटवे MSC के जरिये, हैंडओवर किया जा सकता है CMTS प्रदाता, सर्किल के MSC या गेटवे MSC के स्थान पर, LDCA में स्थित POP पर, NLDO को भी ट्रैफिक हैंडओवर कर सकता है	NLDO को

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

	NLDO, टर्मिनेटिंग ट्रैफिक को SDCC पर लक्ष्य LDCA, या, लाइसेंस की शर्तों के अनुसार एवं परस्पर सहमति से, LDCC POI पर हैंडओवर करेगा।	NLDO से BSO को
3. अन्तर्राष्ट्रीय कॉल	ट्रैफिक को, NLDO के निर्दिष्ट गेटवे लेवल I TAX पर, उसके किसी भी गेटवे MSC के जरिये, हैंडओवर किया जा सकता है CMTS प्रदाता, सर्किल के MSC या गेटवे MSC के स्थान पर, LDCA में स्थित POP पर, NLDO को भी ट्रैफिक हैंडओवर कर सकता है। ILDO के गेटवे स्विच को, यदि ILDO का गेटवे स्विच और GMSC, लेवल I TAX के उसी स्टेशन पर स्थित हों	NLDO को ILDO को

नोट 1. नए राष्ट्रीय लम्बी दूरी के प्रचालक (NLDO), अपने-अपने नेटवर्क रोल आउट के दायित्वों के अनुसार, जहां भी POP स्थापित नहीं हुआ है वहां कॉल के वितरण या सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए, अन्य NLDO के साथ आवश्यक इण्टरकनेक्शन प्रबंध कर सकते हैं।

सारणी 2.2 - PSTN से PLMN को ट्रैफिक

लाइसेंसशुदा क्षेत्र (Licence Area)	अंतःसंयोजन बिन्दु (POI) (Point of Interconnection)	टिप्पणी (Remarks)
क. मेट्रो (महानगर)		
1. लोकल कॉल	ट्रांजिट एक्सचेंज (टैंडम) लोकल एक्सचेंज (परस्पर सहमति से)	CMTS प्रदाता को
2. इण्टर-सर्किल कॉल	BSO, कॉल को ओरिजिनेटिंग मेट्रो में NLDO के निर्दिष्ट TAX पर हैंडओवर करेगा ट्रैफिक को, NLDO के निर्दिष्ट लेवल 1 TAX के जरिये, किसी भी GMSC पर हैंडओवर किया जा सकता है	BSO से NLDO को NLDO से CMTS प्रदाता को

सचिव / Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली / New Delhi

	NLDO, मेट्रो/सर्किल में ट्रैफिक को MSC या GMSC के स्थान पर LDCA में स्थित POP पर CMTS प्रदाता को हैंड ओवर कर सकता है।	
3. अंतर्राष्ट्रीय कॉल (बहिर्गामी)	BSO, कॉल को ओरिजिनेटिंग मेट्रो में NLDO के निर्दिष्ट TAX पर हैंडओवर करेगा ILDO के गेटवे स्विच को, यदि ILD गेटवे स्विच और एक्सेस प्रदाता के, टैंडम/ट्रांजिट स्विच लेवल 1 TAX (मेट्रो) के उसी स्टेशन (केन्द्र) पर स्थित हों	BSO से NLDO को BSO से ILDO को (उसी SDCA के ट्रैफिक हेतु उपांत)
(अन्तर्गामी)	ILDO सेलूलर ऑपरेटर के गेटवे MSC पर हैंडओवर करेगा यदि यह गेटवे MSC और ILDO के गेटवे स्विच लेवल 1 TAX (मेट्रो) के उसी स्थान पर स्थित हों ट्रैफिक को, NLDO के निर्दिष्ट लेवल 1 TAX के जरिये, किसी भी GMSC पर हैंडओवर किया जा सकता है NLDO, मेट्रो/सर्किल में ट्रैफिक को MSC या GMSC के स्थान पर LDCA में स्थित POP पर CMTS प्रदाता को हैंड ओवर कर सकता है।	ILDO से CMTS प्रदाता को NLDO से CMTS प्रदाता को
ख. सर्किल (Circle)		
1. इंट्रा-सर्किल कॉल	ओरिजिनेटिंग LDCA का लेवल I TAX या लेवल II TAX या लेवल II TAX पर कोई POI नहीं है तो परस्पर सहमति हो जाने पर CMTS प्रदाता के गेटवे, MSC पर	BSO से CMTS प्रदाता को
2. इण्टर-सर्किल कॉल	BSO, ओरिजिनेटिंग ट्रैफिक को उसी SDCA में, जिसमें वह ओरिजिनेट हुआ है, SDCC पर हैंडओवर करेगा या, ओरिजिनेटिंग LDCA के LDCC पर हैंडओवर करेगा।	BSO से NLDO को

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

	ट्रैफिक को, NLDO के निर्दिष्ट लेवल I TAX के जरिये, किसी भी GMSC पर हैंडओवर किया जा सकता है। NLDO, मेट्रो/सर्किल में ट्रैफिक को GMSC या MSC के स्थान पर LDCA में स्थित POP पर CMTS प्रदाता को हैंडओवर कर सकता है	NLDO से CMTS प्रदाता को
3. अन्तर्राष्ट्रीय कॉल (बहिर्गामी)	BSO, ओरिजिनेटिंग ट्रैफिक को उसी SDCA में, जिसमें वह ओरिजिनेट हुआ है, SDCC पर हैंडओवर करेगा या, ओरिजिनेटिंग LDCA के LDCC पर हैंडओवर करेगा। NLDO, अन्तर्राष्ट्रीय कॉलों को, गेटवे स्विच पर ILDO को हैंडओवर करेगा ILDO के गेटवे स्विच को, यदि ILD गेटवे स्विच और एक्सेस प्रदाता के, टैंडम/ट्रांजिट स्विच लेवल 1 TAX (मेट्रो) के उसी स्टेशन (केंद्र) पर स्थित हों	BSO से NLDO को NLDO से ILDO को BSO से ILDO को (उसी SDCA के ट्रैफिक हेतु उपांत)
(अन्तर्गामी)	ILDO, अन्तर्गामी अन्तर्राष्ट्रीय ट्रैफिक को ILDO के गेटवे स्विच पर, NLDO को हैंडओवर करेगा ट्रैफिक को, NLDO के निर्दिष्ट लेवल I TAX के जरिये, किसी भी गेटवे GMSC पर हैंडओवर किया जा सकता है NLDO, मेट्रो/सर्किल में GMSC या MSC के स्थान पर, LDCA में स्थित POP पर, CMTS प्रदाता को ट्रैफिक हैंडओवर कर सकता है। ILDO सेलूलर ऑपरेटर के गेटवे ट्रैफिक को MSC पर हैंडओवर करेगा यदि यह गेटवे MSC और	ILDO से NLDO को NLDO से CMTS प्रदाता को

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

	ILDO के गेटवे स्विच लेवल I TAX (मेट्रो) के उसी स्थान पर स्थित हों।	*ILDO से CMTS प्रदाता को*

नोट 1. नए राष्ट्रीय लम्बी दूरी के प्रचालक (NLDO), अपने-अपने नेटवर्क रोल आउट के दायित्वों के अनुसार, जहां भी POP स्थापित नहीं हुआ है वहां कॉल के वितरण या सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए, अन्य NLDO के साथ आवश्यक इण्टरकनेक्शन प्रबंध कर सकते हैं।

नोट 2. यदि किसी सर्किल में एक से अधिक लेवल I TAX हों तो अलग-अलग सर्किलों से टर्मिनेटिंग कॉलों के लिए, अलग-अलग लेवल I TAX निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।"

3.2.5. दूरसंचार विभाग द्वारा जारी एकीकृत लाइसेंस के 'एक्सेस सेवा' शीर्षक वाले अध्याय-VIII में, अन्य बातों के साथ-साथ, नेटवर्क अंतःसंयोजन से संबंधित निम्नलिखित उपबंध हैं:—

"6.1 एक सेवा क्षेत्र से दूसरे सेवा क्षेत्र का अंतर-सर्किल ट्रैफिक एनएलडी (NLD) लाइसेंसधारी या एनएलडी सेवा का प्राधिकार रखने वाले एकीकृत लाइसेंसधारी के नेटवर्क के माध्यम से रूट किया जाएगा।

6.2 यह सुनिश्चित करने के लिए कि कॉल सभी गंतव्यों तक पूरी हों, लाइसेंसधारी के लिए सभी पात्र दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (पात्रता का अवधारण सेवा प्रदाता के लाइसेंस करार और समय-समय पर जारी ट्राई (TRAI) के अवधारणों/आदेशों/विनियमों के अनुसार किया जाएगा) के साथ अंतःसंयोजन करना/उन्हें अंतःसंयोजन प्रदान करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, लाइसेंसदाता लाइसेंसधारी को वह प्रक्रिया लागू करने का निदेश दे सकता है जिसके द्वारा उपभोक्ताओं को एनएलडी/आईएलडी (NLD/ILD) ऑपरेटर के माध्यम से अंतर-सर्किल/अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉल करने का स्वतंत्र विकल्प मिल सके।

6.3 अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी का ट्रैफिक लाइसेंसदाता/ट्राई (TRAI) द्वारा समय-समय पर जारी किसी भी मार्गनिर्देश/आदेश/निदेश/विनियम के अनुपालन के अध्यधीन रहते हुए, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्कों को आगे पारेषण हेतु आईएलडी (ILD) सेवा प्रदाता के गेटवे तक, एनएलडी (NLD) सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क के माध्यम से रूट किया जाना चाहिए। तथापि, लाइसेंसधारी उन स्थितियों में आईएलडी (ILD) सेवा लाइसेंसधारी के साथ सीधे अंतःसंयोजन करने से इंकार नहीं करेगा जहां आईएलडी सेवा लाइसेंसधारी का पीओपी (POP) और लाइसेंसधारी के स्विच (GMSC/ट्रांजिट स्विच) लेवल-I टीएएक्स (Level-I TAX) के एक ही स्टेशन पर स्थित हों।"

3.2.6. केंद्रीय सरकार ने दिनांक 23 जून, 2026 की अधिसूचना द्वारा दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अधीन दूरसंचार (प्रधान दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकार) नियम, 2026 जारी किए हैं, जिनके नियम 2(1)(क) में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उपबंध किया गया है:—

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

"..."एक्सेस सेवा" से किसी नई प्राधिकृत इकाई द्वारा उपयोगकर्ताओं को वायरलाइन या वायरलेस दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से ध्वनि या गैर-ध्वनि संदेशों के संप्रेषण के लिए प्रदान की जाने वाली दूरसंचार सेवाएं अभिप्रेत हैं, और "वायरलाइन एक्सेस सेवाएं" तथा "वायरलेस एक्सेस सेवाएं" पद का तदनुसार अर्थ लिया जाएगा;"

3.2.7. केंद्रीय सरकार ने दिनांक 23 जून, 2026 की अधिसूचना द्वारा दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अधीन दूरसंचार (प्रधान दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकार) नियम, 2026 जारी किए हैं, जिनके नियम 4 में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उपबंध किया गया है:—

*"4. **प्रमुख दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकार** —कोई भी व्यक्ति नियम 6 के अधीन केंद्रीय सरकार को आवेदन कर सकता है, ताकि नेटवर्क सेवा ऑपरेटर या वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर या दोनों के रूप में, एक या अधिक दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकार प्राप्त कर सके; ये सेवाएं नीचे विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकार के कार्यक्षेत्र और सेवा क्षेत्र के अधीन होनी चाहिए:*

(क) राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र के लिए एकीकृत सेवा प्राधिकार;

(ख) अनुसूची ख में सूचीबद्ध एक या अधिक सेवा क्षेत्रों के लिए एक्सेस सेवा प्राधिकार;

(ग) अनुसूची ख में सूचीबद्ध एक या अधिक सेवा क्षेत्रों के लिए वायरलाइन एक्सेस सेवा प्राधिकार;

(घ) राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र या अनुसूची ख में सूचीबद्ध एक या अधिक सेवा क्षेत्रों के लिए इंटरनेट सेवा प्राधिकार; और

(ङ) राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र के लिए लंबी दूरी की सेवा प्राधिकार:

परंतु, वायरलाइन एक्सेस सेवा प्राधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन केवल वह व्यक्ति कर सकता है जो ऐसी दूरसंचार सेवा को एक वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर के रूप में प्रदान करने का इच्छुक हो।"

3.2.8. केंद्रीय सरकार ने दिनांक 23 जून, 2026 की अधिसूचना द्वारा दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अधीन दूरसंचार (प्रधान दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकार) नियम, 2026 जारी किए हैं, जिनके भाग ख: एक्सेस सेवा प्राधिकार के अधीन नियम 71 और भाग घ: लंबी दूरी सेवा प्राधिकार के अधीन नियम 79 में क्रमशः, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं:—

*"71. **तकनीकी और प्रचालनात्मक शर्तें**।—(1) निम्नलिखित तकनीकी और प्रचालनात्मक शर्तें प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई पर लागू होंगी, अर्थात्:—*

....

(ख) वह सुनिश्चित करेगी कि एक सेवा क्षेत्र से दूसरे सेवा क्षेत्र का अंतर-सेवा क्षेत्र ट्रैफिक राष्ट्रीय लंबी दूरी नेटवर्क के माध्यम से भेज जाए;

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

(ग) वह सुनिश्चित करेगी कि अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के ट्रैफिक को राष्ट्रीय लंबी दूरी के नेटवर्क के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के गेटवे तक पहुँचाया जाए ताकि आगे विदेशी वाहक के दूरसंचार नेटवर्क तक पहुँचाया जा सके;-;"

"(4)...

(क) वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि कॉल सभी गंतव्यों तक पूरी हो सके, सभी पात्र नई प्राधिकृत इकाइयों या अनुज्ञप्तिधारियों, जिनके पास कोई प्राधिकार या अनुज्ञप्ति है, के दूरसंचार नेटवर्क को इंटरकनेक्ट करेगी और उन्हें इंटरकनेक्शन प्रदान करेगी;-

(ख) वह उन स्थितियों में अपने दूरसंचार नेटवर्क को अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी गेटवे के साथ सीधे इंटरकनेक्ट करने से इनकार नहीं करेगी, जहाँ उसकी उपस्थिति का बिंदु और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवाएँ प्रदान करने का प्राधिकार या अनुज्ञप्ति रखने वाली नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी की उपस्थिति का बिंदु एक ही स्टेशन पर अवस्थित हो;-"

तथा

"79. तकनीकी और प्रचालन शर्तें - (1) प्रत्येक नई प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित तकनीकी और प्रचालन शर्तों का पालन करेगी, अर्थात्:

....(ख) वह सभी प्रकार के वाहक दूरसंचार यातायात के वहन को सुनिश्चित करेगी, जिससे कि सेवाएँ प्रदान करने हेतु प्राधिकार या अनुज्ञप्ति प्राप्त नई प्राधिकृत इकाइयों या अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उपयोक्ताओं को एंड-टू-एंड प्रमुख दूरसंचार सेवाएँ प्रदान की जा सकें।

....(3) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के अधीन तकनीकी और प्रचालन संबंधी शर्तों के अतिरिक्त, निम्नलिखित तकनीकी और प्रचालन संबंधी शर्तें नेटवर्क सेवा ऑपरेटर पर एक पर लागू होंगी, अर्थात्:

(क) वह विदेशी वाहक के परस्पर जुड़े दूरसंचार नेटवर्क को या उससे अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के गेटवे के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के यातायात को रूट करेगा;-

(ख) वह ऐसे अन्य नई प्राधिकृत इकाई या अनुज्ञप्तिधारी के पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के साथ सीधे अपने अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के नेटवर्क को जोड़ने से इनकार नहीं करेगा, जिसके पास अधिगम सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकार या लाइसेंस है, जहां दोनों इकाइयों का पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एक ही स्टेशन पर स्थित है;-

सचिव / Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली / New Delhi

(ग) वह *वाहक* दूरसंचार *यातायात* के वहन के प्रयोजन *हेतु* राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवाएं प्रदान करने *हेतु* प्राधिकार *रखने वाला* या *अनुज्ञप्तिधारी* नई प्राधिकृत इकाइयों या *अनुज्ञप्तिधारियों के लिए अंतर्संबंध* स्थापित करेगा *तथा* प्रदान *कराएगा*; और...."

3.2.9. केंद्रीय सरकार ने दिनांक 23 जून, 2026 की अधिसूचना द्वारा दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अधीन दूरसंचार (प्रधान दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकार) नियम, 2026 जारी किए हैं, जिनके नियम 32 के उप-नियम (2) में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उपबंध किया गया है:—

"(2) *नेटवर्क सर्विस ऑपरेटर किसी अन्य नेटवर्क सर्विस ऑपरेटर लाइसेंसधारक के दूरसंचार नेटवर्क के साथ इंटरकनेक्शन करते समय या पीयरिंग करते समय यह सुनिश्चित करेगा -*

(क) कि इंटरकनेक्शन या पीयरिंग के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम मानकों और इंटरफेस अपेक्षाओं के संबंध में अधिनियम की धारा 19 के अधीन अपेक्षाओं को पूरा करते हैं;

(ख) अधिनियम की धारा 19 के अधीन अधिसूचित मानकों के अनुसार, इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित ट्रैफिक ले जाने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरफेस पर अपेक्षानुसार इंटरकनेक्शन और पीयरिंग स्थापित किया गया है:

परंतु नेटवर्क सेवा प्रचालक किसी अन्य नेटवर्क सेवा प्रचालक या नेटवर्क सर्विस ऑपरेटर अनुज्ञप्तिधारी के दूरसंचार नेटवर्क पर सर्किट स्विच्ड ट्रैफिक भेजने से पहले सर्किट स्विच्ड ट्रैफिक को इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित ट्रैफिक में बदल देगा;

(ग) अंतः संबंध के एक या अधिक बिंदुओं की स्थापना और रखरखाव और पर्याप्त क्षमता की बराबरी के लिए जो कि मानकों और अनुकूलता मूल्यांकन उपायों के अनुरूप संदेशों के प्रसारण और रिसेप्शन के लिए प्रयोजित रूप से आवश्यक है, जैसा कि केंद्रीय सरकार अधिनियम की धारा 19 के अधीन अधिसूचित किया जाता है; और

(घ) वह अंतः संबंध और बराबरी तकनीकी रूप से संगत और प्रभावी है।

(3) *नेटवर्क सेवा प्रचालक केंद्रीय सरकार को किसी अन्य नेटवर्क सेवा प्रचालक अथवा नेटवर्क सर्विस ऑपरेटर अनुज्ञप्तिधारी के साथ किए गए अंतः संबंध और बराबरी का ब्यौरा ऐसे प्रारूप और रीति से उपलब्ध कराएगा और अद्यतन करेगा, जैसा कि पोर्टल पर विनिर्दिष्ट है।*

(4) *वह नेटवर्क सेवा प्रचालक जिसके पास अन्य नेटवर्क* सेवा *प्रचालक या नेटवर्क सर्विस ऑपरेटर अनुज्ञप्तिधारी, जिसका प्राधिकार या अनुज्ञप्ति, निरसन, सरेंडर या समाप्ति का विषय है, वह किसी भी ऐसे अंतः संबंध या बराबरी को काट देगा जहां निरसन, सरेंडर या समाप्ति की प्रभावी तारीख से उसने कोई दूरसंचार संसाधन प्रदान किया है, ऐसे दूरसंचार संसाधनों को वापस ले लेगा।"*

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

3.2.10. परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से इस संबंध में उनके विचार आमंत्रित किए गए थे कि क्या इस संदर्भ में दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) विनियम, 2002 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

3.2.11. अगले प्रश्न में हितधारकों से इस संबंध में विचार मांगे गए थे कि क्या अंतःसंयोजन के प्रयोजन के लिए बाजार में पर्याप्त शक्ति (एसएमपी) का निर्धारण करने हेतु 'सेवाओं' और 'क्रियाकलापों' की विद्यमान श्रेणियों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है और क्या सेवा प्रदाताओं के लिए अपनी वेबसाइट पर संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव का प्रकाशन अनिवार्य किया जाना चाहिए।

3.2.12. एक अन्य प्रश्न में हितधारकों से अनुपालन न किए जाने को रोकने के लिए अंतःसंयोजन विनियमों में आवश्यक वित्तीय निरुत्साहनों तथा उनकी मात्रा के निर्धारण के संबंध में विचार मांगे गए थे।

3.3. **बाजार में पर्याप्त शक्ति (एसएमपी) के निर्धारण, दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) विनियम, 2002 में संशोधन की आवश्यकता, यदि कोई हो, सेवा प्रदाता द्वारा अपनी वेबसाइट पर संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव के प्रकाशन तथा आवश्यक वित्तीय निरुत्साहन ढाँचे के संबंध में हितधारकों के विचार।**

3.3.1. कुछ हितधारकों ने प्रस्तुत किया कि दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) विनियम, 2002 को अब अद्यतन किए जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह केवल निजी प्रचालकों के बाजार में प्रवेश के प्रारंभिक चरण के दौरान, विद्यमान प्रचालकों के साथ अंतःसंयोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक था। दूरसंचार अंतःसंयोजन विनियम, 2018 के लागू होने के साथ, अंतःसंयोजन संबंधी अपेक्षाएँ और समय-सीमाएँ पहले से ही स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं।

3.3.2. इन हितधारकों ने आगे सुझाव दिया कि यदि दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) विनियम, 2002 के कोई मार्गदर्शक सिद्धांत अभी भी प्रासंगिक हैं, तो उन्हें दूरसंचार अंतःसंयोजन विनियम, 2018 में व्यापक, निष्पक्ष, युक्तिसंगत और गैर-भेदभावपूर्ण दिशानिर्देशों के रूप में समाहित किया जा सकता है; साथ ही, एक परिपक्व और प्रतिस्पर्धी दूरसंचार बाजार के अनुरूप, अंतःसंयोजन से संबंधित अधिकांश मामलों को द्विपक्षीय करारों के माध्यम से तय किए जाने की अनुमति दी जा सकती है।

3.3.3. कुछ हितधारकों ने प्रस्तुत किया कि दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) विनियम, 2002 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है, ताकि यह वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। आदर्श संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव को आगामी प्राधिकार ढाँचे के अनुरूप अद्यतन किया जाना चाहिए, जिसमें संशोधित परिभाषाएँ, विधिक संदर्भ तथा विगत दो दशकों के दौरान हुए परिवर्तनों, जैसे

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

तकनीकी प्रगति, विनियामक घटनाक्रम और प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण, को समाहित किया जाना चाहिए। आदर्श संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में एलएसए स्तर पर अंतःसंयोजन को अनिवार्य किया जाना चाहिए। आईपी-आधारित, केंद्रीकृत और वर्चुअलाइज्ड नेटवर्कों की ओर हुए विकास के कारण दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) विनियम, 2002 के कई उपबंध, जैसे पदानुक्रमित रूटिंग और एसडीसीए/एलडीसीए (लघु दूरी प्रभार क्षेत्र/लंबी दूरी प्रभार क्षेत्र) संरचनाएँ, अप्रचलित हो गए हैं तथा आधुनिक ढाँचों के साथ इन्हें बनाए रखने से अनावश्यक पुनरावृत्ति और विनियामक अतिव्यापन उत्पन्न होता है। संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव को पुराने, टीडीएम-केंद्रित प्रारूप से अद्यतन कर एक मॉड्यूलर, प्रौद्योगिकी-निरपेक्ष और आईपी-नेटिव संदर्भ प्रस्ताव के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, जो भारत की विकसित होती दूरसंचार संरचना के अनुरूप हो। संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव संबंधी दिशानिर्देशों में निकट-सिरे (Near-end) और दूर-सिरे (Far-end) पर हैंडओवर की अवधारणाओं को हटाया जा सकता है, क्योंकि एलएसए-आधारित अंतःसंयोजन के अंतर्गत ये प्रासंगिक नहीं हैं।

3.3.4. एक हितधारक ने कहा कि महत्वपूर्ण बाजार शक्ति (एसएमपी) के निर्धारण के संबंध में स्पष्टता के अभाव के कारण ऑपरेटरों को अपने विवेक से स्वयं को एसएमपी युक्त मानने की गुंजाइश मिली हो सकती है। एसएमपी के निर्धारण के लिए किन दस्तावेजों का संदर्भ लिया जाना चाहिए, इस संबंध में भी अनिश्चितता है। अतः इस पहलू को विनियम में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किए जाने की आवश्यकता है।

3.3.5. महत्वपूर्ण बाजार शक्ति (एसएमपी) के निर्धारण के लिए 'सेवाएँ' और 'क्रियाकलाप' की वर्तमान श्रेणियों में संशोधन की आवश्यकता के संबंध में हितधारकों ने भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किए हैं। एक हितधारक ने आईपी-आधारित परिवेश में स्विचिंग क्षमता की प्रासंगिकता का पुनर्विलोकन किए जाने का सुझाव दिया। कुछ हितधारकों ने डेटा ट्रैफिक के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए, 'डेटा ट्रैफिक वॉल्यूम' को एक अतिरिक्त मानदंड के रूप में शामिल किए जाने का सुझाव दिया। कुछ हितधारकों ने कहा कि इन श्रेणियों में संशोधन किया जाना चाहिए तथा एक सरलीकृत और अद्यतन एसएमपी ढाँचा ऐसा होना चाहिए जो विनियामक आनुपातिकता और निष्पक्षता सुनिश्चित करे तथा वर्तमान विधिक ढाँचे के अंतर्गत प्रौद्योगिकीय परिवेश और बाजार संरचनाओं, दोनों को प्रतिबिंबित करे। दूसरी ओर, कुछ हितधारकों ने कहा कि इस स्तर पर अंतःसंयोजन के प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण बाजार शक्ति के निर्धारण हेतु 'सेवाएँ' और 'क्रियाकलाप ' की वर्तमान श्रेणियों में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

3.3.6. कुछ हितधारकों ने प्रस्तुत किया कि दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) विनियम, 2002 में दी गई ट्रैफिक रूटिंग सारणियों (सारणी 1.1, 1.2, 2.1 और 2.2) में व्यापक रूप से संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। ये सारणियाँ एसडीसीए, एलडीसीए और टैक्स की पुरानी स्विचिंग पदानुक्रम व्यवस्था पर आधारित हैं, जो आधुनिक आईपी-आधारित नेटवर्कों के अनुरूप नहीं हैं। रूटिंग ढाँचे को

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

अद्यतन करते हुए एलएसए-स्तरीय अंतःसंयोजन को मानक हैंडओवर बिंदु के रूप में अपनाया जाना चाहिए। इंट्रा-सर्किल और इंटर-सर्किल कॉल परिदृश्यों को एलएसए को मुख्य संदर्भ के रूप में रखते हुए पुनर्परिभाषित किया जाना चाहिए, जिससे रूटिंग व्यवस्था को सरल और आधुनिक बनाया जा सके।

3.3.7. सेवा प्रदाताओं की वेबसाइटों पर संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव के प्रकाशन के संबंध में, कुछ हितधारकों ने कहा कि दूरसंचार उद्योग में पारस्परिकता के सिद्धांतों पर आधारित मानकीकृत अंतःसंयोजन करारों को पहले से ही लागू किया जा रहा है और ऐसे करार सभी प्रतिस्पर्धियों को समान रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं। अतः सेवा प्रदाताओं के लिए अपनी वेबसाइटों पर संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव प्रकाशित करना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। कुछ अन्य हितधारकों ने सेवा प्रदाताओं की वेबसाइटों पर संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव के प्रकाशन का समर्थन किया। उनके अनुसार, सेवा प्रदाताओं के लिए संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव को ऑनलाइन प्रकाशित करना अनिवार्य किए जाने से पारदर्शिता बढ़ती है, गैर-भेदभावपूर्ण एक्सेस सुनिश्चित होता है तथा नए प्रवेशकर्ताओं और छोटे सेवा प्रदाताओं को अंतःसंयोजन के मानक निबंधनों और शर्तों तक त्वरित पहुँच प्राप्त करने में सहायता मिलती है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव नए प्राधिकार ढाँचे के अंतर्गत सभी प्राधिकृत संस्थाओं के लिए समान और न्यायसंगत एक्सेस सुनिश्चित करता है, सूचना विषमता को कम करता है, प्रभावशाली ऑपरेटरों द्वारा अधिमान्य व्यवहार किए जाने की संभावना को रोकता है तथा बातचीत की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को कम करता है, जिससे उद्योग की दक्षता में वृद्धि और उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में कमी लाने में सहायता मिलती है।

3.3.8. एक हितधारक ने प्रस्तुत किया कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा अपनी वेबसाइटों पर संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव का ऑनलाइन प्रकाशन अनिवार्य किया जाना आवश्यक है। तकनीकी, वित्तीय, क्यूओएस, सुरक्षा तथा एसएलए (सेवा स्तर करार) संबंधी विवरणों और संस्करण इतिहास सहित मानकीकृत संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने से गैर-भेदभावपूर्ण एक्सेस सुनिश्चित होता है, विवादों में कमी आती है तथा उपभोक्ताओं का विश्वास सुदृढ़ होता है।

3.3.9. कुछ हितधारकों ने प्रस्तुत किया कि प्राधिकरण ने पूर्व में दूरसंचार टैरिफ आदेश के माध्यम से एसएमपी की परिभाषा में संशोधन प्रस्तावित किया था। तथापि, उक्त संशोधन को कुछ हितधारकों द्वारा चुनौती दी गई थी और यह मामला वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। लंबित न्यायिक कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए, हितधारकों ने प्रस्तुत किया कि इस मुद्दे पर वर्तमान चर्चा को स्थगित किया जा सकता है।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

3.3.10. अनुपालन न किए जाने को हतोत्साहित करने के लिए अंतःसंयोजन विनियमों में वित्तीय निरुत्साहन संबंधी आवश्यक उपबंधों के संबंध में, कुछ हितधारकों ने कहा कि वित्तीय निरुत्साहन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक परिपक्व दूरसंचार बाजार और विद्यमान विनियामक उपबंध, अतिरिक्त दंड के बिना ही अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं। दूसरी ओर, कुछ हितधारकों ने वित्तीय निरुत्साहन की आवश्यकता का समर्थन किया। एक हितधारक ने कहा कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), दोनों प्रकार के ऑपरेटरों द्वारा अनुपालन न किए जाने को हतोत्साहित करने के लिए विनियमों में वित्तीय निरुत्साहन के समुचित उपबंध शामिल किए जाने चाहिए। कुछ अन्य हितधारकों ने अंतर-ऑपरेटर अधिकारों और दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय निरुत्साहन का उपबंध किए जाने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि वित्तीय निरुत्साहन केवल अत्यंत गंभीर मामलों में, सेवा प्रदाताओं को सुनवाई का अवसर दिए जाने और अनुपालन न किए जाने का निर्णायक प्रमाण स्थापित होने के पश्चात ही अधिरोपित किया जाना चाहिए।

3.4. एसएमपी के निर्धारण, दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) विनियम, 2002 में संशोधन की आवश्यकता, यदि कोई हो, सेवा प्रदाता द्वारा अपनी वेबसाइट पर संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव के प्रकाशन तथा आवश्यक वित्तीय निरुत्साहन ढाँचे से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण और प्राधिकरण के विचार।

3.4.1. प्राधिकरण ने इन मुद्दों के संबंध में परामर्श प्रक्रिया के दौरान विभिन्न हितधारकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों, विद्यमान लाइसेंसिंग ढाँचे, विनियामक ढाँचे तथा केंद्र सरकार द्वारा दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत जारी दूरसंचार (प्रधान दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान हेतु प्राधिकरण) नियम, 2026 का परीक्षण किया है।

3.4.2. दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) विनियम, 2002 को वर्ष 2002 में अधिसूचित किया गया था और तब से इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने तथा नेटवर्क परिनियोजन में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए, इस विनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक है। इसकी अधिसूचना के समय विनियामक ढाँचा पुरानी सर्किट-स्विच्ड नेटवर्क व्यवस्था और ई1/टीडीएम-आधारित अंतःसंयोजन संरचना को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। तथापि, तब से दूरसंचार क्षेत्र में पैकेट-स्विच्ड, आईपी-आधारित नेटवर्कों की ओर व्यापक बदलाव हुआ है, जिसके फलस्वरूप अंतःसंयोजन ढाँचे में तदनुरूप परिवर्तन आवश्यक हो गया है। इसके अतिरिक्त, कोर नेटवर्क और अगली पीढ़ी के नेटवर्कों के परिनियोजन, स्विचिंग प्रौद्योगिकियों में हुई प्रगति तथा बाद के विनियामक संशोधनों के माध्यम से लागू किए गए संशोधित अंतःसंयोजन ढाँचों के कारण एसडीसीए और एलडीसीए स्तरों पर अंतःसंयोजन की पुरानी व्यवस्था काफी हद तक अप्रचलित हो गई है। इन घटनाक्रमों के कारण एलएसए स्तर पर अंतःसंयोजन स्थापित किया जाना आवश्यक हो गया है। तदनुसार, दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) विनियम, 2002 में एसडीसीए/एलडीसीए

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

स्तर के अंतःसंयोजन बिंदुओं (पीओआई) पर आधारित उपबंधों में आवश्यक संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, ई1/टीडीएम-आधारित अंतःसंयोजन में एक पीओआई में 2.048 एमबीपीएस की निश्चित क्षमता वाला ई1 लिंक होता है और क्षमता का प्रावधान ऐसे ई1 लिंकों के गुणकों में किया जाता है। ई1/टीडीएम-आधारित अंतःसंयोजन परिवेश में यह व्यवस्था उपयुक्त थी। तथापि, आईपी-आधारित, पैकेट-स्विच्ड नेटवर्कों की ओर माइग्रेशन के साथ, अंतःसंयोजन ईथरनेट या अन्य आईपी-आधारित इंटरफेसों के माध्यम से स्थापित किया जाता है, जो परिवर्तनीय और स्केलेबल बैंडविड्थ को सपोर्ट करते हैं। ई1-आधारित अंतःसंयोजन में लिंक की निश्चित क्षमता के विपरीत, आईपी-आधारित नेटवर्कों में ट्रैफिक की आवश्यकता के अनुसार क्षमता का प्रावधान लचीले और सूक्ष्म स्तर पर किया जा सकता है तथा यह कुछ एमबीपीएस से लेकर कई जीबीपीएस तक हो सकती है।

3.4.3. आदर्श संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव को दूरसंचार अंतःसंयोजन (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026 के अंतर्गत ई1/टीडीएम-आधारित अंतःसंयोजन से आईपी-आधारित अंतःसंयोजन में माइग्रेशन के लिए विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अनुरूप भी किया गया है।

3.4.4. उपर्युक्त के दृष्टिगत, दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) विनियम, 2002 के अनुलग्नक-बी में दिए गए आदर्श संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव तथा अनुलग्नक-सी में दिए गए दिशानिर्देशों में व्यापक परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। अतः अपेक्षित परिवर्तनों को समाहित करते हुए इन अनुलग्नकों को क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II से प्रतिस्थापित करना उपयुक्त होगा।

3.4.5. इसके अतिरिक्त, अंतःसंयोजन करारों तथा उनमें किए गए संशोधनों को प्राधिकरण के पास दाखिल करने की समय-सीमा को अनुलग्नक-II में तीस दिन से संशोधित कर पंद्रह दिन किया गया है, ताकि इसे समय-समय पर यथा संशोधित अंतःसंयोजन करारों का रजिस्टर विनियम, 1999 में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अनुरूप किया जा सके।

3.4.6. संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में वर्तमान में सेवाओं को, अन्य बातों के साथ-साथ, "बेसिक सेवा" और "सेल्युलर मोबाइल सेवाएँ" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तथापि, दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत जारी दूरसंचार (प्रधान दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान हेतु प्राधिकरण) नियम, 2026 में "एक्सेस सेवा" को "वायरलाइन एक्सेस सेवा" और "वायरलेस एक्सेस सेवा" के रूप में परिभाषित और वर्गीकृत किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए, संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में प्रयुक्त विद्यमान शब्दावली को संगति और स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए उक्त नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट नामावली के अनुरूप किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि सेवाओं को वायरलाइन एक्सेस सेवा, वायरलेस एक्सेस सेवा, राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

3.4.7. दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) विनियम, 2002 के अनुलग्नक-सी के पैरा 4.4 और 4.5 में विभिन्न नेटवर्कों के बीच अंतःसंयोजन के स्तर विनिर्दिष्ट किए गए हैं। इन परिदृश्यों पर निम्नलिखित पैरा में चर्चा की गई है।

(क) सारणी 1.1 - पीएसटीएन से पीएसटीएन (निर्गामी ट्रैफिक) - यह सारणी स्थानीय, इंट्रा-सर्किल, इंटर-सर्किल और अंतरराष्ट्रीय पीएसटीएन-पीएसटीएन निर्गामी ट्रैफिक के लिए विनिर्दिष्ट पीओआई निर्धारित करती है। इसमें बेसिक सेवा ऑपरेटरों (बीएसओ), राष्ट्रीय लंबी दूरी ऑपरेटरों (एनएलडीओ) और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी ऑपरेटरों (आईएलडीओ) के बीच ट्रैफिक की रूटिंग के लिए पीओआई संबंधी व्यवस्थाएँ भी विनिर्दिष्ट की गई हैं।

(ख) सारणी 1.2 - पीएसटीएन से पीएसटीएन (आवक ट्रैफिक) - यह सारणी पीएसटीएन से पीएसटीएन आवक ट्रैफिक के संचालन के लिए पीओआई संबंधी व्यवस्था विनिर्दिष्ट करती है। इसमें विभिन्न कॉल परिदृश्यों के लिए बीएसओ और अन्य ऑपरेटरों के बीच अंतःसंयोजन का स्तर भी विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ग) सारणी 2.1 - पीएलएमएन से पीएसटीएन ट्रैफिक - यह सारणी पीएलएमएन से उत्पन्न होकर पीएसटीएन को जाने वाले स्थानीय, इंट्रा-सर्किल, इंटर-सर्किल और अंतरराष्ट्रीय कॉल ट्रैफिक के लिए पीओआई संबंधी व्यवस्था विनिर्दिष्ट करती है। इसमें मोबाइल सेवा प्रदाताओं और बीएसओ, एनएलडीओ तथा आईएलडीओ के बीच ट्रैफिक हैंडओवर की व्यवस्था भी विनिर्दिष्ट की गई है।

(घ) सारणी 2.2 - पीएसटीएन से पीएलएमएन ट्रैफिक - यह सारणी पीएसटीएन से उत्पन्न होकर मोबाइल नेटवर्कों को जाने वाले स्थानीय, इंट्रा-सर्किल, इंटर-सर्किल और अंतरराष्ट्रीय कॉल ट्रैफिक के लिए पीओआई संबंधी व्यवस्था विनिर्दिष्ट करती है। इसमें रूटिंग की व्यवस्थाएँ भी विनिर्दिष्ट की गई हैं, जिनमें निम्नतर पदानुक्रम स्तर पर रूटिंग के विकल्प (टैक्स स्तर से नीचे) भी शामिल हैं।

(ङ) पीएसटीएन से पीएसटीएन संचार के लिए सारणी 1.1 और 1.2 में विनिर्दिष्ट निर्गामी और आवक ट्रैफिक की रूटिंग संबंधी व्यवस्थाओं तथा पीएलएमएन से पीएसटीएन और पीएसटीएन से पीएलएमएन ट्रैफिक को विनिर्दिष्ट करने वाली सारणी 2.1 और 2.2 में, एलएसए-स्तरीय अंतःसंयोजन तथा एसडीसीए/एलडीसीए स्तर के पीओआई बंद किए जाने के दृष्टिगत, आवश्यक परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है।

3.4.8. एलएसए स्तर पर अंतःसंयोजन तथा एसडीसीए/एलडीसीए स्तर के पीओआई बंद किए जाने के दृष्टिगत, इंट्रा-एलएसए, इंटर-एलएसए और अंतरराष्ट्रीय कॉलों के लिए पीएसटीएन-पीएसटीएन, पीएसटीएन-पीएलएमएन तथा पीएलएमएन-पीएलएमएन ट्रैफिक के संबंध में अंतःसंयोजन के प्रकार और पीओआई के स्थान नीचे सारणी 1.1, 1.2 और 1.3 में दिए गए हैं।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

सारणी 1.1 - पीएसटीएन से पीएसटीएन (आवक और निर्गामी ट्रैफिक के लिए)

कॉल का प्रकार	अंतःसंयोजन का प्रकार	पीओआई का स्थान
इंट्रा-एलएसए	एएस-एएस अंतःसंयोजन	एलएसए स्तर पर
इंटर-एलएसए	एएस-एनएलडी अंतःसंयोजन	एलएसए स्तर पर

सारणी 1.2 - पीएलएमएन से पीएसटीएन, पीएसटीएन से पीएलएमएन तथा पीएलएमएन से पीएलएमएन (आवक और निर्गामी ट्रैफिक के लिए)

कॉल का प्रकार	अंतःसंयोजन का प्रकार	पीओआई का स्थान
इंट्रा-एलएसए	एएस-एएस अंतःसंयोजन	एलएसए स्तर पर
इंटर-एलएसए	एएस-एनएलडी अंतःसंयोजन	एलएसए स्तर पर

सारणी 1.3 - अंतरराष्ट्रीय कॉलें
(आवक और निर्गामी ट्रैफिक के लिए)

कॉल का प्रकार	अंतःसंयोजन का प्रकार	पीओआई का स्थान	टिप्पणियाँ
अंतरराष्ट्रीय निर्गामी कॉलें	एएस-एनएलडी अंतःसंयोजन	एलएसए स्तर पर	एएस और आईएलडी के पीओपी एक ही स्टेशन पर स्थित नहीं हैं।
	एनएलडी-आईएलडी अंतःसंयोजन	एनएलडी द्वारा अंतरराष्ट्रीय कॉलें आईएलडी गेटवे को हैंडओवर की जाएँगी।	
	एएस-आईएलडी अंतःसंयोजन	एएस और आईएलडी के पीओपी	जहाँ एएस का पीओपी और आईएलडी का पीओपी एक ही स्टेशन पर स्थित हों, वहाँ न तो एएस और न ही आईएलडी अपने नेटवर्कों को प्रत्यक्ष रूप से अंतःसंयोजित करने से इनकार करेगा।
अंतरराष्ट्रीय आवक कॉलें	आईएलडी-एनएलडी अंतःसंयोजन	आईएलडी गेटवे द्वारा अंतरराष्ट्रीय कॉलें एनएलडी को हैंडओवर की जाएँगी।	एएस और आईएलडी के पीओपी एक ही स्टेशन पर स्थित नहीं हैं।
	एनएलडी-एएस अंतःसंयोजन	एलएसए स्तर पर	

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

	आईएलडी-एएस अंतःसंयोजन	एएस और आईएलडी के पीओपी	जहाँ एएस का पीओपी और आईएलडी का पीओपी एक ही स्टेशन पर स्थित हों, वहाँ न तो एएस और न ही आईएलडी अपने नेटवर्कों को प्रत्यक्ष रूप से अंतःसंयोजित करने से इनकार करेगा।

3.4.9. प्राधिकरण ने दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) विनियम, 2002 में यथा परिभाषित "क्रियाकलाप " के दायरे में किसी संशोधन की आवश्यकता तथा महत्वपूर्ण बाजार शक्ति (एसएमपी) के निर्धारण के प्रयोजन के लिए "सेवाएँ" के वर्गीकरण का परीक्षण किया है। इस संबंध में हितधारकों ने भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किए हैं। जहाँ कुछ हितधारकों ने विद्यमान ढाँचे को विकसित होते प्रौद्योगिकीय परिवेश और बाजार संरचनाओं के अनुरूप बनाने के लिए इसके पुनर्विलोकन और सरलीकरण का सुझाव दिया है, वहीं अन्य हितधारकों ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान ढाँचा अभी भी उपयुक्त है और इसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

3.4.10. हितधारकों द्वारा प्रस्तुत अभिमतों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, प्राधिकरण एसएमपी के निर्धारण के प्रयोजन के लिए "क्रियाकलाप " के अंतर्गत चार मानदंडों को उनकी शब्दावली और मापन में उपयुक्त परिवर्तनों के साथ बनाए रखना उचित समझता है। तदनुसार, "टर्नओवर" को "समायोजित सकल राजस्व" से तथा "स्विचिंग क्षमता" को "नेटवर्क की ध्वनि कॉल प्रबंधन क्षमता" से प्रतिस्थापित किया गया है, जबकि "उपभोक्ता आधार" और "ट्रैफिक का परिमाण" को उनके मापन के संबंध में अधिक स्पष्टता के साथ बनाए रखा गया है। इन मानदंडों के औचित्य और इनके मापन की पद्धति पर नीचे चर्चा की गई है।

<u>समायोजित सकल राजस्व</u>

3.4.11. विद्यमान शब्द "टर्नओवर" में विचार किए जाने वाले राजस्व घटकों को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है और इसमें ऐसा राजस्व भी शामिल हो सकता है, जो किसी सेवा प्रदाता के दूरसंचार प्रचालनों के पैमाने को वास्तविक रूप से प्रतिबिंबित नहीं करता है। दूसरी ओर, समायोजित सकल राजस्व (एजीआर), लाइसेंसिंग और प्राधिकार ढाँचे के अंतर्गत एक परिभाषित राजस्व मापदंड है, जिसमें अनुमत अपवर्जनों और कटौतियों को ध्यान में रखा जाता है, जिनमें अन्य सेवा प्रदाताओं को अंतरित की गई विनिर्दिष्ट राशियाँ भी शामिल हैं। यह उस दोहरे परिगणन को सीमित करने में भी सहायक है, जहाँ एक सेवा प्रदाता द्वारा एकत्र की गई और दूसरे सेवा प्रदाता को अंतरित की गई राशियाँ दोनों सेवा प्रदाताओं के

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

राजस्व में परिलक्षित होती हैं। अतः, एजीआर एसएमपी के निर्धारण के लिए किसी सेवा प्रदाता के आर्थिक महत्व और बाजार शक्ति का आकलन करने हेतु अधिक प्रासंगिक और सुसंगत आधार प्रदान करता है। तदनुसार, प्राधिकरण "क्रियाकलाप " के अंतर्गत "टर्नओवर" को "समायोजित सकल राजस्व" से प्रतिस्थापित करना उपयुक्त समझता है।

उपभोक्ता आधार

3.4.12. विद्यमान मानदंड "उपभोक्ता आधार" में एसएमपी के निर्धारण के लिए विचार किए जाने वाले उपभोक्ताओं की श्रेणी का उल्लेख नहीं किया गया था और इसलिए इसके मापन के संबंध में अस्पष्टता थी। चूँकि दूरसंचार अंतःसंयोजन ढाँचा वॉयस कॉल और एसएमएस से संबंधित है, अतः "उपभोक्ता आधार" को, जैसा भी मामला हो, वॉयस कॉल सेवाएँ प्रदान किए गए पीएसटीएन या पीएलएमएन उपभोक्ताओं की संख्या के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। इसमें ऐसे उपभोक्ता शामिल हैं जिन्हें वॉयस सेवा स्वतंत्र रूप से अथवा डेटा सेवाओं के साथ प्रदान की जाती है, किंतु ऐसे कनेक्शन इसमें शामिल नहीं हैं जिन पर वॉयस संचार की सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। "उपभोक्ता आधार" एक्सेस सेवाओं के लिए प्रासंगिक है और राष्ट्रीय लंबी दूरी तथा अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवाओं पर लागू नहीं होता है, क्योंकि इन सेवाओं के सेवा प्रदाताओं के पास इन सेवाओं के लिए अंतिम-उपयोगकर्ता उपभोक्ता नहीं होते हैं। इस प्रकार, यह एक्सेस सेवाओं में एसएमपी के निर्धारण के लिए उपभोक्ताओं की उपस्थिति का एक प्रासंगिक और तुलनीय माप प्रदान करता है।

नेटवर्क की ध्वनि कॉल प्रबंधन क्षमता

3.4.13. विद्यमान मानदंड "स्विचिंग क्षमता" को स्विचिंग-केंद्रित नेटवर्क संरचना के संदर्भ में निर्धारित किया गया था और यह वर्तमान नेटवर्कों की वॉयस कॉल हैंडलिंग क्षमता को पर्याप्त रूप से अभिव्यक्त नहीं करता है। आईपी-आधारित नेटवर्कों की ओर संक्रमण सहित नेटवर्क संरचना के विकास के साथ, वॉयस कॉलों को विभिन्न नेटवर्क तत्वों और कार्यात्मक मॉड्यूलों के माध्यम से हैंडल किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अभिकल्पित क्षमता होती है। अतः, किसी नेटवर्क की समग्र वॉयस कॉल हैंडलिंग क्षमता, कॉल हैंडलिंग में शामिल संबंधित नेटवर्क तत्वों या कार्यात्मक मॉड्यूलों की क्षमताओं पर निर्भर करती है और इसे केवल किसी स्विचिंग प्रणाली की क्षमता के आधार पर अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है।

3.4.14. तदनुसार, प्राधिकरण "स्विचिंग क्षमता" को "नेटवर्क की ध्वनि कॉल प्रबंधन क्षमता" से प्रतिस्थापित करना उपयुक्त समझता है। यह मानदंड उस क्षमता को दर्शाता है जिसके लिए नेटवर्क को वॉयस कॉल हैंडल करने हेतु अभिकल्पित किया गया है। इसके निर्धारण में संबंधित नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, ट्रैफिक

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

पूर्वानुमान, समवर्ती कॉल हैंडलिंग क्षमता, औसत कॉल होल्डिंग समय तथा लागू ग्रेड ऑफ सर्विस (जीओएस) और क्वालिटी ऑफ सर्विस (क्यूओएस) संबंधी अपेक्षाओं को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार, यह एसएमपी के निर्धारण के लिए वॉयस कॉल हैंडलिंग क्षमता का अधिक प्रासंगिक माप प्रदान करता है। वायरलाइन एक्सेस सेवा और वायरलेस एक्सेस सेवा के लिए सेवा प्रदाता प्रत्येक लाइसेंसप्राप्त या प्राधिकृत दूरसंचार सेवा क्षेत्र के लिए नेटवर्क की ध्वनि कॉल प्रबंधन क्षमता अलग-अलग प्रस्तुत करेंगे, ताकि संबंधित सेवा क्षेत्र में एसएमपी के निर्धारण हेतु नेटवर्क क्षमता की तुलना की जा सके।

ट्रैफिक का परिमाण

3.4.15. विद्यमान मानदंड "ट्रैफिक का परिमाण" में उस माप अथवा पद्धति को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया था जिसके अनुसार ट्रैफिक का परिमाण निर्धारित किया जाना था जिससे सेवा प्रदाताओं द्वारा इसकी भिन्न-भिन्न व्याख्या और असंगत मापन की गुंजाइश थी। अतः, एसएमपी के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण वॉयस कॉलों के उपयोग के मिनटों (एमओयू) के आधार पर "ट्रैफिक का परिमाण" का मापन करना उपयुक्त समझता है।

3.4.16. एक्सेस सेवाओं के लिए ऑन-नेट और ऑफ-नेट वॉयस कॉलों के उद्गम और समापन, दोनों एमओयू को ध्यान में रखा गया है, ताकि ऑन-नेट और ऑफ-नेट कॉलों का मापन तुलनीय आधार पर किया जा सके। ऑन-नेट कॉल में उद्गम और समापन, दोनों सिरे एक ही नेटवर्क में होते हैं, जबकि ऑफ-नेट कॉल में उद्गम और समापन सिरे अलग-अलग नेटवर्कों में होते हैं। तदनुसार, ऑन-नेट और ऑफ-नेट, दोनों प्रकार की कॉलों के लिए उद्गम और समापन एमओयू को ध्यान में रखा जाता है, ताकि दोनों प्रकार की कॉलों का मापन समान आधार पर किया जा सके। इसी प्रकार, राष्ट्रीय लंबी दूरी और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवाओं के लिए वहन हेतु प्राप्त और हैंडओवर की गई वॉयस कॉलों के एमओयू को ध्यान में रखा जाता है, ताकि संबंधित लंबी दूरी नेटवर्क के दोनों सिरों पर हैंडल किए गए ट्रैफिक का मापन किया जा सके।

3.4.17. उपर्युक्त के दृष्टिगत, प्राधिकरण एसएमपी के निर्धारण में अधिक स्पष्टता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए "क्रियाकलाप " के अंतर्गत मानदंडों को संशोधित करना उपयुक्त समझता है। तदनुसार, "क्रियाकलाप " में निम्नलिखित चार मानदंडों में से कोई एक या अधिक मानदंड शामिल होंगे, अर्थात् समायोजित सकल राजस्व, उपभोक्ता आधार, नेटवर्क की ध्वनि कॉल प्रबंधन क्षमता और ट्रैफिक का परिमाण, जैसा कि नीचे विनिर्दिष्ट है:

(क) 'समायोजित सकल राजस्व', जैसा कि लागू लाइसेंस या प्राधिकरण के अंतर्गत उपबंधित है;

(ख) 'उपभोक्ता आधार', अर्थात्, जैसा भी मामला हो, पीएसटीएन या पीएलएमएन में वॉयस उपभोक्ताओं की संख्या;

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

(ग) 'नेटवर्क की ध्वनि कॉल प्रबंधन क्षमता', अर्थात् किसी सेवा प्रदाता के दूरसंचार नेटवर्क द्वारा किसी लाइसेंसप्राप्त या प्राधिकृत दूरसंचार सेवा क्षेत्र में, सामान्य प्रचालन परिस्थितियों के अंतर्गत, लागू सेवा गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हुए, एक साथ स्थापित और बनाए रखने के लिए अभिकल्पित वॉयस कॉल सेशनों की अधिकतम संख्या, जिसमें साझा या अतिव्यापी नेटवर्क संसाधनों की क्षमता की दोहरी गणना नहीं की जाएगी; और

(घ) 'ट्रैफिक का परिमाण', अर्थात् वॉयस कॉलों के उपयोग के कुल मिनट (एमओयू), जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) एक्सेस सेवाओं के लिए, ऑन-नेट उद्गामी, ऑन-नेट समापन, ऑफ-नेट उद्गामी और ऑफ-नेट समापन वॉयस कॉल; और

(ii) राष्ट्रीय लंबी दूरी और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवाओं के लिए, वहन हेतु प्राप्त और हैंडओवर की गई वॉयस कॉलें।

<u>वीएनओ क्रियाकलाप का निरूपण</u>

3.4.18. जहाँ कोई वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर (वीएनओ) अपने मूल नेटवर्क सेवा ऑपरेटर (एनएसओ) के नेटवर्क का उपयोग करके दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करता है, वहाँ अन्य प्राधिकृत दूरसंचार नेटवर्कों के साथ वीएनओ का अंतःसंयोजन लागू लाइसेंसिंग या प्राधिकार ढाँचे के अंतर्गत उसके मूल एनएसओ के माध्यम से किया जाता है। तदनुसार, अंतःसंयोजन के प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण बाजार शक्ति (एसएमपी) के निर्धारण में, वीएनओ की बाजार उपस्थिति को, उस सीमा तक जहाँ तक वह उसके मूल एनएसओ के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित है, मूल एनएसओ की बाजार उपस्थिति के साथ विचार में लिया जाना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए, मूल एनएसओ के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में वीएनओ के उपभोक्ता आधार, समायोजित सकल राजस्व और ट्रैफिक का परिमाण को एसएमपी के आकलन हेतु उस मूल एनएसओ के साथ जोड़ा जाएगा। किसी भी उपभोक्ता, राजस्व या ट्रैफिक की दोहरी गणना नहीं की जाएगी।

3.4.19. इसके अतिरिक्त, चूँकि वीएनओ अपने मूल एनएसओ के नेटवर्क का उपयोग करता है, अतः एसएमपी के आकलन के प्रयोजन के लिए "नेटवर्क की ध्वनि कॉल प्रबंधन क्षमता" की गणना केवल मूल एनएसओ के लिए की जाएगी, वीएनओ के लिए नहीं।

3.4.20. तकनीकी प्रगति के बावजूद "सेवाएँ" की विद्यमान श्रेणियाँ प्रासंगिक बनी हुई हैं, क्योंकि ये अंतर्निहित नेटवर्क प्रौद्योगिकियों के बजाय कार्यात्मक और सेवा-स्तरीय भेदों पर आधारित हैं। तथापि, जैसा कि पूर्व में चर्चा की गई है, "बेसिक सेवा" और "सेल्युलर मोबाइल सेवा" की नामावली को क्रमशः "वायरलाइन एक्सेस सेवा" और "वायरलेस एक्सेस सेवा" के अनुरूप किया गया है।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

3.4.21. यह भी उल्लेखनीय है कि "क्रियाकलाप " के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानदंड, अर्थात् समायोजित सकल राजस्व, उपभोक्ता आधार, नेटवर्क की ध्वनि कॉल प्रबंधन क्षमता और ट्रैफिक का परिमाण, एसएमपी के निर्धारण के लिए सेवा प्रदाताओं की सापेक्ष बाजार स्थिति के आकलन हेतु विभिन्न माप प्रदान करते हैं। ये मानदंड सभी चार सेवाओं पर लागू होते हैं, सिवाय उपभोक्ता आधार के, जो केवल वायरलाइन एक्सेस सेवा और वायरलेस एक्सेस सेवा पर लागू होता है।

3.4.22. एसएमपी के निर्धारण की पद्धति में और अधिक स्पष्टता लाए जाने की आवश्यकता है। प्राधिकरण ने एसएमपी के निर्धारण में स्पष्टता के अभाव के संबंध में एक हितधारक द्वारा प्रस्तुत अभिमत का संज्ञान लिया है और उक्त हितधारक के अनुसार, इसके कारण सेवा प्रदाताओं द्वारा इसकी अलग-अलग व्याख्या की गई हो सकती है, जिसमें स्व-आकलन की संभावना भी शामिल है। एसएमपी के निर्धारण के लिए किन दस्तावेजों या डेटा स्रोतों पर निर्भर किया जाना चाहिए, इस संबंध में हितधारक द्वारा इंगित अस्पष्टता का भी संज्ञान लिया गया है। यह देखा गया है कि यद्यपि विद्यमान ढाँचा एसएमपी के निर्धारण के लिए व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है, तथापि इसके अनुप्रयोग में अधिक स्पष्टता और एकरूपता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर आगामी पैरा में चर्चा की गई है।

3.4.23. विद्यमान विनियम में उपबंधित है कि यदि किसी सेवा प्रदाता की किसी सेवा क्षेत्र में कुल क्रियाकलाप में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी है, तो उसे एसएमपी युक्त माना जाएगा। इस उपबंध से सीमा के संबंध में अस्पष्टता उत्पन्न हो सकती है, विशेष रूप से इस बात को लेकर कि बाजार हिस्सेदारी को 30 प्रतिशत से कम, 30 प्रतिशत के बराबर या 30 प्रतिशत से अधिक के रूप में माना जाना है। विनियम का आशय संबंधित 'सेवाओं' में पर्याप्त हिस्सेदारी रखने वाली संस्थाओं का निर्धारण करना है। किसी भी अस्पष्टता को दूर करने और एकसमान निर्वचन सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि विनियम में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए कि यदि किसी सेवा प्रदाता की किसी सेवा क्षेत्र में "क्रियाकलाप " के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक मानदंडों में हिस्सेदारी 30 प्रतिशत या उससे अधिक है, तो उसे एसएमपी युक्त माना जाएगा। यह निर्वचन विनियम के उद्देश्य के अनुरूप है।

3.4.24. विद्यमान ढाँचे में न तो एसएमपी के निर्धारण के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण या संस्था विनिर्दिष्ट है और न ही एसएमपी के निर्धारण की आवधिकता का उपबंध किया गया है। स्पष्ट रूप से परिभाषित और मानकीकृत पद्धति के अभाव में अलग-अलग निर्वचनों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिससे सेवा प्रदाताओं के बीच मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। इस चिंता का समाधान करने के लिए प्राधिकरण का विचार है कि सेवा प्रदाताओं से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर एसएमपी का निर्धारण प्राधिकरण द्वारा संरचित और आवधिक रूप से किया जाना चाहिए। प्राधिकरण का यह भी विचार है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के अंत तक प्रस्तुत किए गए उपभोक्ता आधार, नेटवर्क की ध्वनि

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

कॉल प्रबंधन क्षमता और ट्रैफिक का परिमाण के आधार पर एसएमपी का निर्धारण किया जा सकता है। इसके पश्चात अक्टूबर माह की समाप्ति के बाद पुनः निर्धारण किया जा सकता है, जिसमें समय-समय पर यथा संशोधित लेखांकन पृथक्करण रिपोर्टिंग प्रणाली विनियम, 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत वित्तीय रिपोर्टों से प्राप्त समायोजित सकल राजस्व को ध्यान में रखा जाएगा अथवा ऐसे सेवा प्रदाताओं, जिनके लिए ऐसी वित्तीय रिपोर्टें प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है, द्वारा अलग से प्रस्तुत समायोजित सकल राजस्व को ध्यान में रखा जाएगा। इस पश्चातवर्ती निर्धारण से समायोजित सकल राजस्व के आधार पर एसएमपी युक्त अतिरिक्त सेवा प्रदाताओं की पहचान की जा सकेगी और इससे उस वित्तीय वर्ष के लिए अन्य तीन मानदंडों के आधार पर पहले से एसएमपी युक्त निर्धारित किए गए सेवा प्रदाताओं की एसएमपी स्थिति प्रभावित नहीं होगी। इस दृष्टिकोण से वार्षिक वित्तीय रिपोर्टों की प्रतीक्षा किए बिना प्रचालनगत आँकड़ों को ध्यान में रखना संभव होगा और वित्तीय रिपोर्टें उपलब्ध हो जाने पर समायोजित सकल राजस्व को भी विचार में लिया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण किसी सेवा प्रदाता से अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण मांग सकता है, विशेष रूप से नेटवर्क की ध्वनि कॉल प्रबंधन क्षमता के संबंध में, क्योंकि यह मानदंड नेटवर्क के अभिकल्प और कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करता है तथा इसके लिए अतिरिक्त परीक्षण की आवश्यकता हो सकती है। ऐसी सूचना या स्पष्टीकरण, प्राधिकरण से इस संबंध में सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

3.4.25. तदनुसार, 'क्रियाकलाप ' के अंतर्गत चारों मानदंडों के लिए तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से संबंधित नवीनतम उपलब्ध आँकड़ों को ध्यान में रखा जाएगा, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

(क) समायोजित सकल राजस्व: समायोजित सकल राजस्व, जैसा कि लागू लाइसेंस या प्राधिकरण के अंतर्गत उपबंधित है, किसी अवधि के दौरान अर्जित राजस्व का माप है। संपूर्ण पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष को ध्यान में रखने से प्रचालनों के पैमाने का वार्षिक माप प्राप्त होता है तथा अल्पकालिक या मौसमी उतार-चढ़ाव का प्रभाव कम होता है। तदनुसार, एसएमपी के निर्धारण के लिए संपूर्ण पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के समायोजित सकल राजस्व को ध्यान में रखा जाएगा। चूँकि लेखांकन पृथक्करण रिपोर्टिंग प्रणाली विनियम, 2016 के अंतर्गत विधिवत लेखापरीक्षित वित्तीय रिपोर्टें लेखांकन वर्ष की समाप्ति से सात महीने के भीतर प्रस्तुत की जानी अपेक्षित हैं, अर्थात् जहाँ लेखांकन वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है, वहाँ अक्टूबर माह के अंत तक, अतः समायोजित सकल राजस्व के आधार पर एसएमपी का निर्धारण इसके पश्चात किया जा सकता है। ऐसा सेवा प्रदाता, जिसके लिए ऐसी वित्तीय रिपोर्टें प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है, अपना विधिवत लेखापरीक्षित समायोजित सकल राजस्व अक्टूबर माह के अंत तक प्राधिकरण को अलग से प्रस्तुत करेगा।

(ख) उपभोक्ता आधार: उपभोक्ता आधार, अर्थात्, जैसा भी मामला हो, पीएसटीएन या पीएलएमएन में वॉयस उपभोक्ताओं की संख्या, किसी विशिष्ट समय-बिंदु पर सेवा प्रदाता की स्थिति को दर्शाता है। चूँकि एसएमपी का निर्धारण किसी वित्तीय वर्ष के लिए किया जाना है, अतः पूर्ववर्ती वित्तीय

सचिव / Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली / New Delhi

वर्ष के अंतिम दिन की उपभोक्ता संख्या उस वित्तीय वर्ष, जिसके लिए एसएमपी का निर्धारण किया जा रहा है, के ठीक पूर्व की नवीनतम उपलब्ध स्थिति को दर्शाती है। तदनुसार, प्राधिकरण यह निर्णय करता है कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन के उपभोक्ता आधार को ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) नेटवर्क की ध्वनि कॉल प्रबंधन क्षमता: नेटवर्क की ध्वनि कॉल प्रबंधन क्षमता में नेटवर्क तत्वों के विस्तार, पुनः विन्यास या उन्हें सेवा से हटाए जाने के कारण वर्ष के दौरान परिवर्तन हो सकता है। चूँकि एसएमपी का निर्धारण किसी वित्तीय वर्ष के लिए किया जाता है, अतः पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने, अर्थात् मार्च, की स्थिति को नवीनतम उपलब्ध स्थिति के रूप में ध्यान में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, अनुरक्षण या पुनः विन्यास जैसे अस्थायी कारकों के कारण किसी विशिष्ट दिन नेटवर्क की क्षमता कम हो सकती है और वह उस क्षमता को प्रतिबिंबित नहीं कर सकती है जिसके लिए नेटवर्क को अभिकल्पित किया गया है। तदनुसार, प्राधिकरण यह निर्णय करता है कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के मार्च महीने के दौरान नेटवर्क की अधिकतम वॉयस कॉल हैंडलिंग क्षमता को ध्यान में रखा जाएगा।

(घ) ट्रैफिक का परिमाण: ट्रैफिक का परिमाण, जिसका मापन वॉयस कॉलों के उपयोग के मिनटों (एमओयू) के रूप में किया जाता है, किसी अवधि के दौरान वहन किए गए ट्रैफिक को दर्शाता है और मांग में परिवर्तन तथा मौसमी कारकों के कारण इसमें महीने-दर-महीने भिन्नता हो सकती है। संपूर्ण पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के एमओयू को ध्यान में रखने से किसी सेवा प्रदाता की नवीनतम ट्रैफिक स्थिति प्रतिबिंबित नहीं हो सकती है। अतः, प्राधिकरण यह निर्णय करता है कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने के दौरान वॉयस कॉलों के कुल एमओयू को ध्यान में रखा जाएगा। इससे उस वित्तीय वर्ष, जिसके लिए एसएमपी का निर्धारण किया जा रहा है, के ठीक पूर्व की ट्रैफिक स्थिति का नवीनतम उपलब्ध मासिक माप प्राप्त होता है।

तदनुसार, प्राधिकरण यह निर्णय करता है कि प्रत्येक लाइसेंसप्राप्त या प्राधिकृत दूरसंचार सेवा क्षेत्र में प्रत्येक सेवा के संबंध में एसएमपी का निर्धारण पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन के उपभोक्ता आधार, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के मार्च महीने के दौरान नेटवर्क की अधिकतम वॉयस कॉल हैंडलिंग क्षमता तथा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने की वॉयस कॉलों के कुल उपयोग मिनटों (एमओयू) के रूप में मापी गई ट्रैफिक का परिमाण के आधार पर किया जा सकता है। इसके पश्चात, संपूर्ण पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के समायोजित सकल राजस्व के आधार पर एसएमपी का पश्चातवर्ती निर्धारण किया जा सकता है।

3.4.26. उपभोक्ता आधार, नेटवर्क की ध्वनि कॉल प्रबंधन क्षमता और ट्रैफिक का परिमाण से संबंधित आँकड़े सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के अंत तक प्रस्तुत किए जाएंगे। समायोजित सकल राजस्व, समय-समय पर यथा संशोधित लेखांकन पृथक्करण रिपोर्टिंग प्रणाली विनियम, 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत वित्तीय रिपोर्टों से प्राप्त किया जाएगा अथवा, ऐसे सेवा प्रदाता के मामले में जिसके

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

लिए ऐसी वित्तीय रिपोर्टें प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है, अक्टूबर माह के अंत तक प्राधिकरण को अलग से प्रस्तुत किए गए विधिवत लेखापरीक्षित समायोजित सकल राजस्व से प्राप्त किया जाएगा, ताकि अक्टूबर माह की समाप्ति के पश्चात किए जाने वाले पश्चातवर्ती निर्धारण में उस पर विचार किया जा सके। एसएमपी स्थिति की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकरण यह निर्णय करता है कि एसएमपी युक्त निर्धारित किया गया कोई सेवा प्रदाता तब तक एसएमपी युक्त माना जाता रहेगा, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा उसकी एसएमपी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाता। समायोजित सकल राजस्व के आधार पर किया गया निर्धारण उस वित्तीय वर्ष के लिए अन्य तीन मानदंडों के आधार पर एसएमपी युक्त निर्धारित किए गए सेवा प्रदाताओं की एसएमपी स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा।

3.4.27. इस प्रकार एसएमपी युक्त निर्धारित सेवा प्रदाता, ऐसे निर्धारण की तारीख से तीस दिन के भीतर अपना संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा, जब तक कि संशोधित उप-विनियम 3.1 के अनुसार प्रकाशित उसका संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव पहले से प्रवृत्त न हो। संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव का अनुमोदन हो जाने पर, ऐसा सेवा प्रदाता प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर, संबंधित लाइसेंसप्राप्त या प्राधिकृत दूरसंचार सेवा क्षेत्र में संबंधित सेवा के लिए उसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

3.4.28. विद्यमान उप-विनियम 3.1 के अंतर्गत संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव के प्रकाशन के लिए विनियम जारी होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि का उपबंध किया गया था, जिसका आशय संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव तैयार करने तथा प्राधिकरण से उसका पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने, दोनों के लिए अपेक्षित अवधि को समाहित करना था। तथापि, विद्यमान ढाँचे में संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत करने हेतु कोई समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की गई थी। इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए यह उपबंध किया गया है कि एसएमपी युक्त सेवा प्रदाता, एसएमपी के निर्धारण की तारीख से तीस दिन के भीतर अपना संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा। चूँकि संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव को क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में विनिर्दिष्ट आदर्श संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव और दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार किया जाना है, अतः इस प्रयोजन के लिए तीस दिन की अवधि पर्याप्त मानी गई है। इसके अतिरिक्त, चूँकि इसके पश्चात पहले से अनुमोदित संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव का केवल प्रकाशन किया जाना अपेक्षित है, अतः सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर इसके प्रकाशन के लिए अनुमोदन की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि पर्याप्त मानी गई है।

3.4.29. उप-विनियम 3.2 में यह उपबंध है कि प्रकाशित संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में कोई परिवर्तन केवल प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से ही किया जा सकता है। इसमें संशोधन करते हुए प्राधिकरण को किसी सेवा प्रदाता को उसके संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में संशोधन करने का निर्देश देने में भी सक्षम बनाया

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

गया है। ऐसे मामले में, संशोधित संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव, ऐसे निर्देश की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर अनुमोदन के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा। दोनों ही मामलों में, संशोधित संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर प्रकाशित किया जाएगा।

3.4.30. विद्यमान विनियम के उप-विनियम 3.4 में यह उपबंध है कि प्राधिकरण समय-समय पर दिशानिर्देशों का पुनर्विलोकन कर सकता है। क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में विनिर्दिष्ट आदर्श संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव और दिशानिर्देशों में प्राधिकरण द्वारा, जब भी अपेक्षित हो, संशोधन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उप-विनियम 3.1 में यह अपेक्षित है कि संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव, समय-समय पर यथा संशोधित अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II पर आधारित होगा। तदनुसार, उप-विनियम 3.4 को हटा दिया गया है।

3.4.31. विद्यमान विनियम 5 में यह उपबंध है कि इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होने पर प्राधिकरण का निर्णय अंतिम और आबद्धकर होगा। प्राधिकरण इस उपबंध को पुनर्विलोकन संबंधी एक सामान्य उपबंध से प्रतिस्थापित करना तथा इन विनियमों के निर्वचन या अनुप्रयोग में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के निराकरण के लिए आवश्यक स्पष्टीकरण या दिशानिर्देश जारी करने हेतु पृथक उपबंध करना उपयुक्त समझता है। तदनुसार, विनियम 5 को प्रतिस्थापित किया गया है और विनियम 5क अंतःस्थापित किया गया है।

3.4.32. विनियम 4 में, इन विनियमों में अन्यत्र तथा लाइसेंसिंग और प्राधिकार ढाँचे में प्रयुक्त शब्दावली के साथ एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, "पब्लिक नेटवर्क ऑपरेटरों" पद को "सेवा प्रदाताओं" से प्रतिस्थापित किया गया है।

3.4.33. प्रतिस्थापित अनुलग्नकों के संदर्भों को अद्यतन करने, अनावश्यक अभिव्यक्तियों को हटाने तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन के संशोधित स्थान को प्रतिबिंबित करने के लिए विद्यमान विनियम 1 और 6 में भी आनुषंगिक संशोधन किए गए हैं।

3.4.34. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाताओं की वेबसाइटों पर संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्तावों का प्रकाशन आवश्यक है। प्राधिकरण इस तर्क से सहमत नहीं है कि सेवा प्रदाताओं के लिए अपनी वेबसाइटों पर संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव प्रकाशित करना अपेक्षित नहीं होना चाहिए, भले ही यह तर्क दिया गया हो कि उद्योग में पारस्परिकता के सिद्धांतों पर आधारित मानकीकृत अंतःसंयोजन करार पहले से ही लागू किए जा रहे हैं। इस विचार में औचित्य है कि सेवा प्रदाताओं की वेबसाइटों पर संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्तावों का प्रकाशन नए प्रवेशकर्ताओं और छोटी कंपनियों को अपने व्यवसाय की योजना बनाने में

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

सहायता करता है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि सभी कंपनियों को अंतःसंयोजन करार के निबंधनों और शर्तों तक एक्सेस प्राप्त हो, जिससे आवश्यकता होने पर पारस्परिक सहमति से उनमें संशोधन करने में सुविधा हो।

3.4.35. एसएमपी की अवधारणा के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने के संबंध में विभिन्न हितधारकों की टिप्पणियाँ प्राधिकरण द्वारा जारी दूरसंचार टैरिफ आदेश में किए गए संशोधन से संबंधित हैं और इन विनियमों के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं। मूल आरआईओ विनियमों में विद्यमान एसएमपी की अवधारणा में प्राधिकरण द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तथा मूल आरआईओ विनियमों के संबंधित उपबंध न तो किसी न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन हैं और न ही किसी न्यायालय द्वारा अपास्त किए गए हैं।

3.4.36. प्राधिकरण ने दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) विनियम, 2002 में आवश्यक वित्तीय निरुत्साहन ढाँचे के संबंध में हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों का परीक्षण किया है। वित्तीय निरुत्साहन सेवा प्रदाताओं के दायित्वों का समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अंतःसंयोजन ढाँचे के अंतर्गत सेवा प्रदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

3.4.37. प्राधिकरण ने इन विनियमों के उपबंधों के अनुपालन न किए जाने की प्रकृति और उसके संभावित प्रभाव पर विचार किया है। उप-विनियम 3.1, 3.2 और 3.3क एसएमपी युक्त सेवा प्रदाता द्वारा संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने और उसके प्रकाशन तथा एसएमपी के निर्धारण के लिए प्राधिकरण को सूचना प्रस्तुत करने और उनसे संबंधित समय-सीमाओं से संबंधित हैं। इन उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। एसएमपी युक्त सेवा प्रदाता द्वारा संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने और प्रकाशित करने तथा एसएमपी के निर्धारण के लिए प्राधिकरण को सूचना प्रस्तुत करने से संबंधित उपबंधों के अनुपालन में किसी प्रकार के विलंब अथवा अनुपालन न किए जाने से अन्य सेवा प्रदाताओं तथा अंतःसंयोजन ढाँचे के समुचित कामकाज पर प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा अनुपालन न किया जाना, विशेष रूप से यदि यह लंबे समय तक जारी रहता है, तो अन्य सेवा प्रदाताओं की अंतःसंयोजन करार करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

3.4.38. अतः, प्राधिकरण इन विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप निम्नलिखित रूप में वित्तीय निरुत्साहन विनिर्दिष्ट करना उपयुक्त समझता है:

(क) यदि कोई सेवा प्रदाता उप-विनियम 3.1, 3.2 या 3.3क के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह अपने लाइसेंस या प्राधिकरण के निबंधनों और शर्तों के अधीन अधिरोपित किए जा सकने वाले किसी दंड अथवा किसी अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों या आदेशों

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

अथवा जारी किए गए निदेशों के अधीन की जा सकने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नीचे दी गई सारणी में उपबंधित वित्तीय निरुत्साहन के रूप में राशि का भुगतान करने के लिए दायी होगा:

क्र. सं.	विनियम के अंतर्गत उल्लंघन	उल्लंघन की प्रत्येक घटना के लिए वित्तीय निरुत्साहन की राशि
1.	विनियम 3 के उप-विनियम 3.1 या उप-विनियम 3.2 का उल्लंघन	(क) पंद्रह दिन तक के विलंब के लिए उल्लंघन की प्रत्येक घटना हेतु प्रतिदिन पचास हजार रुपये तक; और (ख) पंद्रह दिन से अधिक के विलंब के लिए उल्लंघन की प्रत्येक घटना हेतु विलंब के प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये तक: परंतु यह कि उपर्युक्त मद (क) और मद (ख) के अंतर्गत वित्तीय निरुत्साहन की कुल राशि, उल्लंघन की प्रत्येक घटना के लिए प्रति सेवा क्षेत्र पच्चीस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।
2.	विनियम 3 के उप-विनियम 3.3क का उल्लंघन	(क) पंद्रह दिन तक के विलंब के लिए उल्लंघन की प्रत्येक घटना हेतु प्रतिदिन पच्चीस हजार रुपये तक; और (ख) पंद्रह दिन से अधिक के विलंब के लिए उल्लंघन की प्रत्येक घटना हेतु विलंब के प्रत्येक दिन के लिए पचास हजार रुपये तक: परंतु यह कि उपर्युक्त मद (क) और मद (ख) के अंतर्गत वित्तीय निरुत्साहन की कुल राशि, उल्लंघन की प्रत्येक घटना के लिए प्रति सेवा क्षेत्र पंद्रह लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

(ख) प्राधिकरण द्वारा पाए गए उल्लंघन के संबंध में सेवा प्रदाता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना, प्राधिकरण द्वारा वित्तीय निरुत्साहन के भुगतान का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(ग) प्राधिकरण, लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए, कोई वित्तीय निरुत्साहन अधिरोपित न करने अथवा कम राशि का वित्तीय निरुत्साहन अधिरोपित करने का निर्णय कर सकता है।

3.4.39. वित्तीय निरुत्साहन का भुगतान:

(क) इन विनियमों के अधीन वित्तीय निरुत्साहन के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि ऐसे लेखा शीर्ष में जमा की जाएगी, जैसा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(ख) यदि सेवा प्रदाता विनियम 3ए के अधीन वित्तीय निरुत्साहन के भुगतान के आदेश जारी किए जाने की तारीख से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर अथवा वित्तीय निरुत्साहन के भुगतान के आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, जैसा भी मामला हो, वित्तीय निरुत्साहन का भुगतान करने

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

में विफल रहता है, तो वह उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में प्रचलित भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्षीय निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) से दो प्रतिशत (2%) अधिक की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होगा, जिस वित्तीय वर्ष में विनिर्दिष्ट अवधि का अंतिम दिन पड़ता है।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, ब्याज की गणना हेतु महीने के किसी भाग को पूर्ण महीना माना जाएगा और महीने से अंग्रेजी कैलेंडर माह अभिप्रेत होगा।

3.4.40. प्राधिकरण ने यह भी विचार किया है कि उल्लंघन की अवधि पर विचार किए बिना एक निश्चित वित्तीय निरुत्साहन अधिरोपित किया जाना, अल्प अवधि के विलंब और निरंतर अनुपालन न किए जाने के बीच पर्याप्त रूप से भेद नहीं कर सकता है। अतः, श्रेणीबद्ध वित्तीय निरुत्साहन का उपबंध किया गया है, जिसमें पंद्रह दिन तक के विलंब के लिए कम दर तथा पंद्रह दिन से अधिक विलंब जारी रहने पर उच्चतर दर निर्धारित की गई है। लंबे समय तक विलंब के लिए उच्चतर दर का उद्देश्य सेवा प्रदाताओं को समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने और यथाशीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करना है।

3.4.41. स्पष्टता के लिए, वित्तीय निरुत्साहन की गणना विलंब के दिनों की संख्या के अनुसार संचयी आधार पर की जाएगी। उदाहरण के लिए, ऐसे उल्लंघन के मामले में, जहाँ लागू दर पहले पंद्रह दिनों के लिए ₹50,000 प्रतिदिन तथा पंद्रह दिन से अधिक के विलंब के प्रत्येक दिन के लिए ₹1,00,000 प्रतिदिन है, यदि विलंब बीस दिनों का है, तो पहले पंद्रह दिनों के लिए वित्तीय निरुत्साहन ₹7.5 लाख तथा अगले पाँच दिनों के लिए ₹5 लाख होगा और इस प्रकार लागू अधिकतम सीमा के अधीन, वित्तीय निरुत्साहन की कुल राशि ₹12.5 लाख होगी।

3.4.42. साथ ही, प्राधिकरण का यह विचार है कि वित्तीय निरुत्साहन की एक युक्तियुक्त अधिकतम सीमा होनी चाहिए, ताकि वित्तीय दायित्व अनिश्चित काल तक जारी न रहे। तदनुसार, उप-विनियम 3.1 या 3.2 के उल्लंघन की प्रत्येक घटना के लिए प्रति सेवा क्षेत्र पच्चीस लाख रुपये तथा उप-विनियम 3.3क के उल्लंघन की प्रत्येक घटना के लिए प्रति सेवा क्षेत्र पंद्रह लाख रुपये की अधिकतम सीमा विनिर्दिष्ट की गई है।

3.4.43. एसएमपी के निर्धारण के लिए आँकड़े प्रस्तुत करने के दायित्व की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उप-विनियम 3.3क के उल्लंघन के लिए वित्तीय निरुत्साहन की कम दर और कम अधिकतम सीमा विनिर्दिष्ट की गई है। उप-विनियम 3.1 और 3.2 के उल्लंघन के लिए उच्चतर दर और उच्चतर अधिकतम सीमा विनिर्दिष्ट की गई है, क्योंकि संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने, उसमें संशोधन करने या उसे

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi

प्रकाशित करने में विलंब से अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए अनुमोदित अंतःसंयोजन निबंधनों की उपलब्धता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकती है।

3.4.44. प्राधिकरण का यह भी विचार है कि वित्तीय निरुत्साहन की राशि का निर्धारण केवल विलंब के दिनों की संख्या के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। उल्लंघन की प्रकृति, सीमा, अवधि, आवृत्ति और प्रभाव प्रत्येक मामले में भिन्न हो सकते हैं और वित्तीय निरुत्साहन की राशि निर्धारित करते समय इन पर भी विचार किया जाना चाहिए।

3.4.45. प्राधिकरण का यह विचार है कि वित्तीय निरुत्साहन अधिरोपित किए जाने से पूर्व सेवा प्रदाता को उल्लंघन के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाना चाहिए। इससे निष्पक्षता सुनिश्चित होगी और प्राधिकरण वित्तीय निरुत्साहन की राशि निर्धारित करने से पूर्व सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत अभिमतों पर विचार कर सकेगा।

3.4.46. प्राधिकरण का यह विचार है कि सेवा प्रदाता पर अधिरोपित वित्तीय निरुत्साहन का भुगतान आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने तथा विलंब को हतोत्साहित करने के लिए, विलंबित भुगतान की स्थिति में वित्तीय निरुत्साहन की बकाया राशि पर साधारण ब्याज का उपबंध किया गया है। प्राधिकरण का विचार है कि ब्याज की दर को भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्षीय निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) से संबद्ध करते हुए उसमें दो प्रतिशत की अतिरिक्त दर जोड़ना, लागू ब्याज दर के निर्धारण के लिए एक वस्तुनिष्ठ आधार प्रदान करेगा। तदनुसार, सेवा प्रदाता संबंधित वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में प्रचलित उक्त दर से बकाया राशि पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होगा। यह भी उपबंध किया गया है कि इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, ब्याज की गणना हेतु महीने के किसी भाग को पूर्ण महीना माना जाएगा और महीने से अंग्रेजी कैलेंडर माह अभिप्रेत होगा।

***

अस्वीकरण: यह दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) (संशोधन) विनियम, 2026 मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) (संशोधन) विनियम, 2026 का हिन्दी अनुवाद है। किसी भी विसंगति के मामले में अंग्रेजी में लिखा गया दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) (संशोधन) विनियम, 2026 मान्य होगा।

सचिव/Secretary
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
नई दिल्ली/New Delhi